


“प्राथमिक शिक्षा का अर्थशास्त्र”

(जनपद झाँसी के सन्दर्भ विशेष में एक आर्थिक
अध्ययन)



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की
पी-एच.डी.(अर्थशास्त्र) की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

2007

निर्देशिका :-

डॉ० (श्रीमती) मंजूषा श्रीवास्तव
रीडर (अर्थशास्त्र विभाग)
श्री अग्रसेन महाविद्यालय
मऊरानीपुर, झाँसी

शोधार्थी :-

विनीता तिवारी

अर्थशास्त्र विभाग

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **विनीता तिवारी** मेरे निर्देशन में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी द्वारा अर्थशास्त्र विषय में पी-एच.डी. उपाधि हेतु **“प्राथमिक शिक्षा का अर्थशास्त्र”- जनपद झाँसी के सन्दर्भ विशेष में एक आर्थिक अध्ययन**, नामक शोध प्रबंध प्रस्तुत कर रही हैं। यह शोध प्रबंध **विनीता तिवारी** का अपना मौलिक प्रयास है, एवं इन्होंने विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप उपस्थित रहकर यह शोध कार्य पूर्ण किया है।

दिनांक:-

Mangusha
डॉ० (श्रीमती) मंजूषा श्रीवास्तव

शोध निर्देशिका
रीडर (अर्थशास्त्र विभाग)
श्री अग्रसेन महाविद्यालय
मऊरानीपुर, झाँसी (उ.प्र.)

आमुख

‘सा विद्या या विमुक्तये’ आध्यात्मिक अर्थ में तो विद्या मोक्ष का साधन है, किन्तु भौतिक जगत में, व्यावहारिक जीवन में विद्या समस्त दुःखों से त्राण अर्थात् मुक्ति दिलाती है। सुशिक्षित और आधुनिक ज्ञान प्राप्त व्यक्ति ही अच्छे रोजगार के अवसर पाते हैं। अपने दैनिक जीवन की अनेक व्यावहारिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, स्वतंत्र और स्वावलंबी बन सकते हैं। जीवन को सुसंस्कृत एवं विवेकशील बनाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारतीय मनीषा में ‘असतो मा ज्योतिर्गमय’ की जो कामना की गई है, वह अशिक्षा के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में जाने की कल्पना ही है। शिक्षा ज्ञान और प्रकाश, तर्क और बौद्धिक विकास के वातायन खोलती है। शिक्षा मानव जीवन का सबसे आवश्यक संस्कार, सामाजिक परिवर्तन का आधार और आर्थिक उन्नति का एक सशक्त साधन है। यह हमें मनुष्यता, सहिष्णुता, नैतिकता और बंधुत्व का पाठ पढ़ाती है। एक नया उन्नत और योग्य मनुष्य बनाती है। आधुनिक समय में देश के विकास के सोपान चढ़ पूर्ण विकसित करने का लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि देश के सभी नागरिक साक्षर नहीं हो जाते। इस तथ्य का ज्ञान राष्ट्रनिर्माताओं को था। तभी तो संविधान की रचना करते समय उन्होंने राज्य के नीतिनिर्देशक सिद्धान्तों में सबके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को शामिल किया और स्वतंत्रता प्राप्ति के दस वर्षों के भीतर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा। किन्तु आज भी यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है। आज भी देश की 30 करोड़ से भी अधिक की आबादी शिक्षा के आलोक से वंचित है। इनमें से अधिकांश वे लोग हैं, जो विपन्न और साधनहीन हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय(SC) ने सरकार को उच्च शिक्षण संस्थानों में 27 प्रतिशत ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण हेतु सीटें बढ़ाने के संदर्भ में किए जाने वाले व्यय को रोकने की सलाह देते हुए कहा "बिना भूतल के सीधे दूसरी मंजिल पर कैसे चढ़ा जा सकता है, सीटें बढ़ाने के बजाय प्राथमिक शिक्षा में धन लगाना चाहिए।" दिनांक 27 सितंबर 2007 को उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई यह टिप्पणी वर्तमान समय में भी प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट करती है।

"प्राथमिक शिक्षा का अर्थशास्त्र"— जनपद झाँसी के संदर्भ विशेष में एक आर्थिक अध्ययन, विषय पर पी-एच.डी. उपाधि हेतु जब शोध कार्ययोजना प्रस्तुत की गई, तो उसमें 'प्राथमिक शिक्षा' के स्थान पर 'प्रारम्भिक शिक्षा' शब्द का प्रयोग किया गया था। शोध कार्ययोजना में कुछ आपत्तियों के निवारण हेतु निर्देश दिए गये थे। उन आपत्तियों के निवारण के साथ जब पुनः अध्ययन योजना प्रस्तुत की गई तो 'प्रारम्भिक' के स्थान पर 'प्राथमिक' शब्द का प्रयोग किया गया। इसके पीछे कारण यह था कि जब इस विषय पर शोध प्रारंभ किया गया तो अनेक विद्वतजनों का मानना था कि 'प्रारम्भिक शिक्षा' शब्द से आशय कक्षा 1 से पूर्व की शिक्षा से है, किन्तु शोधार्थी का उद्देश्य तो सर्वशिक्षा से संबंधित विषय से था। अर्थात् कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षा की समाजार्थिक उपादेयता बताना और उसके लिए किये जाने वाले प्रयासों की समीक्षा करना था। अध्ययन के दौरान इस भ्रम का पूरी तरह निवारण हो गया, यह स्पष्ट हो गया कि प्राथमिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, सर्वशिक्षा सभी से एक ही आशय है, वह यह कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा।

जनसाधारण में शिक्षा के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता को देखते हुए शोधार्थी ने प्रस्तुत शोध प्रबंध में झाँसी जनपद में

संचालित शिक्षा प्रसार योजनाओं की विशद् समीक्षा की है। वर्तमान में सर्वशिक्षा अभियान की सफलता का मूल्यांकन तभी किया जा सकता है, जब हम सूक्ष्म इकाइयों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करें। क्योंकि सूक्ष्म इकाइयों का योग ही व्यापक या समग्र होता है। सूक्ष्म इकाइयों का गहन अध्ययन ही परियोजनाओं का सफल मूल्यांकन कर सकता है और विकास हेतु योजनाओं के निर्माण में दिशा निर्देश दे सकता है।

जनपद में शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता को देखते हुए क्षेत्रीय अनुसंधान के माध्यम से जनपद झाँसी में निरक्षरता और अशिक्षा को दूर करने हेतु स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, नौकरशाहों एवं जनसाधारण का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करना मेरा हेतु रहा है।

उपरोक्त संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन सर्वथा मौलिक और नवीन प्रयास है, साथ ही अध्ययन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूर्णतः प्रासंगिक और सामाजिक भी है। समाज विज्ञान की किसी भी विधा या शाखा का अध्ययन समाज के संदर्भ में ही औचित्यपूर्ण होता है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध के सात अध्याय हमारे लक्ष्य के मार्ग के मील के पत्थर हैं जो अध्ययन अभीष्ट को पाने में एक के बाद एक क्रमशः शोधार्थी को उत्साहित करते रहे हैं।

➤ शोध के प्रथम अध्याय में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उसके हर पहलू को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है, साथ ही सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका की आवश्यकता को बताया गया है।

प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में जनपद झाँसी का परिचय दिया गया है। विशेष रूप से जनपद का शैक्षिक परिचय प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम अध्याय के तृतीय भाग में अध्ययन विधि की प्रस्तुति है।

- द्वितीय अध्याय में प्राथमिक शिक्षा पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रो. अमर्त्य सेन के विचारों को प्रस्तुत किया गया है। प्रो. सेन, गुन्नार मिर्डल के बाद दूसरे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने एशिया महाद्वीप के देशों की गरीबी और भुखमरी के कारणों की खोज करने का प्रयास किया है और वंचना तथा अभाव के लिए 'अनाधिकारिता' को जिम्मेदार ठहराया है। अनाधिकारिता की भावना को दूर करने के लिए शिक्षा, वह भी जनसाधारण की शिक्षा महत्वपूर्ण घटक है।
- अध्ययन के तृतीय अध्याय में जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का विस्तार से अध्ययन किया गया है। जिसमें प्राथमिक विद्यालयों की संख्या, शिक्षक छात्र अनुपात, निजी और सरकारी क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षा उपादानों और संसाधनों की उपलब्धता का वर्णन किया गया है।
- चतुर्थ अध्याय में महिला साक्षरता और जनपद में महिला साक्षरता का महत्व, जनपद में उसकी स्थिति का विश्लेषण किया गया है। महिला साक्षरता पर अलग से अध्याय प्रस्तुत करने का कारण यह है कि कुल आबादी में आधी संख्या महिलाओं की होती है जबकि शिक्षा में इन्हें सर्वथा वंचित रखा जाता है। समाज के विकास की प्रक्रिया में, प्रारंभ में कार्यों के बंटवारे में स्त्री को शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं समझी गई, शायद इसलिए कि उन्हें घरेलू कार्य करने हैं, किन्तु आज स्त्री शिक्षा का महत्व सर्वविदित है। फिर भी पुरुष प्रधान मानसिकता, सामंती प्रवृत्ति स्त्री शिक्षा के मार्ग में बाधक है।
- शोध के पांचवें अध्याय में प्राथमिक शिक्षा पर समय-समय पर नवीनीकृत सरकारी नीतियों का विशद वर्णन है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बिल सन् 2004 से पूर्व की शिक्षा नीतियों

को समयानुरूप पांच कालों में बाँटा गया है और सर्वशिक्षा अभियान की विशद् व्याख्या की गई है।

- छठवें अध्याय में जनपद में प्राथमिक शिक्षा हेतु प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया और उनसे संबंधित कठिनाइयों को प्रस्तुत किया गया।
- सप्तम् अर्थात् अंतिम अध्याय में निष्कर्ष और सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

प्रस्तुत शोध प्रबंध को पूर्ण करने में मुझे शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अनेक अधिकारी गणों का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। प्रदेश के शिक्षा विभाग के अनेक महानुभावों ने शोध संबंधी सामग्री एकत्र करने में पर्याप्त सहयोग प्रदान किया है। जनपद झाँसी के शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों ने अपेक्षित सूचनायें एकत्रित करने में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया है। जनपद के समस्त आठ विकासखंड से चयनित न्यादर्श ग्राम के 'प्रधानों', ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों और स्थानीय ग्रामवासियों ने जो सहयोग प्रदान किया है, उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। मैं समस्त अधिकारीगण एवं सहयोगी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए शब्दों का चयन नहीं कर पा रही हूँ।

शोध निर्देशिका डॉ० (श्रीमती) मंजूषा श्रीवास्तव रीडर (अर्थशास्त्र विभाग) श्री अग्रसेन महाविद्यालय मऊरानीपुर, झाँसी (उ.प्र.) की मैं हृदय से आभारी हूँ, जिनके सतत् मार्गदर्शन के विना इस शोध कार्य की पूर्णता की कल्पना करना असंभव लगता था। उन्हें श्रद्धापूर्ण नमन् अर्पित है।

आदरणीय डॉ. धीरेन्द्र वर्मा अध्यक्ष (अर्थशास्त्र विभाग) बुन्देलखंड महाविद्यालय झाँसी, डॉ. सतीश कुमार त्रिपाठी अध्यक्ष (अर्थशास्त्र विभाग) पण्डित जे.ए. कालेज बांदा, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रो. डॉ. मोहम्मद मुजम्मिल एवं अन्य विद्वतजनों की हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने विषय की जानकारी एवं विषय सामग्री

उपलब्ध कराकर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से मुझे सहयोग दिया। इन्होंने मेरे हौसले को बुलंद किया। इनकी कृपा से आज मैं शोध प्रबंध प्रस्तुत कर पा रही हूँ।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार तथा अग्रसेन महाविद्यालय, मऊरानीपुर के पुस्तकालयों से यथायोग्य सहयोग मिला है। इन सब के प्रबंध महानुभावों को मैं धन्यवाद देती हूँ।

मैं अपने माता-पिता, ज्येष्ठ भ्राता एवं गुरुजनों को श्रद्धापूर्ण नमन करती हूँ। जिनका आशीर्वाद सदैव मुझ पर रहा।

अंत में, मैं ईश्वर को श्रद्धा नमन करती हूँ जिसकी असीम कृपा से यह शोध कार्य पूर्ण हो सका है।

शोधार्थी विनीता तिवारी
विनीता तिवारी

अनुक्रमणिका

अध्याय

पृष्ठ संख्या

प्रथम अध्याय

1-27

1. भूमिका

- शिक्षा का महत्व, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन
- जनपद का संक्षिप्त परिचय
- अध्ययन विधि
 - ❖ अध्ययन के उद्देश्य
 - ❖ अध्ययन विधि
 - ❖ अध्ययन की सीमाएं

द्वितीय अध्याय

28-58

2. प्राथमिक शिक्षा पर अमर्त्य सेन के विचार

तृतीय अध्याय

59-92

3. जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति

- प्राइमरी स्कूल की संख्या
- शिक्षक छात्र का अनुपात
- निजी और सरकारी क्षेत्र के विद्यालय
- विद्यालयों में शिक्षा उपादानों और संसाधनों की उपलब्धता

चतुर्थ अध्याय

93-105

4. जनपद में महिला साक्षरता

पंचम् अध्याय

106-145

5. प्राथमिक शिक्षा और सरकारी नीति

- सन 2004 से पूर्व की शिक्षा नीतियाँ
- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बिल सन 2004 की समीक्षा
- प्राथमिक शिक्षा और राजकीय व्यय

षष्ठम् अध्याय

146-181

6. प्राथमिकताएं एवं चुनौतियां

सप्तम् अध्याय

181-189

7. निष्कर्ष और सुझाव

परिशिष्ट-

- मानचित्र- विकासखंडवार
- प्रश्नावली
- जिला- प्राथमिक शिक्षा रिपोर्ट कार्ड-झाँसी जनपद, वर्ष 2004-05
- शब्द संक्षेप
- संदर्भ ग्रन्थ
- सारणी अनुक्रम

प्रथम अध्याय

भूमिका

- शिक्षा का महत्व
- शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन
- जनपद का संक्षिप्त परिचय
- अध्ययन विधि
 - ❖ अध्ययन के उद्देश्य
 - ❖ अध्ययन विधि
 - ❖ अध्ययन की सीमाएं

शिक्षा का महत्व

प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा प्रथम प्राथमिकता की वस्तु है। यह प्रथम सीढ़ी है, जिसे प्राप्त करके ही राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। यह शिक्षा राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग है। प्राथमिक शिक्षा राष्ट्रीय विचारधारा एवं चारित्रिक निर्माण की कुँजी है। यह मानव विकास के समस्त उपादानों में सर्वोत्तम है। यह मानव मात्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। यह निर्विवाद तथ्य है कि सभी व्यक्तियों की शिक्षा में ही राष्ट्रीय प्रगति निहित है। प्राथमिक शिक्षा का पतन राष्ट्रीय पतन का संकेतक है। अतः प्रत्येक राष्ट्र के उत्थान के लिये इस स्तर पर ध्यान देना अनिवार्य है। **स्वामी विवेकानंद** का उद्बोधन इस संदर्भ में अत्याधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है- **“मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना महान राष्ट्रीय पाप है और हमारे पतन के कारणों में से एक है। सारी राजनीति उस समय तक विफल रहेगी जब तक कि भारत में जनसाधारण को एक बार भलीभाँति शिक्षित नहीं कर लिया जाएगा।”**

सामान्यतया प्राथमिक शिक्षा का अर्थ कक्षा 1 से 4 या 5 तक की शिक्षा से लगाया जाता है जिसमें बच्चों को 3R अर्थात् पढ़ना, लिखना और हिसाब लगाना सिखाया जाता है। यह एक संकुचित दृष्टिकोण है। शिक्षा का वास्तविक स्वरूप इससे भिन्न है। शिक्षा का उद्देश्य छात्र के व्यवहार में अभीष्ट परिवर्तन लाना है। शिक्षा हमारा सर्वांगीण विकास करती है और हमारे जीवन को अधिक सरल, सेवामय, विनम्र तथा शांत बनाती है। शिक्षा द्वारा आरंभ से ही बच्चे के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने की चेष्टा की जाती है, जिससे कि वे कुशल नागरिक बनकर समाज व देश की उन्नति में सहायक हों। शिक्षा की अनिवार्यता देश की सभ्यता संस्कृति के विकास हेतु एवं राष्ट्रीय शैक्षिक उद्देश्यों के अनुकूल समाज के पुनर्निर्माण के लिये अपेक्षित है।

प्राथमिक शिक्षा वह आधारशिला है जिस पर शिक्षा के भव्य एवं सुदृढ़ भवन का निर्माण किया जाता है।

प्राथमिक शिक्षा पर विवेचन करते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों के अधिकारों तथा दूसरे शब्दों में बड़ों की जिम्मेदारी पर भी संक्षेप में चर्चा की जाये।


संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1989 को बच्चों के अधिकारों की घोषणा की गयी। इस घोषणा पत्र में 54 अनुच्छेद हैं।

अनुच्छेद 27 के अनुसार इस समझौते में शामिल देश, बच्चों की शिक्षा के अधिकार को मान्यता देते हैं, और समान अवसर के आधार पर इस अधिकार को उपलब्ध कराने में निरंतर प्रगति के लिये निम्नानुसार प्रयासरत हैं:-


1. प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाकर सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना।
2. सभी बच्चों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक सूचना और दिशा निर्देश निःशुल्क उपलब्ध तथा सुलभ कराना।
3. स्कूलों में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा पढ़ाई के बीच में ही बच्चों के स्कूल छूट जाने की दर को कम करना।
4. यह सुनिश्चित करने का उपाय करना कि स्कूल में अनुशासन लागू करने के तरीके बच्चे की मानवीय गरिमा के अनुकूल हों।

भारत में विगत डेढ़ दशक से संचालित शिक्षा नीतियां- क्रमशः वर्ष 1992, 2000, और सर्व शिक्षा अभियान 2004 यूनीसेफ की नीतियों से ही प्रेरित है। बच्चों की खुशहाली और अधिकारों को दिलाने के लिये समाज के विभिन्न वर्गों के क्या दायित्व होंगे इसे पृष्ठ (3) में चित्रित रेखाचित्र (बच्चों के अधिकार-बड़ों के कर्तव्य) से भलीभाँति समझा जा सकता है:-


बच्चों की सार्वजनिक कार्यवाही



प्राथमिक स्तर पर बच्चों का विकास : विकासात्मक वृक्ष



बच्चों की खुशहाली अनेक मोर्चों पर सार्वजनिक कार्यवाही पर निर्भर करती है। इसमें प्राथमिक शिक्षा का विशेष महत्व है। यूनीसेफ ने बच्चों की सर्वांगीण खुशहाली संबंधी अग्रलिखित ढाँचे का सुझाव दिया है:-



प्राथमिक शिक्षा का बालक तथा समाज के जीवन में विशेष महत्व है। इस अवस्था पर बालक के विकास की नींव पड़ती है। नींव जितनी सुदृढ़ होगी उतना ही सुदृढ़ विकास होगा। अतः इस अवस्था में उद्देश्यों का उचित ढंग से निर्धारण करना तथा उनकी पूर्ति के लिये भरसक प्रयास करना आवश्यक है। भारत में प्राथमिक शिक्षा के निर्धारित उद्देश्य उसके महत्व का ही प्रतिपादन करते हैं। मूलतः ये उद्देश्य भारतीय संविधान में दर्शाए गये मूल्यों पर ही आधारित हैं। शिक्षा के ये उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

1. बच्चों में इस प्रकार के गुणों का विकास करना, जिससे कि वे स्वस्थ मानसिक जीवन जी सकें।

2. सीखने के आधारभूत तत्वों की जानकारी देना।
3. बच्चों के भौतिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा सौंदर्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनके व्यक्तित्व का समेकित विकास करना।
4. बालकों को स्वस्थ नागरिकता के लिये तैयार करना।
5. बालकों में राष्ट्रीय भावना जाग्रत करना।
6. बालकों में देश की स्वस्थ परंपराओं और सांस्कृतिक विकास के प्रति आदर तथा स्नेह जाग्रत करना।
7. बालकों में कर्तव्यनिष्ठा के भावों का विकास करना।
8. बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना।
9. बालकों में श्रम के प्रति आदर भाव उत्पन्न करना।
10. बालकों को पर्यावरण से संबंधित जानकारी प्रदान करना।
11. बालकों का जनसंख्या संबंधी ज्ञान बढ़ाना।
12. भाईचारे की भावना का विकास करना।
13. अन्तर्राष्ट्रीय भावों का विकास करना।
14. बालकों में सभी धर्मों के प्रति समभाव विकसित करना।
15. उपयुक्त क्रियाओं तथा अनुभवों के प्रावधानों द्वारा बच्चों को उच्च जीवन के लिये तैयार करना।

“प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, बेसिक तालीम, नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, आधारभूत शिक्षा— ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। इन सभी का मुख्यतः एक ही अर्थ है। यद्यपि लेखकों, समितियों एवं आयोगों ने विभिन्न शब्दावली का प्रयोग किया है।”- जे. सी. अग्रवाल¹

मौटे तौर पर यह शिक्षा स्तर साविधिक अथवा नियमित शिक्षा का प्रथम सोपान है, जिसमें बच्चों के लिये आवश्यक ज्ञान, कौशलों तथा अभिवृत्तियों का विकास किया जाता है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चलता है कि पाँच वर्ष पूर्ण करने पर बच्चे की

¹ जे.सी. अग्रवाल; भारत में प्राथमिक शिक्षा; पृ.22 शैक्षिक विषयों पर सशक्त प्रबुद्ध लेखन के लिए सुपरिचित श्री अग्रवाल शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में शिक्षा अधिकारी, सहायक शिक्षा निदेशक, शिक्षा सलाहकार, दिल्ली पुलिस उप शिक्षा निदेशक आदि पदों पर रहे हैं।

वाक् शक्ति, स्नायविक विकास, ध्यान केन्द्रित करने, स्कूल संबंधों को समझने की क्षमता का विकास हो जाता है। अतः यह शिक्षा पाँच वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही प्रारंभ होती है और आठ वर्षों तक अर्थात् चौदह वर्ष की आयु तक दी जाती है। भारत के कुछ राज्यों में प्राथमिक शिक्षा का कार्यकाल 7 वर्ष भी है। यह चरण शिशु शिक्षा और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के बीच का कार्यक्रम है।

बुनियादी शिक्षा में, जिसका सूत्रपात गाँधीजी ने 1937 में किया, इस स्तर के सात वर्ष अर्थात् सात वर्ष से चौदह वर्ष निर्धारित किये।

1944 में प्रस्तुत की गयी सार्जेंट रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा दो स्तरों में विभाजित की गई- प्रथम जूनियर बेसिक, कक्षा 1 से 5 (6 से 11 वर्ष) तक तथा द्वितीय सीनियर बेसिक, कक्षा 6 से 8 (11 से 14 वर्ष) तक।

1950 में बने भारत के संविधान में प्रारंभिक अथवा प्राथमिक शिक्षा आदि शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया। इसके अनुसार- “सभी बालक-बालिकाओं के लिये चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा” देने की बात कही गयी है।

1952-53 के माध्यमिक शिक्षा आयोग ने प्राइमरी अथवा जूनियर शिक्षा का समय चार अथवा पाँच वर्ष बताया तथा माध्यमिक अथवा सीनियर बेसिक का तीन वर्ष।

शिक्षा आयोग (1964-65) ने प्राथमिक स्तर की शिक्षा के ढाँचे की इस प्रकार संस्तुति की- (क) चार या पाँच वर्ष का निम्न प्राथमिक स्तर। प्राथमिक अवस्था सात से आठ वर्ष तक हो सकने की मान्यता दी।

1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था

की चर्चा की गई। इसमें प्राथमिक शिक्षा आदि किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।

1977 में गठित पुनरीक्षण समिति ने प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम कक्षा 1 से 7 या 8 तक बताया।

1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्रारंभिक शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि पढ़ाई के लिए हर बच्चे का नामांकन होना चाहिए और चौदह वर्ष की आयु तक उसे अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए।

राममूर्ति शिक्षा समिति 1990 के अनुसार- प्राथमिक शिक्षा दो भागों में बांटी जा सकती है (क) प्राथमिक स्तर- कक्षा 1 से 5 तक (ब) उच्च प्राथमिक स्तर- कक्षा 6 से 8 तक।

वर्ष 2000 से संपूर्ण भारत में एक साथ संचालित सर्व शिक्षा अभियान में भी प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 5 तक) तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 6 से 8 तक) को प्रारंभिक शिक्षा में सम्मिलित किया गया है, जिसे 6 से 14 वर्ष की आयु में पूरा किया जाना है।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को जो अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, उसे प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा आदि अनेक नामों से जाना जा सकता है किन्तु सभी का सार संक्षेप कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा से ही है। शिक्षा के सार्वजनीकरण या सार्वभौमिकता की संकल्पना भारत में बहुत प्राचीन है। समय के साथ-साथ इसका अर्थ, उपयोगिता और उद्देश्य बदलते रहे। इस अर्थ में शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। जे. पी. नाइक के शब्दों में-
“शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बनाने तथा इसे राष्ट्रीय विकास से सम्बद्ध करने की आवश्यकता है। शिक्षा को भारत के जनसाधारण के उस वर्ग की ओर उन्मुख करना है, जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, ताकि उनमें

आत्म चेतना जाग्रत हो और उनकी उत्पादक क्षमतायें प्रस्फुटित होकर, उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्य में प्रभावी रूप से सहभागी बनने

योग्य बनाया जा सके।¹”

योजना आयोग के सदस्य एस. चक्रवर्ती का कथन है—
“सामाजिक पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से, जिसके लिए देश की प्रतिबद्धता है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की समस्या का निःसंदेह निर्णायक महत्व है।”

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की प्रक्रिया के तीन सोपानों का उल्लेख किया जा सकता है। ये सोपान एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध हैं। इनको ‘सार्वत्रिक प्रावधान’(Universal Provision) के नाम से जाना जाता है। प्रथम सोपान में— प्रत्येक बालक को उसके घर से कम दूरी की पाठशाला की व्यवस्था की जाए। दूसरे सोपान में सभी बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया जाए और तीसरे सोपान में जिन बच्चों ने स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, वे प्राथमिक शिक्षा समाप्त किए बिना स्कूल न छोड़ें।

वर्तमान समय में व्यक्ति को अपने जीवन यापन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार—“आज भारत राजनैतिक, सामाजिक दृष्टि से ऐसे दौर से गुजर रहा है, जिसमें परंपरागत मूल्यों के ह्रास का खतरा पैदा हो गया है और समाजवाद, धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र तथा नैतिकता के लक्ष्यों की प्राप्ति में निरंतर बाधाएँ आ रही हैं.....
..... वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का लक्ष्य है— सामाजिक वातावरण तथा जन्म के संयोग से उत्पन्न पूर्वाग्रहों एवं कुण्ठाओं को समाप्त करना।”

¹ जे. पी. नाइक; एलीमेंट्री एजुकेशन इन इण्डिया— अ प्रामिस टू कीप - पृ. 1


जपनद झाँसी में शिक्षा का विस्तार करने और उसका सामाजिक-आर्थिक महत्व समझाने के प्रयास में, प्रस्तुत शोध में जब कार्य योजना के अनुसार 200 अभिभावकों का 'शिक्षा के महत्व' के सम्बन्ध में विचार जानने के लिए प्रश्नावली के माध्यम से साक्षात्कार लिया गया तो शिक्षा के महत्व के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य सामने आए:-

सारणी: {1.1}
शिक्षा का महत्व

क्र.	कारण	संख्या	प्रतिशत
1	साफ,सफाई और स्वास्थ्य	42	21
2	बैंकिंग,बीमा सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न कर पाना	54	27
3	स्वरोजगार में सहायता	12	6
4	सरकारी नीतियों और योजनाओं के विषय में जानकारी होना	20	10
5	अपने सामाजिक अधिकारों और दायित्वों से परिचित होना	26	13
6	किसी विषय में जानकारी प्राप्त कर स्वयं लाभान्वित होना और दूसरों को लाभ पहुँचाना	46	23
	योग:-	200	100

सारणी 1.1 से स्पष्ट है कि 200 न्यादर्श व्यक्तियों को भी शिक्षा का बहुआयामी महत्व का ज्ञान नहीं है। विकास की सरकारी नीतियाँ विफल ही इसलिए होती हैं कि व्यक्ति सशिक्षित नहीं होते। अधिकाँश व्यक्तियों का मानना है कि पढ़ लिखकर नौकरी ही की जाती है। कृषि कार्यों या स्वरोजगार में शिक्षा का क्या काम? जहाँ तक बात सामाजिक अधिकारों और कर्तव्यों की है तो बहुत कम 13 प्रतिशत लोग ही इस शिक्षा से संबंध स्थापित कर पाए। उपरोक्त सारणी का ग्राफीय प्रदर्शन निम्न ग्राफ में प्रस्तुत है:-

शिक्षा का महत्व



- साफ, सफाई और स्वास्थ्य
- बैंकिंग, बीमा सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न कर पाना
- स्वरोजगार में सहायता
- सरकारी नीतियों और योजनाओं के विषय में जानकारी होना
- अपने सामाजिक अधिकारों और दायित्वों से परिचित होना
- किसी विषय में जानकारी प्राप्त कर स्वयं लाभान्वित होना और दूसरों को लाभ पहुँचाना

शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन

व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर ही अपना विकास करता है एवं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसकी उन्नति समाज में रहकर ही सम्भव है। शिक्षाविद् **टी रेमाण्ट** के अनुसार- “समाजविहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है।” समाजवादी विचारकों के अनुसार मनुष्य अपने लिए नहीं वरन् अपने देश और राज्य के लिए जन्म लेता है।

शिक्षा का उद्देश्य केवल वैयक्तिक होने पर समाज की उपेक्षा होती है और केवल सामाजिक होने पर व्यक्ति का महत्व कम हो जाता है। **जान इयूबी** का कहना है- “विद्यालय मुख्यतः एक सामाजिक संस्था है, क्योंकि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसलिए विद्यालय सामान्यतया सामुदायिक जीवन का वह स्वरूप है, जिनमें वे साधन केन्द्रित होते हैं जो बालक को अपनी शक्तियों को समाज के हित के लिए प्रयोग करने के लिए तैयार करते हैं।”

शिक्षा व्यक्ति के विकास के लिए है। व्यक्ति और समाज को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। स्वार्थवादिता से व्यक्ति पूर्णतया संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति और समाज एक दूसरे पर आश्रित हैं। व्यक्ति समाज की अमूल्य संपत्ति है तथा समाज में ही रहकर व्यक्ति सुख व संतोष प्राप्त कर सकता है। समाज के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। समाज के विकास के द्वारा ही व्यक्ति का कल्याण हो सकता है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक **प्रो. रईस अहमद** के शब्दों में- “व्यक्ति के हितों तथा राष्ट्रीय या सामाजिक आकांक्षाओं में परस्पर बिल्कुल विरोध नहीं है’ यह विचार अनेक भारतीय दार्शनिकों का है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि यही विचार हमारी वर्तमान संकल्पना का मूलाधार है, जिसके अनुसार भारत के लोग समाजवाद तथा प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहते हैं।”

शिक्षा व्यक्ति के विकास के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन का भी साधन है। शिक्षा के द्वारा ही लोगों में फूट डालने वाली संकीर्ण प्रवृत्तियों जैसे- जातीयता, सांप्रदायिकता, छुआछूत आदि के स्थान पर बालकों में राष्ट्रीय एकता, प्रजातंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि मूल्यों का विकास किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही उन्हें स्वार्थ रहित होकर समाज तथा देश के कल्याण के लिए कार्य करना सिखाया जा सकता है। शैक्षिक प्रयासों के द्वारा ही बालकों को इस योग्य बनाया जा सकता है कि वे वर्तमान समाज के 'कलंकों' को धोकर समाज को उनसे मुक्ति दिला सकें। परस्पर हितों का सामंजस्य किये बिना हम उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है- भारतीय समाज में निर्धनता का निवारण करने तथा उसे अभाव से मुक्ति दिलाने के लिये मानवीय ज्ञान तथा दृष्टिकोण में गंभीर परिवर्तन करने होंगे। यदि ये परिवर्तन बिना हिंसक क्रांति के करने हैं तो केवल एक ही साधन प्रयुक्त किया जा सकता है, और वह है- शिक्षा। दूसरे अभिकरण भी परिवर्तन करने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन केवल राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली ही वह साधन है, जो कि सब लोगों तक पहुँच सकती है। अन्य शब्दों में शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का एक मात्र साधन है।

सामाजिक परिवर्तन द्वारा ही परंपरागत अनुपयोगी जीवन की स्वीकृत विधाओं को त्याग कर युग की माँग के अनुरूप नवीन विचारधारा को अपनाया जाता है। उपरोक्त परिवर्तन के कारकों के प्रभाव स्वरूप नवीन सामाजिक मूल्यों की स्थापना हेतु जनमानस बनता है तथा उसके लिये प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। सामाजिक परिवर्तन समाज की गतिशीलता को बनाये रखता है, जो प्रगति का परिचायक है। लोगों के जीवन स्तर को उच्च बनाने, राष्ट्रीय विकास में गति लाने, जनतांत्रिक जीवन शैली अपनाने तथा लोगों के नैतिक उत्थान में ही सामाजिक परिवर्तन की

प्रभावोत्पादकता निहित है। आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकीकरण की एकांगी एवं अनियंत्रित प्रगति के कारण विकसित पाश्चात्य देशों में जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं उनके कारण अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म मिला है। स्थिति एवं परिवर्तन की यह दशा हमारे देश के अनुकूल नहीं है। हमें सामाजिक परिवर्तन की ऐसी दिशा चाहिए जो भारतीय संस्कृति और आधुनिक विचारों का समन्वय कर सके। **कोठारी शिक्षा आयोग** के शब्दों में- “इसमें संदेह नहीं कि यूरोप का सबसे बड़ा योगदान वैज्ञानिक क्रांति है। यदि विश्वास और क्रिया के सृजनात्मक समन्वय विज्ञान और अहिंसा सहयोग करे तो मानवता, सप्रयोजनता, समृद्धि और आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि के एक नए स्तर को प्राप्त कर सकेगी।”

मानव मस्तिष्क स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है। मानव मस्तिष्क की काल्पनिक शक्ति विलक्षण होती है। मानव विचार की गति प्रकाश की गति से भी तीव्र होती है। लेकिन मानसिक अभिवृत्तियाँ बड़ी धीरे-धीरे बदलती हैं। समाज में परिवर्तन लाने के लिये ऐसे व्यक्तियों को दीक्षित करने की आवश्यकता है, जिससे समाज का अति निकट का संपर्क हो। शिक्षक समाज में अग्रणी स्थान रखते हैं। **प्रो. देवकीनंदन प्रसाद यादव** ने एक स्थान पर अपने भाषण में कहा है- “प्राथमिक शिक्षक राष्ट्र के ऐसे राजदूत हैं; जो प्रत्येक गांव में रहते हैं और जिनका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से सामाजिक विकास की गति को तेज करना है। इनके परिश्रम और सहयोग के बगैर भारत में समाजवाद, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता- जो हमारे संविधान में निहित है, प्राप्त नहीं हो सकते। यह सर्वथा असंभव है कि बगैर इन शिक्षकों के सहयोग के हम इन उद्देश्यों की संप्राप्ति कर सकें।”

आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंस के **प्रो. डॉ. टन्डन** ने बच्चों के स्वास्थ्य के सुधार के संबंध में अपने एक उद्बोधन में कहा है- “शिक्षक समाज का ऐसा सदस्य है जो न

केवल बच्चों को पढ़ाता है, बल्कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है और स्वास्थ्य व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए शिक्षक की जिम्मेदारी केवल किताबों को पढ़ाने की ही नहीं है बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी है। स्वास्थ्य के संबंध में मोटी-मोटी जानकारी शिक्षक भी रखते हैं और यह उन्हें प्रदान भी की जा सकती है। विशेष जानकारी के लिये जो स्वास्थ्य सेवा अधिकारी प्रायः हर विकास क्षेत्र में हैं, उनकी सेवायें उपलब्ध करायी जा सकती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षक समाज इस बात के लिए जागरूक हो।”

कोठारी शिक्षा आयोग की मान्यता है- “इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा स्तर और राष्ट्रीय विकास में उसके योगदान को जितनी भी बातें प्रभावित करती हैं, उनमें शिक्षकों की गुणवत्ता, क्षमता और चरित्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।..... इस समय इस बात की बहुत आवश्यकता है कि आर्थिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए निरंतर भरपूर प्रयत्न किए जायें ताकि योग्य युवक-युवतियाँ इस व्यवसाय के प्रति आकर्षित हों और उन्हें सेवा भाव से काम करने वाले उत्साही तथा संतुष्ट कार्यकर्ता की तरह इस व्यवसाय में रोका जा सके।” मुदालियर शिक्षा आयोग ने भी माना है कि शिक्षा की पुर्नरचना में सबसे महत्वपूर्ण घटक शिक्षक है, उसकी व्यक्तिगत योग्यतायें, शैक्षिक योग्यतायें, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा समाज में उसकी प्रतिष्ठा है।¹

डॉ. कर्ण सिंह ने भी प्राथमिक शिक्षकों के सम्मान में अपने एक उद्बोधन में कहा है- “प्राथमिक शिक्षक ही समाज में क्रांति लाने वाले हैं। भारत के भविष्य निर्माता ये शिक्षक स्वयं हैं।”

¹ मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग- पृ.155
2.कोठारी शिक्षा आयोग- पृ.52

जनपद का संक्षिप्त परिचय

वीरांगना लक्ष्मीबाई का नगर झाँसी जनपद उ.प्र. के दक्षिण में स्थित है। इसके पूर्व में हमीरपुर एवं महोबा जिले हैं और उत्तर में जालौन जिला है। इस जनपद के दक्षिण में ललितपुर जनपद स्थित है। दक्षिण तथा पश्चिम में म.प्र. के टीकमगढ़, शिवपुरी तथा दतिया जिले की सीमायें हैं। जनपद झाँसी उ.प्र. की दक्षिणी-पश्चिमी सीमा पर $25^{\circ}30'$ और $24^{\circ}27'$ उत्तरी अक्षांश एवं $78^{\circ}40'$ और $79^{\circ}25'$ देशान्तर के मध्य स्थित है।

जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 5025 वर्ग किमी. है। जिसे पृथक-पृथक दो भौतिक इकाइयों में बांटा जा सकता है- उत्तर में निचला स्तर उपजाऊ भूमि का भू-भाग तथा दक्षिण में पठारी भू-भाग। उत्तर भू-भाग की अधिकांश भूमि समतल एवं मैदानी है, जिसमें कहीं-कहीं पर छोटी-छोटी पहाड़ियाँ फैली हैं। इस क्षेत्र में झाँसी, मौँठ, गरौठा और मऊरानीपुर का उत्तरी भाग आता है। बेतवा, धसान और पहूज यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। खनिजों में बालू, ग्रेनाइट, पायरोफलाइट, प्रमुख रूप से यहाँ प्राप्त होते हैं। बेतवा, धसान और पहूज नदियों का बहाव पूर्वोत्तर दिशा की ओर है। बेतवा यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। जिससे जनपद के बहुत बड़े हिस्से में सिंचाई होती है। पहूज नदी पर सिमरधा बाँध बनाया गया है।

जनपद की जलवायु समशीतोष्ण है। जिसके कारण ग्रीष्मकाल में काफी गर्मी और शीतकाल में काफी ठण्ड पड़ती है। यहाँ मध्य नवम्बर से अधिक ठण्ड रहती है व गर्मी में आद्रता 20 प्रतिशत से भी कम हो जाती है, और गर्म हवायें चलती हैं। जिले में वर्षा का सामान्य औसत 850 मिली मीटर है, लेकिन वर्षा कभी अधिक और कभी कम होती है। जनपद में गेहूँ, जौ, मटर, चना, मसूर आदि रबी की फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ की फसल में धान, मूँग, मूँगफली, तिल आदि फसलें होती हैं।

जनपद में 760 आबाद ग्राम, 444 ग्राम पंचायतें, 65 न्याय पंचायतें, 6 नगर पालिकायें, 7 नगर पंचायतें, 2 छावनी क्षेत्र तथा एक नोटीफाइड एरिया है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से जनपद झाँसी में पाँच तहसीलें क्रमशः झाँसी, मौँठ, मऊरानीपुर, गरौठा और टहरौली हैं। विकास की दृष्टि से जनपद को 8 विकासखंडों- बबीना, बड़ागाँव, बंगरा, मौँठ, मऊरानीपुर, चिरगाँव, बामौर एवं गुरसरॉय में बांटा गया है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल आबादी 17.46 लाख है। वर्ष 1991 में यह 14.30 लाख थी। इस प्रकार विगत दशक में 3.17 लाख की वृद्धि आबादी में दर्ज की गयी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या में 9.34 लाख पुरुष और 8.13 लाख महिलायें हैं। यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर 1991 और 2001 के दशक में 2.22 प्रतिशत रही। यहाँ औसतन 1000 पुरुषों पर 870 महिलायें हैं। जनपद में जनसंख्या का घनत्व 348 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है।

शैक्षणिक परिदृश्य:- वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 66.69 प्रतिशत है। जो वर्ष 1991 में 51.60 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 80.11 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 51.21 प्रतिशत है। वर्ष 1991 की जनगणना की तुलना में वर्ष 2001 में साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 1991 में जनपद में पुरुष साक्षरता दर 66.80 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 33.80 प्रतिशत थी। इस प्रकार विगत दशक में जनपद में कुल साक्षरता दर में 15.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पुरुष साक्षरता दर में 13.31 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर में 17.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

झाँसी जनपद में मण्डल का मुख्यालय है। यहाँ संयुक्त शिक्षा निदेशक का एवं मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक का कार्यालय है। जनपद के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के

अध्यापकों को अकादमिक मार्गदर्शन देने हेतु यहाँ से 22 किमी. दूर बरुआसागर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है। यहाँ इंजीनियरिंग कालेज तथा मेडीकल कालेज है। छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग एक-एक पोलिटेक्निक कालेज है। राजकीय आयुर्वेदिक कालेज है। यह सभी कालेज बुन्देलखंड विश्वविद्यालय झाँसी के अधीनस्थ है। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित यहाँ केन्द्रीय विद्यालय एवं एक नवोदय विद्यालय भी है। जनपद में 11 डिग्री कालेज हैं, जिनमें 3 बालिकाओं के लिए हैं।

अध्ययन विधि

अध्ययन के उद्देश्य:- स्वतंत्रता के 60 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत में निरक्षरता का बने रहना निश्चय ही बड़ी चिन्ताजनक स्थिति की ओर संकेत करता है। शिक्षा का महत्व समाज में ज्ञान के प्रसार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के समग्र विकास के लिए शिक्षा और साक्षरता बहुत आवश्यक है। शिक्षा के प्रसार के बिना हम न तो जनसंख्या की समस्या का समाधान कर सकते हैं और न समाज से पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। योजना निर्माताओं ने भी यह बात महसूस की कि गरीबी, बीमारी, पिछड़ापन, जैसी समस्याओं का पूर्ण समाधान निरक्षरता दूर किये बिना संभव नहीं है। इसीलिए अब इन समस्याओं पर चौतरफा प्रहार करने की नीति अपनायी जा रही है ताकि किसी एक कमी की वजह से इससे जुड़ी दूसरी समस्या के समाधान पर बुरा असर न पड़े। विभिन्न प्रयासों के बावजूद प्राथमिक शिक्षा की प्रगति संतोषजनक नहीं है। 'सर्वशिक्षा अभियान ड्राफ्ट 2004' के कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं। गांव के एक-एक बच्चे का विद्यालय में पंजीयन है और हम शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, पर कहीं कमियाँ हैं। सरकारी स्कूल प्रायः खाली हैं, विद्यालयों की इमारतें जर्जर हैं, न वहाँ श्यामपट हैं और न ही बच्चों के बैठने के लिए फर्श। शहरों की देखादेखी कस्बों में भी पब्लिक स्कूलों का चलन बढ़ रहा है। ये स्कूल अपने यहाँ उपलब्ध सुविधाओं का बखान कर, अपने को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हैं। शिक्षा को एक 'उत्पाद' बना दिया गया है। छात्र और अभिभावक अपने को हर हाल में ठगा हुआ महसूस करते हैं। श्रेष्ठता और हीनता के मापदंड गहरा गये हैं। यह सभी कुछ समाज के विघटन के लिए जिम्मेदार हैं।

भारतीय समाज में कई प्रकार की वैचारिक धारणायें भी शिक्षा के मार्ग में बाधा खड़ी करती हैं; जैसे-

- रुढ़िवादी उच्चवर्गों का विश्वास है कि निम्न जातियों के जनसमुदाय को शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

- गॉंधीजी के इस विचार की भ्रामक व्याख्या, कि “साक्षरता मात्र को शिक्षा नहीं माना जा सकता।”
- कुछ क्रांतिकारी विचारकों का मानना है कि शिक्षा व्यवस्था तो निम्नवर्ग को गुलाम बनाए रखने का जरिया मात्र है अथवा सड़ी गली “औपनिवेशिक व्यवस्था का भग्नावशेष ही है।”
- शिक्षा परंपरागत (पुश्तैनी) व्यवसाय में लोगों की अरुचि ही बढ़ाती है।
- पढ़ा-लिखा व्यक्ति गाँव छोड़कर शहरों की ओर पलायन करता देखा गया है।
- बुन्देलखण्डी भाषा में- “मोढ़ियन को पढ़ाव तो मो चलाउतीं” जैसी मानसिकतायें स्त्री शिक्षा के मार्ग में विशेष बाधाएँ हैं।

शिक्षा के महत्व को देखते हुए इस प्रकार के विकृत विचारों को तुरंत ही दरनिकार कर देने की आवश्यकता है। हमको यह बात बहुत अच्छी तरह समझनी-समझानी होगी कि भूखे व्यक्ति को भोजन कराने की अपेक्षा उसे भोजन अर्जित करने की कला सिखाने का धर्म अधिक बड़ा है। विद्या विनम्रता, संस्कार, योग्यता, भौतिक सुख साधनों और धर्म का साधन है।

“विद्या ददाति विनयं, विनयाद् याति पात्रताम्।

पात्रत्वाद् धनमाप्नोति, धनाद् धर्मः ततः सुखम्॥”

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विषय की प्रासंगिकता और समीचीनता को देखते हुए शोध विषय के रूप में ‘प्राथमिक शिक्षा का अर्थशास्त्र’ शब्द का चयन किया गया है। यहाँ एक तथ्य उल्लिखित करना चाहूँगी। जब इस विषय पर शोध कार्य की रूपरेखा ‘शोध उपाधि समिति’(RDC) की बैठक में प्रस्तुत की गई तो वहाँ उपस्थित सदस्यों ने इसके दो अध्यायों को पुनरीक्षित कर पुनः प्रस्तुत करने को कहा। तब प्रस्तावित कार्ययोजना में शीर्षक ‘प्राथमिक शिक्षा’ के स्थान पर ‘प्रारम्भिक शिक्षा’ शब्द का प्रयोग किया गया था। जब अध्यायों का पुनरीक्षण करने हेतु विद्वत्जनों की सलाह ली गई तो उन्होंने शीर्षक को भी स्पष्ट करने के लिए

‘प्राथमिक शिक्षा’ शब्द को अधिक उपयोगी बताया। बाद में गहन अध्ययन के दौरान यह बात स्पष्ट हो गई कि प्राथमिक शिक्षा/ प्रारम्भिक शिक्षा/ बुनियादी शिक्षा आदि शब्दों का आशय एक ही है, वह यह कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा। अर्थात् 5 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की शिक्षा। इस प्रकरण ने एक बार फिर श्रीमति बारबरा बूटन के इस कथन की पुष्टि कर दी कि “जहाँ छः अर्थशास्त्री होते हैं, वहाँ सात मत होते हैं।”

“प्राथमिक शिक्षा का अर्थशास्त्र” समस्या का चयन सामाजिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। भारत में शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के लिए संसाधनों की कमी तो आड़े आती है, साथ ही लोगों की मानसिकतायें, सरकारी नीतियाँ भी इसकी राह में रुकावट रहीं हैं। यदि सरकार अपने संसाधनों और अभिकर्ताओं के द्वारा लोगों की मानसिकता बदलने में कामयाब होती है तो हम साक्षरता के शत-प्रतिशत लक्ष्य को पा सकेंगे। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार निर्धारित किये गये हैं:-

1. जनपद झाँसी के सन्दर्भ में सरकार के सर्वशिक्षा अभियान ड्राफ्ट सन 2004 की विश्द समीक्षा करना - प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा और बढ़ती आबादी के बीच संतुलन, पूरी व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 2001 में भारत सरकार की सहायता से सर्वशिक्षा अभियान योजना आरम्भ की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक दृष्टिकोण अपना कर तथा 6 से 14 वर्ष की आयु समूह वाले सभी बच्चों को 2010 तक स्तरीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान करके स्कूल प्रणाली के कार्य निष्पादन को बेहतर बनाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भिक स्तर पर लिंग भेद तथा सामाजिक विसंगतियों को समाप्त करना है।
2. स्थानीय स्तर पर सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा हेतु उपलब्ध संसाधनों की पर्याप्तता पर प्रकाश डालना - स्वतन्त्रता प्राप्ति के

बाद प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और विस्तार के लिए भरसक प्रयत्न हुए परन्तु रूढ़िगत मान्यताओं के चलते बालिकाओं और पिछड़ी जातियों की शिक्षा का सार्वजनीकरण नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिसर के अन्तर्गत 1993 से प्राथमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार एवं बाह्य सहायता से कई योजनाएँ आरम्भ की गईं। सर्वशिक्षा अभियान से आच्छादित जनपदों में प्रत्येक विद्यालय को वातावरण में सुधार करने, सौन्दर्यीकरण, मरम्मत तथा साजोसमान के क्रय हेतु 2 हजार रुपये हर साल अनुदान दिया जा रहा है।

3. निजी और सरकारी क्षेत्र के विद्यालयों की असमानताओं को दूर कर, समान शिक्षा नीति की ओर विद्वतजनों का ध्यान आकृष्ट करना - स्कूली वातावरण में अनुशासन के अभाव में दुर्व्यवस्था फैली रहने के कारण, बच्चे-बच्चियाँ सरकारी स्कूलों को छोड़कर निजी स्कूलों में जा रहे हैं। शहरों के पब्लिक स्कूल की तर्ज पर संचालित होने का दंभ भरते ये निजी ग्रामीण स्कूल शिक्षा के नाम पर अमूमन ठगी का सिक्का चलाते हैं। शिक्षा प्रविधि और संसाधनों की उपलब्धता पर जोर देने के बजाय ये स्कूल ग्रामीण अभिभावकों की उस हीनभावना का नाजायज शोषण करते हैं जो अपने बच्चों को आला शहरी शिक्षा न मुहैया करा पाने के कारण उन्हें सालती रहती है। आवश्यकता है दृढ़ राजनीतिक संकल्प की, प्रशासनिक निपुणता और क्षमता की, विशिष्ट वर्गों में शिक्षा के क्षेत्र में अभिजात्य और अभिवंचित वर्ग के बच्चों के बीच बढ़ती हुई खाई से उत्पन्न होने वाली विषम परिस्थिति को पहचानने की, स्वयंसेवी संस्थाओं के आगे बढ़कर नेतृत्व लेने की, शैक्षणिक संस्थाओं को अपने दायित्व को पूरा करने की।
4. प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध स्थानीय संसाधनों से कैसे व्यावहारिक, रोचक और उपयोगी बनाया जाए, इसकी व्याख्या करना - प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में पठन-पाठन के विद्यालयों के बच्चों

में पठन-पाठन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए कक्षा 1 से 5 तक की नई पाठ्य पुस्तकों के अनुरूप शिक्षक संदर्शिकाएं बनाई गई हैं। इस दिशा में बहुकला शिक्षण एवं विद्यालयों के लिए विभिन्न क्रियाकलापों के विकास की भी बात की गई है। अध्यापन संबंधी कला में परिवर्तन एवं परिवर्धन पर भी विचार किया गया है।

अध्ययन विधि - प्रस्तुत शोध प्रबंध में क्षेत्रीय अनुसंधान विधि को अपनाया गया है। क्षेत्रीय अध्ययन विशेष रूप से विद्वानों की भारी माँगों को ध्यान में रखते हुए, साधन और स्रोतों को दृष्टि में रखते हुए, जिनकी तुलनात्मक अध्ययन में बाद में आवश्यकता पड़ेगी, हेतु न केवल न्यायोचित है बल्कि अति आवश्यक है।

क्षेत्रीय अध्ययन के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान विधि को अपनाया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान विधि में शोध कार्य के प्रारंभ से अंत तक निम्न अवस्थाएँ होती हैं:-¹

- ❖ शोध का प्रयोजन
- ❖ शोध का क्षेत्र
- ❖ तथ्य संकलन की पद्धति
- ❖ न्यादर्श का रूप तैयार करना
- ❖ प्रश्नावलियाँ तथा अनुसूचियाँ तैयार करना
- ❖ समंक संकलन
- ❖ समंकों का वर्गीकरण, सारणीयन तथा विवेचन
- ❖ समंको का विश्लेषण तथा अर्न्तवचन
- ❖ प्रतिवेदन तैयार करना

प्रस्तुत शोध की विषय सामग्री इन सभी अवस्थाओं का परिणाम है। अध्ययन के निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु, समय, श्रम व धन को व्यर्थ जाने से बचाने हेतु प्रस्तुत शोध में तथ्य संकलन की न्यादर्श विधि का प्रयोग किया गया है, क्योंकि निदर्शन विधि अनुसंधान के लिए अत्याधिक परिमाण में समंकों का अध्ययन

¹ Z.H. Bready; Comparative method in education

करने के लिए कभी-कभी एकमात्र संभवतः व प्रायः सर्वाधिक व्यावहारिक और सामान्यतः अधिक कुशल साधन हैं। यथार्थ में "निदर्शन समय का सूक्ष्म प्रतिनिधित्व करता है।"¹

बोगार्डस के शब्दों में, "निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों को एक समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव है।"

प्रस्तुत अध्ययन में बहुस्तरीय दैव निदर्शन विधि को प्राथमिक समंक संकलन का आधार बनाया गया है। निदर्शन का आकार निर्धारित करने के लिए जनपद को 4 तहसील और 8 विकासखंडों में बांटा गया है। प्रत्येक विकासखंड से 5-5 गांवों को न्यादर्श के रूप में लाटरी सिस्टम के आधार पर चयनित किया गया। चयनित न्यादर्श ग्रामों से 5-5 व्यक्तियों का प्रश्नावली के माध्यम से साक्षात्कार लिया गया। इस प्रकार न्यादर्श का $8 \times 5 = 40$ गांव; $40 \times 5 = 200$ व्यक्ति निर्धारित किया गया है। अध्ययन में प्राथमिक समंक लिये गये। श्रीमति यंग के शब्दों में, "प्राथमिक तथ्य सामग्री प्रथम स्तर पर एकत्रित की जाती है। इसके संकलन तथा प्रकाशन का उत्तरदायित्व उस अधिकारी पर रहता है, जिसने मौलिक रूप से उन्हें एकत्र किया था।"²

साक्षात्कार हेतु प्रश्नावली तथा अनुसूची तैयार की गई है जिसका प्रारूप परिशिष्ट में संलग्न है। प्रश्नावलियाँ विचार विमर्श एवं जनसंपर्क के आधार पर तैयार की जाती हैं। प्रश्नावली एक ऐसा विवरण होता है, जिसमें प्रश्नों के उत्तरों के रूप में प्राप्त सूचना का उल्लेख किया जाता है। अनुसूची एक खाली प्रपत्र होता है जिसमें तथ्यों का विवरण एक सारणी के रूप में दिया जाता है, जिसके सामने प्राप्त सूचना का उल्लेख किया जाता है। ये तथ्य साधारणतया प्रश्नों के रूप में नहीं होते।

¹ Good & Hatt ; Methods in Social Research, p-209

² Paulive V. Young ; Scientific Social Surveses and Research Prectice Hall of India Pvt. Ltd. New Delhi, 1973 ,P136

गुड एवं हाट के शब्दों में, “अनुसूची उन प्रश्नों का नाम है, जो शोधार्थी द्वारा किसी व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं।”¹

प्रस्तुत शोध कार्य में प्रयुक्त प्रश्नावली और अनुसूची में ऐसे प्रश्नों का समावेश किया गया है, जो शोधकार्य के उद्देश्यों के अनुरूप हों। प्रश्नावली को वर्णात्मक शोध का प्राण माना जाता है।

प्रश्नावली तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा गया है:-

- 1- प्रश्नों की संख्या आवश्यकता से अधिक न हो, जिससे कि उत्तरदाता को उत्तर देने में कठिनाई न हो और न ही शोधार्थी शोध के उद्देश्य से भटक जाए।
- 2- शोधकार्य में प्रयुक्त प्रश्नावली के प्रश्न सरल, प्रत्यक्ष व स्पष्ट हों।
- 3- प्रश्न अध्ययन की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करते हों।
- 4- प्रश्नावली में प्रश्नों की क्रमबद्धता का ध्यान रखा गया है।
- 5- व्यक्तिगत जीवन से संबंधित गोपनीय एवं भावनाओं को टेस पहुँचाने वाले प्रश्न नहीं पूछे गये हैं।

प्रस्तुत शोध में संकलित प्राथमिक समंक सर्वथा नवीन हैं और पहली बार संकलित किये गये हैं। जिनका प्रयोग करके जनपद में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आर्थिक मूल्यांकन किया गया है।

शोध कार्य में प्रयुक्त द्वितीय समंकों का संकलन अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन, संस्थानों के प्रकाशन, पत्र-पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशित स्रोतों, कार्यालयों के द्वारा किया गया है।

संकलित समंकों का संपादन कर, सारणियों द्वारा प्रदर्शित करके उन्हें और भी उपयोगी बनाया गया है। जिससे अध्ययन से समुचित निष्कर्षों को निकाला जा सके। सारणीयन के अन्तर्गत हस्त

¹ Good & Hatt ; Methods in Social Research, New York ; Mc Graw Hill p- 210

सारणीयन पद्धति¹, टेलीशीट² का प्रयोग किया गया है। सारणी के विश्लेषण के लिए औसत, दर, अनुपात, गुणक, प्रतिशत आदि निकाले गये हैं। विभिन्न तर्कों का प्रयोग कर अर्न्तवचन किया गया है। जिसके द्वारा निकाले गये निष्कर्षों को अंतिम अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। सारणियों को स्पष्ट करने के लिए आरेखीय प्रदर्शन तथा ग्राफ का भी प्रयोग किया गया है।

अध्ययन की सीमार्येः- प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रिपेट के अनुसार “तकनीकी अथवा किसी अन्य क्षेत्र में अनुसंधान कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है तथा उसकी कुछ सीमार्ये होती हैं।”³ अर्थात् किसी भी क्षेत्र अथवा विषय विशेष की सीमाओं का निर्धारण कर लेना भटकाव से बचने का एक उपयुक्त सरलतम उपाय है। इसलिए प्रस्तुत शोध में अपने मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ सीमार्ये पूर्व में निर्धारित कर ली गयीं हैं। चूंकि प्रस्तुत अध्ययन सीमाबद्ध है इसलिए इसे पूर्ण अध्ययन नहीं कहा जा सकता। प्रस्तुत अध्ययन की सीमार्ये निम्नलिखित हैं:-

1. प्रस्तुत अध्ययन में केवल झाँसी जनपद के विद्यालयों और उनमें पढ़ने वाले छात्रों का अध्ययन किया गया है।
2. प्रस्तुत अध्ययन में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के विषय में जानकारी के लिए उनके अभिभावकों के साक्षात्कार लिए जाएंगे, बच्चों के नहीं। ऐसा इसलिए करना पड़ा कि प्रत्यक्ष रूप से बच्चों से जानकारी लेना संभव नहीं हो पा रहा था, बच्चे अपने माता-पिता/ अभिभावकों से प्रतिदिन बात करते हैं, जिसका विवरण अभिभावकों के साक्षात्कार में उपलब्ध हो सका है। इसके अलावा घरेलू और सामाजिक परिस्थितियों का विवरण वयस्क व्यक्ति अच्छी तरह उपलब्ध करा सकते हैं।

¹ हस्त सारणीयन पद्धति में सारणीयन हाथ से किया जाता है।

² टेलीशीट के अन्तर्गत सर्वप्रथम निश्चित समूह पर वर्गान्तरों का निर्धारण कर लिया जाता है। इसके बाद प्रत्येक सूचना को अंकित करने के लिए संदर्भित वर्गान्तरों के सामने एक रेखा खींच दी जाती है। अंत में समस्त रेखाओं को जोड़कर योग निकाल लिया जाता है।

³ B.N. Gupta ; Statistics, P- 26

3. जनपद में पूर्व में 4 तहसील और 8 ब्लाक थे। किन्तु अभी हाल में एक नई तहसील 'दहरोली' बनाई गयी है। जबकि विकासखंड 8 ही हैं। अतः निदर्शन का आकार निर्धारित करते समय बहुस्तरीय दैव निदर्शन विधि में प्रथम स्तर पर विकासखंडों को ही आधार बनाकर, उनसे 5-5 गाँव न्यादर्श के रूप में चयनित किए गए हैं।

द्वितीय अध्याय

प्राथमिक शिक्षा पर अमर्त्य

सेन के विचार

प्राथमिक शिक्षा पर अमर्त्य सेन के विचार

नोबेल पुरुस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रो. अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र को सार्वजनिक योगक्षेम से जोड़कर गरीबी और अभाव से पीड़ित दुनियाँ के लिये एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनके द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के आधार पर अब न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास तथा अर्थनीति के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं ने कार्य करना आरंभ कर दिया है, वरन् अनेक देशों की सरकारें भी उनके अनुसार कार्य करके लाभ उठाने लगी हैं। प्रो. सेन को नोबेल पुरुस्कार से सम्मानित किये जाने के बाद से तो यह प्रवृत्ति और भी अधिक बढ़ गयी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने प्रो. सेन की प्रशंसा में ठीक ही कहा है- "दुनियाँ के गरीबों और पीड़ितों के लिये प्रो. अमर्त्य सेन से बढ़कर कोई हितचिंतक नहीं है। उनकी रचनाओं ने विकास के चिंतन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है।" इसी प्रकार नोबेल पुरुस्कार से सम्मानित विश्वविख्यात अर्थशास्त्री कैनेथ ऐरो का भी कहना है- अमर्त्य सेन ने अपनी यह आकर्षण धारणा- कि आर्थिक विकास का उद्देश्य मनुष्य के स्वातंत्र्य में वृद्धि है- अनेक तर्क तथा साक्ष्यों द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की है।

भारतीय होने के कारण प्रो. सेन इस देश के विकास कार्यक्रमों तथा उनकी समस्याओं के प्रति जागरुक हैं। आजादी के लगभग साठ वर्षों बाद भी भारत विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ सका है। उसी के समान प्राचीन और विशाल भूमि तथा जनसंख्या वाला देश चीन उसकी तुलना में कहीं आगे बढ़ता जा रहा है। पूर्वी एशिया के अनेक अन्य देश भी बहुत प्रगति कर चुके हैं। क्यों? प्रो. सेन का मानना है कि भारत की तुलना में उन देशों में पहले से हुआ साक्षरता प्रसार, देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार तथा स्त्री शक्ति का सभी कार्यों में आगे बढ़ चढ़ कर योगदान ही इसका प्रमुख कारण है। सामाजिक अवसरों को प्राथमिकता देने वाले इन प्रमुख कारकों का विश्लेषण अमर्त्य सेन

की दो पुस्तकों -पहली-"भारत विकास की दिशाएँ" और दूसरी "भारतीय राज्यों का विकास" में किया गया है। इसलिए "हिन्दु" समाचार पत्र लिखता है- "-----आर्थिक सुधारों के प्रमुख मुद्दों पर नया दृष्टिकोण"

"फिनेन्शियल एक्सप्रेस" भी इस लेखन पर अपने विचार व्यक्त करता है- "----- यह पुस्तक इस विषय पर विचार प्रस्तुत करती है कि जनता की क्षमतायें बढ़ाना क्यों आवश्यक है।" "टाइम्स हायर एजुकेशन सप्लीमेंट" की भी टिप्पणी है- "भारत के सामाजिक आर्थिक विकास पर बहस के लिये बिल्कुल नए मुद्दे प्रस्तुत करती है यह महत्वपूर्ण पुस्तक।" 'आउटलुक' की भी इस पुस्तक के विषय में अवधारणा कुछ ऐसी ही है- "उपेक्षितों के लिए सहानुभूति तथा निष्पक्ष विश्लेषण इस पुस्तक की विशेषता है।"

अंग्रेजों के भारत से प्रस्थान की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त 1947 को पं.जवाहर लाल नेहरू ने घोषणा की थी - "वर्षों पूर्व हमने नियति को फिर मिलने का वचन दिया था, और आज वह समय आ गया है जब हम अपना वचन पूरा करेंगे।..... आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं, यह तो उन महान उपलब्धियों और मंजिलों, जो हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं की ओर अग्रसर होने की दिशा में पहला कदम है। उस ओर चलने का एक पहला अवसर मिलना मात्र है।" उन्होंने देश को सजग किया था कि भविष्य में गरीबी और अज्ञानता तथा बीमारियों एवं अवसरों की असमानता को समाप्त करने के लिए भी प्रयास करने होंगे। आज भी हम यही पाते हैं कि नेहरू जी ने जिन कार्यों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था, दुर्भाग्यवश वे आज भी अधूरे ही हैं।

भारत की अपेक्षा अधिक तेजी से विकसित हुए देशों की आर्थिक नीतियों में भले ही कोई साम्य न हो, किन्तु उनकी सामाजिक नीतियों में समानता देखी गयी है। यह समानता प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में तो बहुत गहरी है, और भारत इन्हीं में सबसे पिछड़ गया है। इन

देशों की साझा उपलब्धियों की गाथा से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अलग-अलग अर्थनीति पर आधारित किन्तु सामाजिक नीतियों में समता रखने वाले देशों में कोरिया, ताइवान, थाइलैंड जिन्होंने बाजारनिष्ठ पूँजीवाद का सहारा लिया है। क्यूबा, वियतनाम तथा चीन (उदारीकरण से पूर्व) साम्यवादी नेतृत्व के दल में समाजवादी नीतियों अपनाने वाले श्रीलंका, कोस्टारिका और जमैका मिश्रित नीतियों पर आधारित उदाहरण है।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में तो भारत की स्थिति विश्व के गरीबतम देशों की औसत से भी गयी गुजरी रही है, यहाँ वयस्क शिक्षा दर 50 प्रतिशत तक ही पहुँची है जबकि चीन में यह 78 प्रतिशत है। घाना, इंडोनेशिया, केन्या, म्यांमार, फिलीपीन्स, जिम्बाम्बे तथा जांबिया जैसे देश जो अनेक दृष्टियों से भारत से बहुत पीछे रहे हैं, वे भी प्राथमिक शिक्षा के मामले में बहुत आगे निकल गये हैं। गरीबी, अज्ञानता, बीमारियों तथा अवसरों की विषमताओं को मिटाने में भारत की उपलब्धियाँ अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम रह गयी है। प्राथमिक शिक्षा के मामले में तो भारत विश्व के गरीब देशों के औसतन स्तर से भी पीछे रह गया है। **अमर्त्य सेन** लिखते हैं कि *“हमारा यह मत है कि साक्षरता न केवल अपने आप में एक महती उपलब्धि है बल्कि यह अन्य सामाजिक उपलब्धियों की सम्प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है।”*

द्वितीय महायुद्ध के तुरंत बाद जब विकास का अर्थशास्त्र अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना रहा था, तो वह संवृद्धि अर्थशास्त्र का ही विकृत सा स्वरूप प्रतीत होता था। इसमें संवृद्धि अर्थशास्त्र के अतिरिक्त भी कुछ प्रभावों की झलक साफ दिखाई पड़ रही थी। फिर भी संवृद्धि अर्थशास्त्र के सही उत्तराधिकारों से अपेक्षित ‘प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में संवृद्धि’ के दुराग्रह से यह विकास अर्थशास्त्र भी मुक्त नहीं था।

¹ भारत विकास की दिशाएँ : अमर्त्य सेन, ज्या द्रीज: अनुवाद- भवानी शंकर बागला, पृ. 13

आइन लिटिल ने विकास अर्थशास्त्र की परिभाषा करते हुए इसी धारणा को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि विकास अर्थशास्त्र मोटे तौर पर एडम स्मिथ से जान स्टुअर्ट मिल तक प्रतिष्ठित विचारों सहित प्रति व्यक्ति आय की संवृद्धि से जुड़े समस्त चिंतन का सार संग्रह है। यहाँ विकास अर्थशास्त्र निश्चित रूप से आय की वृद्धि पर केन्द्रित हो गया है, किन्तु लिटिल ने जिन दो विचारकों का नाम लिया है, उन्होंने वास्तविक आय की संवृद्धि पर बहुत कुछ लिखते हुए भी आय को किन्हीं महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के अनेक माध्यमों में से एक माना था। उन्होने उन उद्देश्यों पर भी बहुत खुलकर विचार व्यक्त किये हैं। तथा वे विचार यह स्पष्ट कर देते हैं कि उद्देश्य आय से किस प्रकार भिन्न हैं। वे पुरातन विद्वान इस बात को लेकर बहुत सजग थे कि एक अच्छे जीवन यापन के अवसरों की रचना में आय एवं संपत्ति के अतिरिक्त भी अनेक अन्य महत्वपूर्ण बातों का समावेश होता है। स्मिथ, मिल एवं अन्य अनेक प्रतिष्ठित राज-अर्थनीतिवेत्ताओं की रचनाओं में 'उन कार्यों को कर पाने की हमारी क्षमता जिन्हें हम महत्वपूर्ण मानते हैं' पर बहुत बल दिया गया है।

इस प्रकार मूल्यवान जीवन को अपनी इच्छानुसार जी पाने की स्वतंत्रता किसी अन्य लक्ष्य की प्राप्ति का माध्यम मात्र न होकर स्वयं अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होने इन बातों तथा आय संपत्ति एवं अन्य आर्थिक दशाओं पर बहुत खुलकर टिप्पणियाँ की हैं और आधारभूत आवश्यकताओं की संवर्धनकारी सार्वजनिक नीतियों के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। जिन परिवर्तनों को हम आर्थिक विकास का अंग मानते हैं, यहाँ तक कि नेहरु जी द्वारा निर्धारित 'कर्तव्यों' और स्मिथ तथा मिल के विचारों में कोई मतभेद नहीं है।

हाल के वर्षों में आर्थिक विकास शास्त्र भी विकास क्रम स्वरूप के व्यापीकरण की ओर ही अग्रसर होता प्रतीत हुआ है। विकास की एक झलक तो जनसामान्य की अपने मनभावन उद्देश्यों की संप्राप्ति के निमित्त प्रयास कर पाने की स्वतंत्रता भी वृद्धि में ही मिलती है। इस संदर्भ में मानवीय योग्यता के प्रसार के विकास की प्रक्रिया का एक केन्द्रीय लक्षण माना जाना चाहिए।

किसी व्यक्ति की योग्यता के विचार का उद्गम तो महान विचारक अरस्तु की रचनाओं से माना जा सकता है। किसी व्यक्ति के जीवन का दर्शन उसके द्वारा किये गये कार्यों की एक श्रृंखला के रूप में किया जा सकता है अथवा उन जीवन दशाओं के समुच्चय में जिन्हें वह व्यक्ति पा सका है। इन्हें ही व्यक्ति के कृत्यों एवं अवस्थाओं का समुच्चय माना जा सकता है। योग्यता से अभिप्राय कृत्यकारिताओं के वैकल्पिक समूहों में से चयन कर पाने की व्यक्ति की क्षमता से ही है। इस प्रकार योग्यता का विचार प्रकारांतर से स्वतंत्रता से ही जुड़ा है। यहाँ उसका संबंध इस निर्णय से है कि व्यक्ति को उपलब्ध वैकल्पिक जीवन शैलियों का प्रसार-विस्तार कितना व्यापक है। इस परिवेश में जीवन की दुरावस्था का अभिप्राय केवल व्यक्ति की गरीबी ही नहीं, बल्कि सामाजिक वैयक्तिक बाधाओं के कारण जीवन शैली के चयन के वास्तविक अवसरों के अभाव से भी है। कम आय, अति अल्प संपत्ति आदि आर्थिक गरीबी के सहज चिन्ह भी अन्ततः इसी कारण से यहाँ महत्वपूर्ण हो पाते हैं कि उनके कारण उल्लिखित योग्यतायें अर्थात् अभिलाषित जीवन यापन कर पाने की स्वतंत्रता दुष्प्रभावित होती है। **अतः गरीबी तो अंततः योग्यता से वंचित रह जाना ही है।** इस संबंध का ध्यान रखना केवल अवधारणा निरूपण के स्तर पर ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक विश्लेषण में भी आवश्यक होगा।

प्रो. अमर्त्य सेन ने 'आर्थिक विकास एवं सामाजिक अवसर' नामक निबंध में सामान्य जीवन यापन(अकाल मृत्यु की छाया से बचे रहकर) की योग्यता की स्वतंत्रता तथा निरक्षरता की बाधा से मुक्त पठन पाठन की स्वतंत्रता आदि की वंचनाओं पर ध्यान केन्द्रित करते समय भी गरीबी के व्यापक परिवेश को ही अपने विश्लेषण में पृष्ठभूमि माना है। अभाव, वंचना एवं जीवन की दुरावस्था गरीबी के ही द्योतक हैं। गरीबी का सामान्य आशय आय की कमी से सेन का सरोकार आय की कमी के कारण योग्यता प्राप्ति से वंचित रह जाना ही है।

आधुनिक काल में विकास साहित्य का मुख्य ध्यान आर्थिक संवृद्धि अर्थात् सकल राष्ट्रीय उत्पाद आदि की वृद्धि पर ही केन्द्रित रहा है। इनमें मानवीय योग्यताओं एवं क्षमताओं के संवर्द्धन को कभी पूरी तरह दृष्टिगत नहीं किया गया। आर्थिक संवृद्धि निश्चित रूप से मानवीय क्षमताओं को बढ़ा देती है। फिर भी यहाँ दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है- 1. मानवीय क्षमता संवर्द्धन पर आर्थिक संवृद्धि के अतिरिक्त और अनेक कारणों के भी प्रभाव पड़ते हैं तथा 2. संवृद्धि के योग्यता संवर्द्धन पर प्रभाव स्वयं अनेक बातों द्वारा निर्धारित होंगे। जैसे कि क्या आर्थिक संवृद्धि की प्राप्ति से रोजगार सृजन में बहुत वृद्धि हुयी है? अथवा आर्थिक सम्प्राप्ति का प्रयोग कर समाज के सबसे पिछड़े वर्गों के अभावों एवं वंचनाओं को कम करने का प्रयास हुआ है। कहने का तात्पर्य यही है कि अंततः हमें विभिन्न नीतियों का मूल्यांकन इसी आधार पर करना होगा कि क्या उनसे जनसामान्य को सुलभ योग्यताओं का संवर्द्धन हो रहा है अथवा नहीं। यह दृष्टिकोण उस विचार से सर्वथा भिन्न है जिसमें वास्तविक आय की संवृद्धि को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार आय की संवृद्धि पर केन्द्रित विश्लेषण विधि के औचित्य पर शंका व्यक्त करने का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि मानवीय योग्यता क्षमता संवर्द्धन में आय की संवृद्धि का कोई

योगदान नहीं रहता। इस संदर्भ में प्रो.सेन का मन्तव्य ध्येय एवं माध्यमों का सुस्पष्ट निरूपण करना ही है।

भारत तथा अन्य अनेक देशों में आजकल नौकरशाही हस्तक्षेप से मुक्त बाजार अवसरों के संवर्द्धन की नीतियों के पक्ष में दिये जा रहे तर्क मुख्यतः आर्थिक प्रसार एवं देश में उत्पादन एवं आय को बढ़ाने से ही जुड़े हैं। इस संदर्भ में प्रो. सेन अत्यंत सम्मानित भगवती श्रीनिवास रिपोर्ट (1993) को उद्धृत करते हैं—“ये संरचनात्मक सुधार इसलिए आवश्यक हो गये थे कि हम आय तथा प्रति व्यक्ति आय की संवृद्धि की पर्याप्त दरों की प्राप्ति नहीं कर पा रहे थे।” यह कथन कारण प्रभाव विश्लेषण की दिशा को बहुत स्पष्ट कर देता है। दूसरी ओर उत्पादन और आय पर ध्यान देने का औचित्य ही इस बात पर आधारित रहता है कि इनकी संवृद्धि से व्यक्ति की वांछित जीवन यापन की स्वतंत्रता का संवर्द्धन होता है। आर्थिक विकास के विश्लेषण में इन दोनों कारणों पर ध्यान दिया जाना चाहिये। विकास कार्यक्रम की सफलता का मापदंड केवल उत्पादन आय की वृद्धि नहीं हो सकता, इसमें तो लोगों के सहज जीवन यापन स्तर पर बल दिया जाना चाहिए। विश्व में किसी भी देश के विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन की भांति ही यह कथन भारत जैसे देश में चल रहे आर्थिक सुधारों एवं नीतियों के मूल्यांकन विश्लेषण पर लागू होता है।¹

आर्थिक अवसर का लाभ उठाने की क्षमता तथा अन्य स्वतंत्रताओं को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अपना महत्व होता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्वातंत्र्य संवर्द्धन में सहायक होते हैं। यह विचार इतन पुरातन है कि राज्य अर्थ नीति के प्राचीन विद्वानों यथा स्मिथ, तरगो, कंडोसे या फिर मार्क्स अथवा मिल किसी को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होती।

आज के युग में सभी आर्थिक विकास में प्राथमिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हैं। फिर भी भारत में इस बात

¹ India's Economic Reference; Ministry of Finance, Govt. of India, New Delhi P.-2

की अनदेखी होना बहुत ही आश्चर्य की बात है। जाने क्यों आर्थिक नीतियों में भारी परिवर्तन के बाद भी आर्थिक विकास के शिक्षा संबंधी आयामों पर अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं की भी है। यही नहीं भगवती एवं श्रीनिवास का आर्थिक सुधार संबंधी अति रोचक विश्लेषण (1993) भी इन मुद्दों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर चुप्पी ही साध गया। आधार निर्माण के बारे में उनकी चर्चा केवल परिवहन और विद्युत व्यवस्था तक ही सीमित रह गयी। भारत के पुराने आयोजन तंत्र में एक असंतुलन को दूर कर पाने का यह अवसर भी गँवा दिया गया। असल बात तो यही है कि विद्वान आर्थिक सुधारों का अपना ही स्वतंत्र अस्तित्व मानने के शिकार हो चले हैं। वे उन्हें सामाजिक नीतियों की विफलताओं का निराकरण करने से जोड़ने का प्रयास ही नहीं करते। अर्थात् यह माँग ही नहीं उठायी जाती कि संकुचित आर्थिक परिवर्तनों के साथ-साथ सामाजिक कार्यक्रमों विशेषकर प्राथमिक शिक्षा में भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाये जाने चाहिए। शिक्षा एवं स्वास्थ्य कम से कम पाँच प्रकार से व्यक्ति के स्वातंत्र्य संवर्द्धन में बहुमूल्य सिद्ध हो सकते हैं:-

1. **अन्तर्निहित महत्व:-** शिक्षित एवं स्वस्थ हो पाना अपने आप में ही मूल्यवान है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के संपन्न हो पाने का अवसर सहज ही व्यक्ति को प्रभावी बना देता है।
2. **वैयक्तिक रूप से सहायक:-** शिक्षित एवं स्वस्थ व्यक्ति होने के कारण ही व्यक्ति अनेक अन्य प्रकार के कार्य भी सरलता से कर पाने में सफल होता है। वे सभी कार्य एवं उन्हें कर पाना भी मनुष्य के जीवन यापन की दृष्टि से अत्यंत महत्वशाली होते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्ति रोजगार पा सकता है या अन्य आर्थिक अवसरों का लाभ उठा सकता है। इस प्रकार आय एवं आर्थिक साधनों की संवृद्धि से वह व्यक्ति उन कृत्यकारिताओं की प्राप्ति में सफल हो सकता है, जिन्हें वह बहुमूल्य मानता रहा है।

3. सामाजिक रूप में सहायक:- साक्षरता एवं प्राथमिक शिक्षा के प्रसार से समाज में स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता आदि के विषय में अधिक सारपूर्ण विचार-मंथन एवं उनकी माँग का मार्ग प्रशस्त होता है। इनके माध्यम से जनसामान्य की सहज सुलभ सुविधाओं का विस्तार होगा और वर्तमान सुविधाओं का कहीं बेहतर प्रयोग भी संभव हो पाएगा।
4. प्रक्रियाओं में सहायक:- विद्यालयी शिक्षा की प्रक्रिया के शिक्षण के अतिरिक्त अन्य लाभ भी हो सकते हैं। अक्सर बाल मजदूरी की चक्की में वही बच्चे फँसे होते हैं, जिन्हें शिक्षा तंत्र से बाहर रहने की विवशता झेलनी पड़ी हो। यदि शिक्षा व्यवस्था का समुचित एवं प्रभावी प्रसार हो तो भारत में व्याप्त बाल मजदूरी की दुखदायी दशा पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। विद्यालय में आकर बच्चे परस्पर मिल जुलकर भी बहुत कुछ सीखते हैं। उनके सोच समझ का दायरा विस्तृत होता है। यह बात बालिकाओं के विषय में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है।
5. सामर्थ्य वर्धन एवं पुनर्वितरण में सहायक:- समाज के पिछड़े हुए वर्ग की साक्षरता में सुधार एवं शिक्षा संबंधी उपलब्धियों उनमें दमन का सामना करने की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती है। वे राजनैतिक दृष्टि से संगठित हो अपनी दशा सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। पुनर्वितरण की दृष्टि से तो शिक्षा का महत्व तो और भी अधिक गहराई तक जाता है। यह पुनर्वितरण केवल समाज के वर्गों या फिर परिवारों तक सीमित नहीं रहता बल्कि परिवार के भीतर भी नर-नारी के बीच विषमता की खाई पाटने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

ये प्रभाव उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित नहीं रह जाते जिन्हें शिक्षा एवं स्वास्थ्य लाभ का अवसर मिला है। इनके प्रभाव समाज के अन्य सदस्यों पर भी पड़ते हैं। कितनी ही बार एक साक्षर व्यक्ति दूसरों को प्रचार पत्र आदि पढ़कर सुनाता या फिर

किसी सार्वजनिक घोषणा का अर्थ समझाता मिल जाता है। अर्थात् उसके अक्षर ज्ञान से वह स्वयं ही नहीं, अन्य भी लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार व्यक्तियों के बीच के संपर्क सूत्र राजनैतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। समाज के किसी वर्ग या जाति के लोगों के बीच उसी वर्ग के शिक्षित लोग यदि सक्रियता पूर्वक कार्य करें तो उस जाति अथवा वर्ग के हितों को बहुत कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है। माँग एवं पूर्ति के बीच अग्र एवं पश्चगामी अर्न्तसंबंधों के कारण एक व्यक्ति द्वारा किसी आर्थिक अवसर का लाभ उठाना अन्य अनेक के लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। व्यापक सामाजिक चयन विधा से हटकर हम शिक्षा के योगदान का मूल्यांकन नहीं कर पायेंगे। इसी प्रकार स्वास्थ्य को लेकर भी हमें मरणशीलता रोगों से बचाव, उपचार आदि में अनेक प्रकार की बाह्यतायें प्राप्त होती हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों ही के प्रभाव तात्कालिक रूप से लाभान्वित हो रहे व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहते, उनका समाज में व्यापक असर होता है।

इस प्रकार के पारस्परिक संबंधों के कारण आर्थिक विकास की प्रक्रिया में शिक्षा एवं स्वास्थ्य का महत्व अधिक हो जाता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़ी सार्वजनिक नीतियों की अपर्याप्तता ही पिछली आधी सदी में भारत में विकास के प्रयासों की सीमित उपलब्धियों की व्याख्या कर सकने के लिए काफी रहेगी। केवल उदारीकरण एवं नियंत्रण तंत्र में ढील देने पर मौलिक नीतिगत सुधार पिछली आयोजना व्यवस्था में रह गई इन त्रुटियों को कदापि दूर नहीं कर पायेंगे।

निष्पादन में बाधक सरकारी नियंत्रणों की समाप्ति से अनेक व्यक्तियों को नये सुअवसर सुलभ हो सकते हैं किन्तु निरक्षरता एवं रोगग्रस्तता आदि की परिस्थितियों में जिनके कारण समाज का बहुत बड़ा वर्ग उचित अवसरों एवं अवसरों का लाभ उठाने से वंचित रह जाता है, को सुधारने में यह सुधार पर्याप्त नहीं होंगे। आवश्यक है कि इनके साथ-साथ जन

स्वास्थ्य एवं शिक्षा नीतियों में भी आमूल-चूल परिवर्तन लाये जायें। यदि हम आर्थिक विकास को सामाजिक अवसरों के परिपेक्ष्य में देखना समझना चाहते हैं और इन परिपेक्ष्यों के अर्न्तनिहित एवं सहयोगी योगदान का महत्व जानते हैं तो फिर शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा सामाजिक आर्थिक विकास के अर्न्तसंबंधों की अनदेखी कदापि नहीं कर पायेंगे।

प्राथमिक अभाव एवं वंचना विश्व के दो भागों में ही सिमट कर रह गये हैं। ये भाग हैं दक्षिण एशिया तथा सहारातर अफ्रीका। ये सभी वे देश हैं जहाँ जीवन प्रत्याशा 60 वर्ष से कम ही रहती है। एक ताजा अनुमान के अनुसार अभी भी 52 देश ऐसे हैं जिनमें 168.50 करोड़ लोग रहते हैं। इस वर्ग के देशों में केवल 6 ऐसे देश हैं जो कि दक्षिण एशिया-सहारातर अफ्रीका से बाहर हैं। इनके नाम हैं- अफगानिस्तान, कंबोडिया, हैरी, लाओस, पपुआ, पुगिनी और यमन। जिनकी जनसंख्या मात्र 5.8 करोड़ है। बाकी 46 देशों में श्रीलंका को छोड़ शेष दक्षिण एशिया में ही हैं। यहाँ के 13.90 करोड़ लोग इसी अवस्था में रह रहे हैं। शेष अफ्रीका के देशों में फैले हुए हैं- बस दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाबे, लेसोथो और बोट्सवाना अपवाद हैं। जिन देशों में औसत जीवन आशा 60 वर्ष से काफी अधिक है, वहाँ भी समाज में ऐसे अच्छे खासे समुदाय मिल जायेंगे, जिनकी आयु 60 वर्ष से बहुत कम होती है। इसी प्रकार 60 वर्ष से कम जीवन प्रत्याशा स्तर के देशों में भी कुछ न कुछ संपन्न अथवा विशेष वर्ग ऐसे निकल आते हैं, जिनमें जीवन प्रत्याशा का स्तर 60 वर्ष से काफी अधिक रहता है। पर एक बात स्पष्ट है- दक्षिण एशिया और सहारातर अफ्रीका से बाहर प्राथमिक वंचना एवं अभाव का प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है।

इन देशों की कुल जनसंख्या का आधा भाग तो भारत में ही है। फिर भी भारत इनमें सबसे गया गुजरा नहीं कहा जा सकता। यहाँ औसत जीवन प्रत्याशा का स्तर 60 वर्ष के बहुत निकट है। कुल मिलाकर भारत इथोपिया और जायर की तुलना में

बहुत अच्छी तरह से विकास सूचकों की सम्प्राप्ति करता प्रतीत होता है, किन्तु भारत में उसके विशाल भू क्षेत्र एवं जन समुदाय ऐसे भी हैं जिनका जीवन स्तर इथोपिया और जायर देशों के समान ही है।

सहारातर अफ्रीका और दक्षिण एशिया के सबसे कम विकसित क्षेत्रों में शिशु मृत्युदर एवं वयस्क साक्षरता दरों की जानकारी सारणी-[2:1] में संकलित की गई है। इन दो जीवन स्तर सूचकों की जानकारी भारत और अफ्रीकी देशों के विषय में ही नहीं है, अफ्रीका के सबसे पीछे रह गये तीन देशों, भारत के सबसे पिछड़े तीन राज्यों और उन राज्यों के भी खस्ताहाल तीन जनपदों की वर्ष 1991 के आधार पर जानकारी इस तालिका में संकलित है। सारणी-[2:1] से हमें यह ज्ञात होता है कि विश्व भर में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ उड़ीसा प्रांत के गंजम जनपद से ज्यादा बुरी दशा हो। यही नहीं विश्व में कहीं भी नारी साक्षरता की दुर्दशा हमारे राजस्थान के बाड़मेर जनपद से अधिक नहीं है। इन दोनों जिलों में अपनी अपनी जनसंख्या का योग तो सियरा लिओन, निकारागुआ तथा आयरलैंड आदि देशों से भी अधिक बैठता है। रूस तथा ब्राजील देशों के समान जनसंख्या वाले विशाल राज्य उत्तर प्रदेश का औसत जीवन स्तर सारणी-[2:1] में दिखाये जा रहे सूचकों की दृष्टि से सहारेतर अफ्रीका के निकृष्टतम देशों से कुछ खास बेहतर नहीं लगता।

यह बड़ा विचित्र लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत की हालत सहारेतर अफ्रीका जैसी है। इन अफ्रीकी देशों के विपरीत भारत राजनैतिक अस्थिरता, सैनिक तानाशाही, गृहयुद्धों और बारंबार पड़ने वाले अकालों से पिछले 50 वर्षों में मुक्त ही रहा।

सारणी- {2:1}

भारत एवं सहारेतर अफ्रीका : एक तुलना-1991

	शिशु मृत्यु दर			वयस्क साक्षरता दर		
	क्षेत्र	जनसंख्या (दस लाख)	शिशु मृत्यु दर प्रति हजार	क्षेत्र	जनसंख्या (दस लाख)	वयस्क साक्षरता
भारत	भारत	846.3	80	भारत	846.3	39/64
तीन निकृष्टतम राज्य	उड़ीसा	31.7	124	राजस्थान	44.0	20/55
	म.प्र.	66.2	117	बिहार	86.4	23/52
	उ.प्र.	139.1	97	उ.प्र.	139.1	25/56
निकृष्टतम प्रदेशों के निकृष्टतम जिले	गंजम (उड़ीसा)	3.2	164	बाइमेर (राजस्थान)	1.4	8/37
	टीकमगढ़ (म.प्र.)	0.9	152	किशनगंज (बिहार)	1.0	10/33
	हरदोई (उ.प्र.)	2.7	129	बहराइच (उ.प्र.)	2.8	11/36
सहारातर अफ्रीका के तीन निकृष्ट देश	माली	8.7	161	बुस्कीना फासो	4.3	12/35
	मोजाम्बिक	16.1	149	सियरा लिओन	4.8	17/35
	गिनी बिसाऊ	1.0	148	बेनिन	488.9	40/63
सहारातर अफ्रीका	सहारातर अफ्रीका	488.9	104	सहारातर अफ्रीका	488.9	40/63

नोट:- भारत में वयस्क साक्षरता की दृष्टि से 7 वर्ष की तथा अफ्रीका में 15 वर्ष की आयु को उपयुक्त माना गया है।

स्त्रोत:- World Development Report, 1993-94; Human Development Report 1994 & Sample Registration Bulletin, Jan, 1994 से संकलित।

किन्तु इन अच्छे हालात का लाभ उठाकर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हम कोई उल्लेखनीय प्रगति कर पाने में असफल रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा में विफलता और उच्च शिक्षा एवं शोध कार्यों में भारी सफलता भारत के वर्तमान युग के विकास अनुभवों का सबसे अधिक लज्जाजनक पहलू है।

भारत में उच्च शिक्षा संपन्न व्यक्तियों का बहुत विशाल समुदाय है। इनकी योग्यताओं का प्रयोग कर दक्षता आधारित उद्योगों के तीव्र विकास के आज अनेक अवसर उपलब्ध हैं। वस्तुतः बंगलौर नगर एवं उसके आसपास कम्प्यूटर से जुड़े अनेक नये उद्योगों के व्यापक विकास का क्रम आरंभ भी हो गया है। ये उपलब्धियाँ महत्वपूर्ण हैं तथा कुल मिलाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति शुभ संकेत भी हैं। किन्तु भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भयावह विषमताओं के कारण आर्थिक प्रगति के समान लाभ भी समाज में अधिक व्यापक रूप में प्रसारित नहीं हो पा रहे हैं। जबकि चीन और कोरिया आदि देशों ने तो उन उद्योगों का विकास किया है जिनमें विश्वविद्यालय स्तरीय उच्च शिक्षा की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, फिर भी आज दुनियाँ के बाजार इन देशों के उत्पादों से भरे हुए दिखाई देते हैं। बस उनकी अच्छी प्रगति का रहस्य यही है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कारीगरों को जो हिदायतें दी जाती हैं, उनका अक्षरशः पालन होता है तथा उसके परिणामस्वरूप प्राप्त होता है—उच्च गुणवत्ताशील विश्वस्तरीय उत्पादन। इस उत्पादन का लाभ समाज में व्यापक रूप से वितरित होता है। इसके विपरीत आज भारत विश्व भर के कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग पर अपना अधिकार करने में सफल हो जाए, तो भी इसकी जनसंख्या के विशाल गरीब, अशिक्षित जनसमुदायों तक उसका कोई लाभ नहीं पहुँच पाएगा। एक साधारण सा जेबी चाकू या ठीक से काम करने वाली अलार्म घड़ी के निर्माण में सर्वोत्तम कम्प्यूटर बनाने की अपेक्षा वाहवाही बहुत कम मिलती है, किन्तु चीन के गरीब मजदूरों को उन चीजों के निर्माण से गुजारे लायक आय प्राप्त हो जाती है। पर भारत का गरीब तो प्रत्यक्षतः

बड़ी तड़क भड़क वाले उद्योगों के विकास के बाद भी भूखा रह जाता है। आम प्रयोग की उन साधारण चीजों के निर्माण में, जिनका विश्वव्यापी बाजार अति विशाल है और जिनमें प्राथमिक शिक्षा से अधिक योग्यताओं की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, ही चीन, दक्षिण एशियाई देशों की साक्षर श्रम शक्ति एक बहुत बड़ी पूँजी सिद्ध होती है।¹

निरक्षर श्रम शक्ति जो लिख-पढ़ या गिन नहीं सकती, छपे या हस्त लिखित निर्देशों को समझकर उनका अनुपालन नहीं कर सकती वह आधुनिक उद्योगों में ठीक से काम भी नहीं कर सकती। इसी कारण बाजार आधारित विकास के आर्थिक सुयोगों का लाभ उठा पाने से भी यह विशाल जन समुदाय जो देश के अनेक भागों में तो जन-बल का अधिकाँश ही है, वंचित रह जाता है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा की विषमता अकुशलता का स्वरूप धारण कर, नये आर्थिक अवसरों से लाभान्वित न हो पाने की विषमता में परिवर्तित हो जाती है। एक प्रकार से समाज में वितरण की विफलता दक्षता-आश्रित आधुनिक उद्योगों के व्यापक प्रसार को कुंठित कर पाने में सक्षम शैक्षिक पिछड़ेपन का और सम्पोषण करने लगती है।

शिक्षा एवं विषमता की बात नर-नारी के बीच गैर बराबरी के संदर्भ में और भी अधिक स्पष्ट एवं स्थूल रूप धारण कर लेती है। इस मामले में भी तीव्र गति से संवृद्धिमान एशियाई देशों की उपलब्धियां अत्यंत स्पृहणीय रही हैं। इन देशों में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में नर-नारी के बीच खाई जितनी तेजी से पाटी गयी है, वह अपने आप में अभूतपूर्व है। अभी तक विश्व में यह अंतर इतनी तीव्र गति से कम नहीं हो पाया था। आर्थिक एवं सामाजिक भागीदारी और अवसरों से लाभ उठाने की दृष्टि से इस उपलब्धि के कारण महिलाओं की सक्षमता में भी भारी सुधार हुआ है। संवृद्धि प्रेरित प्रगति ने तो महिलाओं के लिए सुलभ रोजगारों और अन्य अवसरों को बहुगुणित कर दिया है। भारत के साथ तुलना में तो

¹ भारत विकास की दशाएँ ; अमर्त्य सेन, ज्या द्रीज; भारत तुलनात्मक दृष्टि से पृ. सं. 38

यह भेद बहुत ही तीखा प्रतीत होता है। वस्तुतः इस मामले में सारा ही दक्षिण एशिया न केवल पूर्वी एशिया से पिछड़ गया है वरन् लैटिन अमेरिका एवं अफ्रीका के सभी पिछड़े हुए देशों से भी पिछड़ा प्रतीत होता है।

भारत को केवल विदेशों से ही नहीं, अपने प्रदेशों से भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। भारत में क्षेत्रीय अनुभवों और उपलब्धियों में बहुत भारी अंतर दृष्टिगोचर होते हैं। मानक आर्थिक सूचकों के आधार पर भी ये अंतर बहुत विशाल है। पंजाब, हरियाणा, आदि कुछ राज्य आर्थिक विकास की दौड़ में अग्रणी रहे हैं। वर्ष 1991-92 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 5583 थी जबकि पंजाब और हरियाणा में इसका स्तर क्रमशः रु. 9643 तथा 8690 रहा। परिणामस्वरूप जहाँ भारत में 43 प्रतिशत ग्रामीण जनता गरीबी की रेखा के नीचे है, वहीं इन प्रदेशों में यह अनुपात क्रमशः 21 तथा 23 प्रतिशत ही रह गया है। इन प्रान्तों का यह अनुपात अखिल भारतीय अनुपात से प्रायः आधा ही है। जबकि यह बिहार और उड़ीसा के 66 प्रतिशत का एक तिहाई मात्र लगता है।

सामाजिक विकास के पटल पर भी यह अन्तर बहुत चौकाने वाले हैं: जहाँ केरल में नारी साक्षरता 86 प्रतिशत है वहीं राजस्थान में अभी भी यह 20 प्रतिशत ही है। यह क्षेत्रीय अंतर भारत के साक्षरता परिदृश्य के केवल एक आयाम को दिखाते हैं। अधिक गहन अध्ययन से नर-नारी के बीच भेद, शिक्षा में भी फैले जातिवाद पर आधारित भेदभाव आदि के भी दर्शन होते हैं। जहाँ केरल में 94 प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं वहाँ बिहार-राजस्थान की अनुसूचित जातीय महिलाओं में केवल 10 प्रतिशत ही अक्षर ज्ञान कर पायीं हैं। जीवन-दशाओं में अन्य सूचकों यथा- स्वास्थ्य, पोषण, मरणशीलता आदि में भी बहुत बड़ी आन्तरिक विषमतायें देखने को मिलती हैं। निजी आय के अतिरिक्त वे अन्य कारक जिनका जीवन की दशाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है, वे इस प्रकार हैं- सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था, परंपरागत विषमताओं की

समाप्ति, साक्षरता का प्रसार। इन तीनों के लिए सुनिश्चित एवं सतत् सार्वजनिक प्रयास की आवश्यकता होती है।

प्रो. अमर्त्य सेन ने भारत के विभिन्न राज्यों के विकास का विस्तृत अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष निकाले हैं, वे उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा के दृष्टिकोण से और भी महत्वपूर्ण हैं। उनके अनुसार केरल और उत्तर प्रदेश की तुलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन स्तर के अनेक सूचकों के अनुसार इन दोनों प्रदेशों के बीच एक बहुत बड़ी खाई दिखाई पड़ती है जबकि इनके बीच परंपरागत गरीबी के समान स्तर की गहरी समानता भी है। केरल के विस्तृत अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि सामाजिक पटल पर उसकी सफलता का रहस्य प्राथमिक शिक्षा, भू-सुधार, समाज में नारी की भूमिका तथा जन स्वास्थ्य एवं अन्य सार्वजनिक सेवाओं के समता पूर्ण वितरण के निमित्त इस प्रदेश में बहुत ही उपयुक्त राजकीय नीतियों की रचना और उनका अनुपालन हुआ है। इन्हीं क्षेत्रों को दृष्टिगत करने के कारण उ.प्र. सामाजिक विकास के अवसरों से वंचित रह गया है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक उपलब्धियों की समीक्षा करने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जहाँ केरल में कुछ विशेष कार्यों में सरकारी नीतियों की सफलता व्यापक सामाजिक विकास का आधार बनी है, वहीं उ.प्र. में उन्हीं कार्यों के प्रति सरकारी उदासीनता के परिणामस्वरूप उ.प्र. पिछड़ गया है। इन कार्यों के कारकों में प्रमुख इस प्रकार है-

दोनों ही अध्ययनों में साक्षरता विशेषकर नारी साक्षरता की मूलभूत योग्यताओं के संवर्द्धन में बहुत बड़ी भूमिका स्पष्ट होती है। केरल के विकास अनुभव की सबसे विशेषता साक्षरता पर बहुत प्रारंभ से दिया गया ध्यान रही है। इसी के कारण साक्षरता के विभिन्न सामाजिक एवं निजी स्वरूपों एवं प्रभावों के माध्यम से अन्य सामाजिक सफलताओं का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उ.प्र. में तो अभी नारी साक्षरता की दर 25 प्रतिशत बनी हुई है। यही नहीं प्रदेश की दो तिहाई ग्रामीण किशोरियों को कभी पाठशाला में जाने

का अवसर नहीं मिल पाता। इसी शैक्षिक पिछड़ेपन का दुष्परिणाम बहुत उच्च मृत्युदर और प्रजनन दर के रूप में सामने आता है।

दोनों अध्ययनों में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य उभरता है, वह है नारी की सामाजिक दशा। उ.प्र. में दमनात्मक स्त्री-पुरुष संबंधों का अपना इतिहास रहा है। अभी भी इस प्रदेश में स्त्री-पुरुष के बीच विषमता बहुत ही विशाल एवं विस्तृत है। विश्व के बहुत कम देशों में स्त्री-पुरुष अनुपात उ.प्र. में जितना कम पाया जाता है। साक्षरता की भाँति नारी भी अर्थव्यवस्था और समाज में सक्रिय तथा निर्बन्ध भागीदारी का दमन प्रदेश के सामाजिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण रहा है। इसके विपरीत केरल में बहुत समय से नारी का सामाजिक स्थान बहुत गरिमामय रहा है। यही महिला जागरुकता अनेक सामाजिक उपलब्धियों का आधार बनी है। साक्षरता के प्रसार में भी इस जागरुकता का विशेष योगदान रहा है। केरल में दो तिहाई प्राथमिक स्कूल शिक्षक महिलायें हैं, जबकि उ.प्र. में इनका प्रतिशत 18 ही है।

उ.प्र. और केरल में तीसरा बहुत बड़ा अन्तर गैर सरकारी सेवाओं के कारण रहा है, जिनके सुचारु रूप से कार्य करने से जीवन दशा में सुधार आता है। प्रो. सेन जोर देकर इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि केरल में जीवन स्तर की उच्चता की व्याख्या उच्च आय और गरीबी की न्यूनता द्वारा संभव नहीं है। इस दृष्टि से तो उ.प्र. और केरल एक ही हालत में है। यदि फिर भी दोनों प्रदेशों में मूलभूत वस्तुओं और सेवाओं पर अधिकारिता में भारी अंतर है तो इनके कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल टीकाकरण, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक खाद्य संभरण व्यवस्था आदि के स्वरूप एवं प्रसार में ही खोजने होंगे। उ.प्र. में इन सेवाओं की जमकर अनदेखी की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसका प्रायः अस्तित्व नहीं है। सारणी-{2:2}में केरल और उ.प्र. की इन्हीं सेवाओं के आधार पर तुलना की गई है।

सारणी-{2:2}

भारत उ.प्र. और केरल

सार्वजनिक सेवाओं की सुलभता में अंतर¹

स.क्र.	विषय	भारत	उ.प्र.	केरल
1	12 वर्ष से 14 वर्ष के उन बच्चों का अनुपात जो स्कूल में कभी भर्ती नहीं हुए (1986-87)	51	68	1.8
	लड़कियाँ			
	लड़के	26	27	0.4
2	12-23 महीने के उन बच्चों का अनुपात, जिन्हें कोई टीके नहीं लगे(1992-93)(%)	30	43	11
3	उन प्रसवों का अनुपात, जिसको पूर्व चिकित्सा लाभ सुलभ रहा (1992-93)(%)	49	30	97
4	चिकित्सालयों में हुए प्रसवों का अनुपात (1991)(%)	24	4	92
5	प्रति दस लाख व्यक्ति अस्पताल में बिस्तर संख्या (1991)	732	340	2418
6	चिकित्सा सुविधा वाले गाँवों का अनुपात (1981)(%)	14	10	9
7	सार्वजनिक वितरण व्यवस्था से अन्न प्राप्त करने वाली जनसंख्या का अनुपात (1986-87)(%)	29	3	87

चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी प्रयास से कहीं आगे बढ़कर सामाजिक प्रयास भी सरकारी नीतियों और उनकी कारगरता को प्रभावित करते हैं। केरल में बहुत जल्दी ही साक्षरता के प्रसार से वहाँ की जनता सरकार की नीतियों और सामाजिक कार्यों के निर्धारण में सक्रिय हो पायी हैं पर उ.प्र. में यह संभव नहीं हुआ। जनता की सक्रियता का केरल में सामाजिक अवसरों को बढ़ाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को बनाए रख पाने में बहुत

¹ मुख्य स्रोत:- भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण 1980-81 से 1994-95 तक भारत विकास की दशाएँ ; अमर्त्य सेन एवं ज्या द्रीज;

योगदान रहा है। सुशिक्षित जन समुदाय की सुसंगठित एवं समवेत स्वर में की गई माँगों के कारण ही अक्सर वहाँ उनके लिए सार्वजनिक सेवाओं और सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। केरल में प्राथमिक स्कूल और स्वास्थ्य केन्द्र आदि ठीक से कार्य कर रहे हैं तो इसका श्रेय वहाँ की सतर्क एवं जागरुक जनता को ही दिया जाना चाहिए।

अन्त में उ.प्र. एवं केरल दोनों ही प्रान्तों में समाज के अभावग्रस्त लोगों की राजनैतिक संघटना और उसके विशेष महत्व की बात उठती है। केरल में व्यापक साक्षरता पर आधारित जागरुक राजनैतिक सक्रियता ने जाति, लिंग तथा वर्ग आधारित विषमताओं की धार कुंठित करने में बहुत योगदान दिया है। राजनैतिक रूप से संगठित होने से भी जनता की आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो पायी है। उ. प्र. में परंपरागत विशेषताओं और सामाजिक विभाजनों का वर्चस्व अभी भी अक्षुण्ण है, यह और अधिक सामाजिक सद्प्रयासों में बाधक बनता रहता है। उ.प्र. के कई गांवों में आज भी ऐसे शक्तिशाली भू-स्वामी मिल जाते हैं, जिनके दबदबे के कारण वहाँ सरकारी स्कूल की स्थापना नहीं हो पाती। अधिक सामान्य रूप से यही कहा जा सकता है कि समाज के विशिष्ट वर्गों का सत्ता पर एकाधिकार रहा है। इसी के दम पर राज्य और स्थानीय राजनीतिक स्तरों पर अभावग्रस्त वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं को भी नजरअंदाज किया जाता है।

इन सभी अन्तरों की पृष्ठभूमि में हम विकास प्रक्रिया में राजनीति की भूमिका की चर्चा कर सकते हैं। केरल में ऐसी विशेष साँस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परंपरायें भी रही होंगी जिसके कारण यहाँ सामाजिक परिवर्तन में सहायता मिली होगी किन्तु राजनैतिक घटनाक्रम ने भी इन धरोहर स्वरूप मिली विशेषताओं को संवारने सुधारने के माध्यम से विकास क्रम में अपना योगदान किया है। इसका केरल के अनुभव की कहीं और पुनरावृत्ति की संभावनाओं

पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अतः राजनीतिक आंदोलनों के मद्देनजर ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि उ.प्र. जैसे अभाव पीड़ित राज्यों में केरल के विकास अनुभवों को दोहराया जा सकता है। आवश्यकता है तो बस कृत संकल्प एवं प्रबुद्ध राजनीतिक सक्रियता की।

शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए प्रो. सेन लिखते हैं कि-“जिस समाज में सामाजिक संवाद बहुधा लिखित रूप में होता है वहाँ तो साक्षरता आत्मरक्षा का सबसे प्रथम शस्त्र बन जाती है।” एक निरक्षर व्यक्ति अदालत में अपना बचाव कर पाने, बैंक से ऋण पाने, सुनिश्चित रोजगार के लिए स्पर्धा कर पाने, अपने विरासत के अधिकारों को लागू कराने, यहाँ तक कि सही बस में चढ़ पाने, राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले पाने कुल मिलाकर आधुनिक समाज के क्रियाकलापों में सफलतापूर्वक भागीदारी में प्रायः कुछ न कुछ असमर्थता का अनुभव करता है। यही बात प्राथमिक शिक्षा के क्रम में अर्जित अंक ज्ञान और अन्य प्रकार की कुशलताओं पर भी इसी रूप में लागू होती है।

प्राथमिक शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक का कार्य करती है। भारतीय जनमानस को यह समझ में आ चुका है कि प्राथमिक शिक्षा सामाजिक स्वीकार्यता का एक सशक्त माध्यम है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों में हुई बातचीत से यह स्पष्ट पता चल जाता है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े रह गये लोग शिक्षा को अपने बच्चों के लिए सामाजिक व्यवस्था में ऊपर उठने की सीढ़ी मानते हैं। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को अनेक सामाजिक नेताओं ने शिक्षा और सामाजिक प्रगति एवं परिवर्तन के बीच संबंध को अच्छी तरह समझ लिया था। गोपालकृष्ण गोखले तो प्राथमिक शिक्षा संवर्द्धन के बहुत ही सशक्त समर्थक थे। उन्होंने 1909 के इंडियन कौंसिल एक्ट ने भारतीयों को भी विधायी सुधारों के प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया- उन्होंने अपना अभूतपूर्व प्राथमिक शिक्षा विधेयक प्रस्तुत कर दिया। इस विधेयक में स्थानीय प्रशासन को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

प्रारंभ करने का अधिकार देने की व्यवस्था की थी। किन्तु ब्रिटिश प्रशासन ने इसे स्वीकार नहीं किया। डॉ. अम्बेडकर केवल अपनी विद्वता के सहारे ही- निम्न जातीय अस्पृश्यता के ठप्पे से मुक्ति पा सके थे। उनका निश्चित मत था कि समाज के दलित वर्गों के उत्थान का एक मात्र मार्ग शिक्षा का प्रसार ही है। इस नीति का अनुसरण कर भारत के कई भागों में दलितों को सदियों से चली आ रही शोषणपूर्ण व्यवस्था से मुक्ति पाना संभव हो सका है। स्वतंत्रता पूर्व भारत के अनेक नेताओं और समाज सुधारकों ने शिक्षा पर ही सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया था। इनमें से कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:- राजा राममोहन राय, महर्षि कर्वे, पंडिता रमाबाई, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, रवीन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गाँधी, अब्दुल गफ्फार ख़ाँ, जयप्रकाश नारायण आदि।

शिक्षा स्वावलंबनदायी शक्तियों के विषय में तो किसी प्रकार का संदेह नहीं है, फिर भी समझ नहीं आता कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक एवं राजनैतिक नेता इस पर ध्यान देने से कतराते क्यों रहे हैं। इसी कतराने का एक आयाम यहाँ प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई गई सरकारी नीतियों की नितांत अक्षमता है। शिक्षा पर ध्यान नहीं देने की मनः स्थिति केवल सरकारी हलकों तक सीमित नहीं रही। हमारे राजनैतिक दलों, श्रमिक संगठनों, क्रांतिकारी संगठनों एवं अन्य सामाजिक आंदोलनों, सभी को इस ओर ध्यान नहीं देने का दोषी माना जा सकता है। कई प्रकार की वैचारिक धारणायें भी इस उपेक्षा का कारण बनीं हैं-

1. रुढ़िवादी उच्च वर्णों का विश्वास है कि निम्न जातियों के जन समुदाय को शिक्षा की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
2. गाँधीजी के इस विचार की भ्रामक व्याख्या कि-**“साक्षरता मात्र को शिक्षा नहीं माना जा सकता है।”**
3. कुछ क्रांतिकारी विचारकों का मत है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था तो निम्न वर्गों को गुलाम बनाये रखने का जरिया मात्र है अथवा सड़ी गली **“औपनिवेशिक व्यवस्था का भग्नावशेष ही है।”**

शिक्षा के महत्व के विषय में इस प्रकार के विकृत विचारों को तुरंत ही दरनिकार कर देने की अत्यंत आवश्यकता है। भारत से शैक्षिक अभावों को दूर करने की दिशा में तेजी से सभी के लिए, समतामय प्रगति करने के लिए पहल सशक्त कदम होगा प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के प्रति प्रतिबद्ध प्रयास।

प्रो. अमर्त्य सेन और ज्यॉद्रीज द्वारा लिखित 'भारत विकास की दशाएँ' पुस्तक के निबंध 'प्राथमिक शिक्षा: एक राजनैतिक मुद्दा' में लेखकद्वय के द्वारा सारणी-{2:3} 'भारत में प्राथमिक शिक्षा: उपलब्धियाँ एवं विषमतायें' के अर्न्तगत उ.प्र. और केरल की स्थितियों की तुलना की है। ये आँकड़े स्वतंत्र एवं पर्याप्त रूप से विश्वस्त स्रोतों से लिए गये हैं। ये स्रोत हैं- भारत की जनगणना तथा राष्ट्रीय संदर्श सर्वेक्षण। सारणी-{2:3} में सरकार द्वारा तैयार 'बच्चों की स्कूली भर्ती' के आँकड़े नहीं लिए गये हैं।

इस विषय में सरकार का शिक्षा विभाग समय-समय पर आँकड़े जारी करता है। ये सरकारी आँकड़े वास्तविकता को बहुत ही बढ़ा-चढ़ा कर पेश करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि प्रत्येक स्तर के सरकारी कर्मचारियों के अपने हित इस प्रकार की जालसाजी से जुड़े रहते हैं। सरकारी आँकड़ों के आधार पर तो केरल और हरियाणा को छोड़ सभी प्रान्तों में उपयुक्त आयु वर्ग के अनुसार 100 प्रतिशत लड़के प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश पाये हुए हैं। लड़कियों की भी 97 प्रतिशत संख्या सरकारी आँकड़ों के अनुसार स्कूल जा रही है। किन्तु वास्तविक सर्वेक्षणों द्वारा इनकी बहुत ही शानदार तस्वीर पेश करने वाले सरकारी आँकड़ों को विश्लेषण की दृष्टि से अस्वीकार्य पाते हैं।

सरकारी जानकारी पर निर्भर रहने वाले अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन जैसे- 'ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट' और 'वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट' आदि इन्ही अति भ्रामक 'आधिकारिक' आँकड़ों को प्रकाशित करते हैं। 1994 की 'ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट' के अनुसार भारत के वर्ष 1990 में ही 99 प्रतिशत बच्चे

उपयुक्त आय वर्ग के स्कूलों में भर्ती थे। इस प्रकार के आँकड़े तो भारत की प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सफलताओं की बहुत ही स्वर्णिम झँकी का सृजन कर सकते हैं। यही नहीं ऐसी ही जानकारी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था के कई सतर्क अध्येता भी इन शानदार उपलब्धियों की प्रशंसा कर चुके हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश यह प्रशंसा 'आधिकारिक' आँकड़ों के हिस्से ही आती है और जनगणना तथा राष्ट्रीय संदर्श सर्वेक्षण इन आँकड़ों की पुष्टि नहीं कर पाते।

सारणी-{2:3} का विश्लेषण करने से पहला निष्कर्ष तो यही निकलता है कि सारे देश की औसत साक्षरता दर कम ही है। दूसरा निष्कर्ष यह है कि शैक्षिक उपलब्धियों में भीषण असमानतायें औसत साक्षरता दरों की समस्याओं को और भी उलझा देती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिये विभिन्न राज्यों में किये जा रहे प्रयासों की गंभीरता और प्रभावोत्पादकता में बहुत भारी अंतर है। तीसरी मुख्य बात यह है कि स्त्रियों और पुरुषों की शैक्षिक सफलताओं में भी बहुत अंतर है। ये अंतर ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं शहरी क्षेत्रों में भी है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच तो ये अंतर और भी अधिक दिखाई पड़ते हैं। निम्न औसत साक्षरता और उसमें भी व्यापक विषमतायें सहज ही ऐसे परिदृश्य की रचना कर देती हैं, जिसमें समाज के अभाव ग्रस्त सदस्यों की शिक्षा तो बहुत ही नाम मात्र की रह जाती है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहीं अनुसूचित जातीय महिलाओं में तो साक्षरता दर मात्र 19 प्रतिशत ही है। ये जातियाँ भारत की जनसंख्या का 16 प्रतिशत हैं। इसी तरह कुल जनसंख्या में 8 प्रतिशत के समान जनजातीय महिलाओं में से केवल 16 प्रतिशत ही साक्षर हैं। यही नहीं बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों में तो 7 वर्ष से अधिक आयु की समस्त महिलाओं में से 10 प्रतिशत भी साक्षर नहीं हो पायी हैं। जब अभाव ग्रस्तता के सभी कारण एक साथ मिल जाते हैं- अर्थात् नारी होने की विवशता का किसी पिछड़े

क्षेत्र में बनी अनुसूचित जाति से संयोग होता है तो फिर इन अतिवंचित समूहों में साक्षरता नाममात्र की ही रह जाती है।

सारणी {2:3}
भारत में प्राथमिक शिक्षा: उपलब्धियाँ एवं विषमतायें¹

स.क्र.	विषय	भारत	उ.प्र.	केरल
1	चुने हुए (7+वर्ष) समूहों की साक्षरता दर (1999) कुल जनसंख्या में:-			
	लड़कियाँ	39	25	86
	लड़के	64	56	94
2	ग्रामीण अनुसूचित जातियाँ:-			
	लड़कियाँ	19	8	73
	लड़के	46	39	85
3	10 से 14 वर्ष के बच्चों की साक्षरता दर (1987-88):-			
	ग्राम:- लड़कियाँ	52	39	98
	लड़के	73	68	98
	शहर:- लड़कियाँ	82	69	98
	लड़के	88	76	97
4	स्कूल जा रहे बच्चों का अनुपात (1987-88) (%):-			
	आयु 5-9 वर्ष:- लड़कियाँ	40	28	83
	लड़के	52	45	87
	आयु 10-14 वर्ष:- लड़कियाँ	42	31	91
	लड़के	66	64	93
5	12 से 14 वर्ष के उन बच्चों का अनुपात जाक कभी स्कूल नहीं गए (1986-87):-			
	ग्राम:- लड़कियाँ	51	68	1.8
	लड़के	26	27	0.4
	शहर:- लड़कियाँ	19	39	0.6
	लड़के	11	19	0.0
6	प्राथमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का अनुपात (15 वर्ष वर्ग में) (1981):-			
	स्त्रियाँ	21	11	56
	पुरुष	44	37	68

¹ स्रोत:- जनगणना राष्ट्रीय संदर्श सर्वेक्षण पर आधारित

चौथी प्रमुख बात यह है कि भारत में निरक्षरता केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवा बच्चे भी इससे मुक्त नहीं हो पाये हैं। पूरे भारत में 10-14 वर्ष की आयु वर्ग की ग्रामीण लड़कियों में से आधी निरक्षर हैं। उ.प्र. में तो यह निरक्षरता अनुपात दो तिहाई बनता है। आधुनिक भारत का सबसे अधिक दुखद पक्ष युवा पीढ़ी की यह चिरंतर निरक्षरता ही है।

पाँचवी प्रमुख बात यह है कि शिक्षा व्यवस्था की विफलता की एक झांकी स्कूलों में प्रवेश और स्कूलों में उपस्थिति के सर्वेक्षणों के आँकड़े से स्पष्ट होती है। देश भर में 12-14 वर्ष की ग्रामीण लड़कियों में से आधी तो ऐसी ही हैं, जिनका नाम कभी किसी स्कूल में लिखा ही नहीं गया। यह अनुपात उ.प्र., मध्यप्रदेश और बिहार में दो तिहाई हो जाता है। किन्तु राजस्थान में 87 प्रतिशत इसी वर्ग में आती हैं। इसी प्रकार 10-14 वर्ष आयु की मात्र 42 प्रतिशत ग्रामीण लड़कियाँ स्कूल जा पा रही हैं। 5-9 वर्ष की तो केवल 40 प्रतिशत लड़कियाँ ही स्कूल जा पाती हैं। ये आँकड़े सर्वेक्षण के समय की सामान्य स्थिति बता रहे हैं किन्तु यदि **“ग्रामीण बच्चे कितने दिन स्कूल जा पाते हैं”** की जानकारी संग्रहीत की जाती है, तो ये आँकड़े और भी कम हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि जिन बच्चों के नाम स्कूल में दर्ज हैं और जिन्हें सामान्यतः स्कूल जाने वाला माना जाता है, उनका भी अधिकाँश समय स्कूल से बाहर ही व्यतीत होता है।

प्रो. सेन तालिका में उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर छटा निष्कर्ष निकालते हैं कि स्कूलों में उपस्थिति के कम आँकड़ों का मुख्य कारण प्रवेश के बाद बहुत से बच्चों की अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाने की विवशता है। उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि पहली कक्षा में प्रविष्ट बच्चों में से केवल आधे ही चार वर्ष बाद स्कूल में दिखाई पड़ते हैं। अतः भारत में प्राथमिक शिक्षा का न्यून स्तर दोनों ही बातों की झलक दे रहा है—

1. बच्चे बहुत कम समय स्कूली शिक्षा जारी रख पाते हैं।

2. बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात कभी स्कूल में प्रवेश नहीं ले पाता।

सातवाँ निष्कर्ष यह है कि कम प्रवेश और कम समय तक टिक पाने के कारण ही प्राथमिक शिक्षा के पाँच वर्षीय पाठ्यक्रम को बहुत कम बच्चे पूरा कर पाते हैं। 1981 में भारत में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किये हुए वयस्कों का अनुपात एक तिहाई से भी कम आँका गया था।

अपने विभिन्न लेखों में प्रो. अमर्त्य सेन जीवन स्तर के दो महत्वपूर्ण सूचक स्वास्थ्य और शिक्षा के संदर्भ में भारत की अन्यान्य देशों से विषमता का ही विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया वरन् भारत के ही विभिन्न राज्यों और इन राज्यों के जिलों में व्याप्त विषमताओं का गहनता पूर्वक अध्ययन किया है। संपूर्ण अध्ययन का सार यही है कि **“आर्थिक विकास का उद्देश्य मनुष्य की स्वातंत्र्य में वृद्धि है।”** और यह स्वातंत्र्य वृद्धि स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करके प्राप्त की जा सकती है। पिछड़े भारत के- पिछड़े राज्यों के- पिछड़े जिलों की समाजार्थिक दुर्दशा के कारण जातिगत, राजनीतिक, सामाजिक और संस्थागत ही है। अपनी विश्लेषण तकनीक से प्रो. सेन ने समस्त विश्व के आर्थिक हित चिंतकों को नये सिरे से सोचने पर विवश किया है। अतः ‘विजनेस वीक’ की टिप्पणी पूर्णतया उचित है- **“बिल्कुल नये विचार..... ताजगी से भरपूर, विद्वतापूर्ण तथा मानवीय.....** सेन के आशावाद तथा योजनाओं से मनुष्य सोचने लगता है कि समस्याओं का सचमुच कोई हल है।

सेन भारत में प्राथमिक शिक्षा के न्यून विस्तार की भर्त्सना ‘उच्च शिक्षा के अधिक विस्तार’ के आधार पर करते हैं। तथ्यों की दृष्टि से सेन की बात सही लगती है भारत में कॉलेज जाने वालों की संख्या चीन से छह गुनी है। किन्तु यह कैसे मान लिया जाये कि यह गलत है? कारण यह है कि उच्च शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा के अनुपात को कैसे निर्धारित किया जाए।

यह देखा गया है कि अवसरो की अनुपस्थिति में शिक्षा से जनता हतोत्साहित तथा परेशान होती है अतः उच्च तथा प्राथमिक शिक्षा का अनुपात अर्थव्यवस्था में उपस्थित अवसरों के अनुसार होने चाहिये। इन शिक्षाओं का वांछित अनुपात विकास नीति से निर्धारित हो जाता है। विकास के लिए दो नीतियों को अपनाया जा सकता है-

1. देश के अन्दर समानता तथा देशों के बीच असमानता
2. देश के अन्दर असमानता तथा देशों के बीच समानता

सेन पहली नीति के समर्थक हैं। उन्हें कोई आपत्ति नहीं यदि भारत उच्च शिक्षा में निवेश नहीं करता है और विदेशी तकनीकों एवं शिक्षितों पर निर्भर करता है। वे दीर्घ समय तक देशों के बीच असमानता को स्वीकारते हैं। वे देशों के बीच समानता को संभवतः संभव ही नहीं मानते होंगे। वे चाहते हैं कि भारत प्राथमिक शिक्षा में निवेश करे और देश के अन्दर समानता का प्रयास करे।

यदि दूसरी नीति अपनायी जाये तो बात बदल जाती है। देशों के बीच समानता लाने के लिए यह आवश्यक है कि उच्च शिक्षा में निवेश किया जाये और उच्च तकनीकी क्षमता का विकास किया जाये तो औद्योगिक देशों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च समाप्त कर देने से यदि देश के अन्दर असमानता बढ़ भी जाये तो उसे स्वाभाविक ही माना जाना चाहिये। अतः उच्च शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा अधिक खर्च की नीति देशों के बीच समानता की सही नीति से उत्पन्न होती है।

भारत के सामने सबसे अहम् चुनौती औद्योगिक देशों से समानता हासिल करने की है। उसके बाद सार्वजनिक सुविधाओं तथा निजी दान के माध्यम से हमें उच्च संतुलन की ओर बढ़ना है। इसके लिए हमें प्राथमिक शिक्षा में नहीं वरन् उच्च शिक्षा में अधिक निवेश करना है। इसका यह अर्थ नहीं कि ये निवेश सरकार करे। यदि अल्प समय के लिए आवश्यक हो तो सरकार आई. आई. टी.

जैसी संस्थाओं को अवश्य स्थापित करे परंतु यह बात सत्य है कि उच्च शिक्षा का विकास देशों के बीच समानता की ओर ले जाता है।

इस बात का समर्थन विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्नालिट्ज करते हैं। वे कहते हैं कि “विश्वविद्यालयों को पैसा इसलिए नहीं देना चाहिये कि इससे व्यक्ति विशेष की क्षमता का विकास होता है बल्कि इसलिए कि इससे अर्थव्यवस्था के लिए नये विचारों को ग्रहण करना आसान हो जाता है।”

इसी संदर्भ में केरल में शिक्षा प्रसार के साथ-साथ आय के न्यून स्तर को समझना होगा जिस पर सेन फिदा हैं। सेन इस बात को नहीं देखना चाहते हैं कि राज्य के आर्थिक विकास की न्यूनता का कारण संभवतः सरकार द्वारा शिक्षा का प्रसार ही है।

सेन प्राथमिक शिक्षा का पक्ष इसलिए भी लेते हैं क्योंकि उनके अनुसार इससे रोजगार मिलने में सहायता मिलती है। सेन की पहली मान्यता यह है कि आधुनिक उद्योगों को शिक्षा की क्षमताओं की आवश्यकता होती है। दूसरी मान्यता यह है कि व्यावसायिक शिक्षा हासिल करने में प्राथमिक शिक्षा सहायक होती है। परंतु हम यह देख सकते हैं कि अनेक आधुनिक व्यवसायों में आवश्यक शिक्षा का स्तर घटता जाता है। अस्सी के दशक के मध्य में जब मारुति कार भारत में आयी थी तो उसकी नई तकनीक जैसे- थर्मोस्टेट रेडियेटर आदि के लिए मेकेनिकों को कम्पनी में व्यावसायिक शिक्षा दी गयी। उस समय लोग अपनी मारुति को ‘शिक्षित’ मेकेनिक से ठीक करवाते थे, क्योंकि तकनीक नयी थी। अब ऐसा नहीं है। आज के मारुति मेकेनिक निरक्षर भी हो सकते हैं, जिन्होंने अपने उस्ताद से शिक्षा ली है।

विश्व बाजार के उत्पादन करने में प्राथमिक शिक्षा की कितनी आवश्यकता होगी, यह स्पष्ट नहीं है। मण्डया का किसान निर्यात के लिए रेशम के कीड़े उगाता है, उसके लिए प्राथमिक शिक्षा का क्या महत्व है?

ऐसी परिस्थिति में स्कूली प्राथमिक शिक्षा क्या मदद कर सकती है? इस विवेचन का आशय शिक्षा का विरोध नहीं वरन् शिक्षा और रोजगार के संबंध की सीमा को अंकित करना है। मूल प्रश्न रोजगार के अवसरों और क्षमता के मिलान का है। बिना रोजगार के, क्षमता का विकास व्यक्ति को अपूर्ण छोड़ सकता है। इसलिए शिक्षा नीति को अवसरों से जोड़ना होगा। स्कूली क्षमताओं के विकास को तब तक इंतजार करना होगा जब तक तदनुसार रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं होते हैं।

सेन ऐसा मानकर चल रहे हैं कि रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, कमी 'क्षमताओं' की है। सेन स्त्री शिक्षा के सरकारी प्रबंध पर इसलिए विशेष जोर देते हैं। वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। अनेकों शिक्षित स्त्रियाँ बेरोजगार घूम रही हैं। सेन इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि शिक्षा में सरकारी व्यय बढ़ने से रोजगार कम हो जाते हैं, जिसके लिए शिक्षा दी जा रही होती है। सेन स्त्री शिक्षा के सरकारी प्रबंधन के पक्ष में तर्क देते हैं कि उसका संबंध घटती जन्म दर को दिखाता है।

वस्तुतः व्यक्ति का स्वातंत्र्य संबर्द्धन शिक्षा से हो सकता है या रोजगार से। ये दो विषय विश्लेषण में महत्वपूर्ण हैं। सेन का मानना है कि शिक्षा रोजगार प्राप्ति में सहायक होगी, किन्तु विश्व बैंक के विशेषज्ञों और डॉ. भरत झुनझुनवाला का स्पष्ट मानना है कि ऐसा नहीं है। संसाधनों की सीमित दशा में हमें पहले रोजगार सृजन पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। आर्थिक रूप से सशक्त होने के बाद व्यक्ति स्वयं शिक्षा पर ध्यान देता है जिससे उसकी कार्य क्षमतायें बढ़ सकें। **“परिवार शिक्षा के लाभ-हानि का विश्लेषण करते हैं। यदि शिक्षा में निवेश करने से उन्हें भविष्य की आय में लाभ होता दिखाता है तो वे अवश्य ही ये निवेश करेंगे। किन्तु यदि इस निवेश का लाभ नकारात्मक हो तो वे इस निवेश को नहीं करना चाहेंगे। बाल मजदूरी की समस्या का हल शिक्षित रोजगारों की वृद्धि में है। फिर परिवार स्वयं शिक्षा की व्यवस्था कर**

लेंगे। इस समस्या के निवारण के लिए रोजगार का अधिकार
स्थापित किया जाना चाहिये।¹

¹ भारतीय अर्थव्यवस्था, समीक्षात्मक अध्ययन; पृष्ठ-229 डॉ. भरत झुनझुनवाला

तृतीय अध्याय

जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति

- प्राइमरी स्कूल की संख्या
- शिक्षक छात्र का अनुपात
- निजी और सरकारी क्षेत्र के विद्यालय
- विद्यालयों में शिक्षा उपादानों और संसाधनों की उपलब्धता


जनपद झाँसी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डी.पी. ई.पी. तृतीय से आच्छादित है। वर्ष 2000 में जनपद में यह योजना संचालित की गई। इस योजना के अर्न्तगत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यालय से एक शैक्षिक सूचना प्रणाली का गठन किया गया, जिसके माध्यम से जनपद के कुछ शैक्षणिक आँकड़े प्राप्त किये गये जो निम्नवत हैं:-

सारणी-{3:1}

जनपद में शिक्षा परिदृश्य-(वर्ष 2000-01)

स.क्र.	क्षेत्र	विद्यालयों की संख्या	नामांकन	कुल शिक्षक	कक्षा कक्ष	कक्षा कक्ष छात्र अनुपात
1	बबीना	134	23861	644	472	51
2	बामौर	118	18451	324	283	65
3	बंगरा	123	21412	363	298	72
4	बड़ागाँव	119	18946	552	349	54
5	चिरगाँव	123	16907	382	294	58
6	गुरसरॉय	126	22782	363	327	70
7	मौठ	130	20117	287	278	72
8	मऊरानीपुर	113	20134	298	283	71
9	झाँसीनगर क्षेत्र	183	35788	976	997	36
10	मऊ नगर क्षेत्र	37	7548	229	207	36
	योग	1206	205946	4418	3788	54

विद्यालय शिक्षक अनुपात



■ विद्यालयों की संख्या ■ कुल शिक्षक

विकासखंड

जनपद झाँसी में वर्ष 2000-01 में 6-11 वर्ष की आयु के कुल 221481 बच्चे थे, जिनमें 205946 बच्चों अर्थात् 92.98 प्रतिशत का नामांकन किया गया। जिन्हें पढ़ाने हेतु 4418 अध्यापक थे। कुल नामांकित बच्चों के लिए 3788 कक्षा कक्ष थे। इस प्रकार एक कक्षा कक्ष पर 54 बच्चों का नामांकन था।

जनपद में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाये जाने के बाद एक वर्ष में 61 नवीन प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण, 55 भवनहीन एवं जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण एवं द्वितीय वर्ष में 58 भवनों का पुनर्निर्माण कराया गया। 100 हैंडपम्प और 230 शौचालयों का निर्माण भी इसी योजना के अन्तर्गत कराया गया। इसका उद्देश्य शत प्रतिशत नामांकन करना था। शाला त्याग की दर को घटाकर 10 प्रतिशत तक करना एवं विभिन्न विषयों की दक्षताओं की सम्प्राप्ति में वृद्धि करना है। इसके लिए सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण, विद्यालय विकास अनुदान, अध्यापक अनुदान दिया गया है। फलतः नामांकन वृद्धि और शाला त्याग की दर में कमी आयी है। योजना पूर्व जनपद में शाला त्यागी बच्चों का प्रतिशत 27.8 था। लेकिन नवम्बर 2001 में किये गये सर्वे से पता चला है कि विगत दो वर्षों में शाला त्याग की दर में 5.6 प्रतिशत की कमी आयी है।

वर्ष 1999 से 2003 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि देखने को मिली है। इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें वितरित की गयीं। जिसका प्रभाव यह हुआ कि वर्ष 2002-03 में कुल 30749 बच्चे नामांकित हुए, जो गत वर्ष की तुलना में 4882 अधिक थे। अर्थात् 15 प्रतिशत बच्चे अधिक नामांकित हुए। वर्ष 1999 से वर्ष 2003 के बीच इस वृद्धि को सारणी-{3:2}में देखा जा सकता है-

सारणी-{3:2}

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन एवं वृद्धि

वर्ष	कक्षा-6	कक्षा-7	कक्षा-8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि
1999-00	7224	6374	6056	19654	-
2000-01	8175	7588	6653	22416	12.3%
2001-02	9458	8654	7755	25867	13.3%
2002-03	11836	10170	8743	30749	15.0%

जनपद में वर्ष 1999-2003 तक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शत प्रतिशत नामांकन दर को भी हमने प्राप्त कर लिया है। अब उद्देश्य शाला त्याग की दर को कम करना ही रह गया है। वर्ष 1999 से वर्ष 2003 तक परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन की स्थिति इस प्रकार है-

सारणी-{3:3}

1999-2003 तक परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन

वर्ष	नामांकन			प्रतिशत		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1999-00	12694	6960	19654	64.6	35.4	100
2000-01	14254	8165	22419	63.6	36.4	100
2001-02	16308	9559	25867	63.0	37.0	100
2002-03	18228	12521	30749	59.3	40.7	100


जनपद में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात इस प्रकार है-

सारणी-{3:4}

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

क्षेत्र	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय	कालम 3+4	अनुपात
ग्रामीण	1001	311	56	367	4:1
नगरीय	80	11	46	57	2:1
योग	1081	322	102	424	3:1

1999 से 2003 तक परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन



सारणी से स्पष्ट है कि जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 4:1 है जबकि शहरी क्षेत्र में 2 प्राथमिक विद्यालयों पर 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय है।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद में साक्षरता दर 51.60 प्रतिशत थी। जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 66.80 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 33.80 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल साक्षरता दर 66.69 प्रतिशत हो गयी। पुरुषों की साक्षरता दर 80.11 और महिला साक्षरता दर 51.21 प्रतिशत हो गयी। इस प्रकार 1990 से 2000 के दशक में कुल साक्षरता दर में 15.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर में 13.31 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर में 17.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जनपद में साक्षरता की स्थिति को सारणी में स्पष्ट किया गया है-


सारणी-{3:5}

जनपद में साक्षरता¹

स.क्र.	जनपद की साक्षरता दर	1991 में जनपद झॉंसी	2001 में जनपद झॉंसी
1	कुल साक्षरता दर	51.60%	66.69%
2	ग्रामीण साक्षरता दर	41.60%	59.11%
3	शहरी साक्षरता दर	67.40%	78.05%
4	कुल पुरुष साक्षरता दर	66.80%	80.11%
5	कुल महिला साक्षरता दर	33.80%	51.21%
6	ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर	59.11%	75.44%
7	ग्रामीण महिला साक्षरता दर	19.10%	38.78%
8	शहरी पुरुष साक्षरता दर	78.60%	86.53%
9	शहरी महिला साक्षरता दर	54.60%	68.29%


¹ स्रोत:- जनपदीय सांख्यिकी पुस्तिका

1991 में ब्राँसी जनपद में साक्षरता दर
(प्रतिशत में)



- कुल साक्षरता दर
- बड़गांव
- कुल महिला साक्षरता दर
- ग्रामीण महिला साक्षरता दर
- शहरी महिला साक्षरता दर
- ग्रामीण साक्षरता दर
- कुल पुरुष साक्षरता दर
- ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर
- शहरी पुरुष साक्षरता दर

2001 में ब्राँसी जनपद में साक्षरता दर
(प्रतिशत में)



- कुल साक्षरता दर
- शहरी साक्षरता दर
- कुल महिला साक्षरता दर
- ग्रामीण महिला साक्षरता दर
- शहरी महिला साक्षरता दर
- ग्रामीण साक्षरता दर
- कुल पुरुष साक्षरता दर
- ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर
- शहरी पुरुष साक्षरता दर

जनपद झांसी की आबादी को देखते हुए 1330 की आबादी पर एक मान्यता प्राप्त/शासकीय विद्यालय है। जनपद में वर्ष 2001 की स्थिति के अनुसार 306 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। सभी क्षेत्रों को सेवित करने हेतु 120 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं। जनपद में परिषदीय/मान्यता प्राप्त/गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की स्थिति नीचे सारणी में देखी जा सकती है-

सारणी (3:6)

क्र. सं.	संस्थान	परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगर	योग	ग्रामीण	नगर	योग	ग्रामीण	नगर	योग	ग्रामीण	नगर	योग
1	प्राथमिक विद्यालय	1001	80	1081	32	296	328	1133	376	1409	7	16	23
2	माध्यमिक विद्यालय से	--	--	--	--	12	12	--	12	12	--	--	--
3	उच्च प्राथमिक	311	11	322	137	87	224	448	98	546	--	--	--
4	माध्यमिक विद्यालय से	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	सब्सिडी उच्च प्राथमिक	7	2	9	47	46	93	47	46	93	--	--	--
6	केन्द्रीय विद्यालय	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--
7	नवोदय विद्यालय	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--
8	हाईस्कूल (स. एवं प्राई.)	4	--	4	28	24	52	32	24	56	--	--	--
9	इन्टरमीडियट (स. एवं प्राई.)	3	2	5	19	22	41	22	24	46	--	--	--
10	ऑगनबाडी केन्द्रों की संख्या	--	--	--	--	--	--	824	100	924	--	--	--
11	झांसी नगर क्षेत्र	--	--	--	2	4	6	2	4	6	--	--	--
12	संस्कृत पाठशालाएँ	--	--	--	--	--	--	1	2	3	--	--	--
13	बाल श्रमिक	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14	अन्य/मूक बधिर पाठशाला	--	--	--	--	--	--	--	2	2	--	--	--
15	हायट	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--
16	बी.आर.सी.	8	--	8	--	--	--	8	--	8	--	--	--
17	एन.पी.आर.सी.	65	--	65	--	--	--	65	--	65	--	--	--

सारणी-{3:7}

जनपद में शिक्षा संस्थायें
(जहाँ प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षायें संचालित हैं।)

स. क्र.	प्रकार	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	हाईस्कूल	इण्टर कॉलेज
1	परिषदीय/राजकीय	1081	322	05	07
2	मान्यता प्राप्त	328	272	34	20
3	वित्तीय सहायता प्राप्त	--	16	24	2.4
	योग	1409	708	83	51

जब हम विभिन्न विकासखंडों की असेवित बस्तियों की संख्या और वहां से विद्यालयों की दूरी, निर्धारित मानक 300 की आबादी और 1.5 किमी. की दूरी पर नजर डालते हैं तो इन बस्तियों में औपचारिक विद्यालयों की स्थापना के साथ-साथ कम आबादी वाले क्षेत्रों के लिए ई. जी. एस., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र अथवा अन्य प्रकार के वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की आवश्यकता प्रतीत होती है। असेवित बस्तियों की संख्या तथा दूरी के अनुसार विद्यालय की सुविधा उपलब्ध बस्तियों की संख्या सारणी {3:8} में देखी जा सकती है:-

सारणी {3:8}

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

स. क्र.		एक किमी. से कम दूरी पर उपलब्ध विद्यालय	एक किमी. से अधिक किन्तु 1.5 किमी. से कम दूरी पर उपलब्ध विद्यालय	1.5 किमी. से अधिक दूरी पर उपलब्ध विद्यालय
1	ऐसे ग्राम/बस्तियों की संख्या जिसकी आबादी 300 से अधिक है।	467	226	--
2	ऐसे ग्राम/बस्तियों की संख्या जिसकी आबादी 300 से कम है।	--	32	51

सारणी {3:9}

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

स. क्र.	ब्लॉक का नाम	ऐसे ग्राम/बस्तियों की संख्या जिसकी आबादी 300 से अधिक है।	एक किमी. से कम दूरी पर उपलब्ध विद्यालय	एक किमी. से अधिक किन्तु 1.5 किमी. से कम दूरी पर उपलब्ध विद्यालय	1.5 किमी. से अधिक दूरी पर उपलब्ध विद्यालय
1	बबीना	”	44	45	---
2	बड़ागाँव	”	66	28	---
3	बंगरा	”	53	40	---
4	बामौर	”	60	28	---
5	चिरगाँव	”	55	30	---
6	गुरसरॉय	”	78	69	---
7	मऊरानीपुर	”	55	53	---
8	मौठ	”	56	23	---
	योग	---	467	329	---

उपर्युक्त समस्त बस्तियों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 111 एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 53 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। इस प्रकार समस्त बस्तियाँ प्राथमिक विद्यालयों से आच्छादित हैं।

सारणी {3:10}

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

स. क्र.	ब्लॉक का नाम	ऐसे ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिसकी आबादी 800 से अधिक है।	3किमी. से कम दूरी पर परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक उपलब्ध विद्यालय	3किमी. से अधिक दूरी पर परिषदीय उच्च प्राथमिक उपलब्ध विद्यालय	उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालय अनुपात 1:2 करने हेतु आवश्यक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
1	बबीना	”	50	---	---
2	बड़ागाँव	”	60	---	---
3	बंगरा	”	79	---	---
4	बामौर	”	47	---	---
5	चिरगाँव	”	41	---	---
6	गुरसरॉय	”	91	---	---
7	मऊरानीपुर	”	54	---	---
8	मौठ	”	30	---	---
9	झॉंसी नगर क्षेत्र	”	109	---	---
10	मऊ नगर क्षेत्र	”	10	---	---
	योग	---	572	---	---

सारणी-[3:11]
परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का छात्रांकन वर्ष 2003-04


स. क्र.	विकासखंड का नाम	कक्षा-1			कक्षा-2			कक्षा-3			कक्षा-4			कक्षा-5			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	बढीना	2777	2712	5489	2338	2043	4381	1937	1575	3512	1462	1088	2550	1136	808	1944	9650	8226	17876
2	बाजौर	1729	1863	3592	1803	3934	5737	1990	1959	3949	1548	1522	3070	1402	1282	2684	8472	10560	19032
3	बंगारा	2437	2253	4690	2299	2127	4426	2445	2253	4698	1947	1608	3555	1863	1456	3319	10991	9697	20688
4	बझागाँव	2071	1922	3993	1982	1806	3788	1848	1753	3601	1529	1476	3005	1141	997	2138	8571	7954	16525
5	चिरगाँव	1629	1669	3298	1799	1919	3718	1806	1721	3527	1428	2285	3713	1305	1179	2484	7967	8773	16740
6	गुरसराँय	1835	1787	3622	2246	2311	4557	2485	2263	4748	2023	1909	3932	1911	1679	3590	10500	9949	20449
7	गौठ	2412	2217	4629	2193	2328	4521	2173	1950	4123	2087	2062	4149	1853	1671	3524	10718	10228	20946
8	मऊरानीपुर	2346	2168	4514	2215	2162	4377	2041	1946	3987	2007	1921	3928	1957	1873	3830	10566	10070	20636
9	झाँसी नगर क्षेत्र	1279	1292	2571	1236	1394	2630	923	1027	1950	757	810	1567	584	708	1292	4779	5231	10010
10	मऊ नगर क्षेत्र	274	393	667	281	278	559	241	262	503	151	224	375	141	162	303	1088	1319	2407
	झाँसी नगर क्षेत्र	18789	18276	37065	18392	20302	38694	17889	16709	34598	14939	14905	29844	13293	11815	25108	83302	82007	165309

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत- दिनांक 09.06.03 तक जनपद में संपन्न हाउस होल्ड सर्वे में 5+6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक के कुल 217063 बच्चे चिह्नित किये गये थे, जो स्कूल नहीं जाते थे जिनमें से अगस्त 2003 तक 211185 बच्चों का नामांकन परिषदीय प्राइमरी एवं माध्यम प्राथमिक विद्यालयों में हो चुका था। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2003-04 तक 165309 बच्चों का नामांकन हो चुका था।

सारणी-[3:12]
परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का छात्रांकन वर्ष 2003-04
(जातिवार)

क्र. सं.	विकासखंड का नाम	कुल नामांकन			अनुसूचित जाति			पिछड़ी जाति			अल्पसंख्यक		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	जौठ	10732	10127	20859	4412	3995	8407	4762	4727	9489	935	953	1888
2	चिखोवाँव	7970	7675	15645	3204	5971	9175	4065	4395	8460	225	243	468
3	बंगारा	10994	9600	20594	4967	4395	9362	4831	4204	9035	412	425	837
4	मऊरानीपुर	10567	9937	20504	4630	4358	8988	4468	4126	8594	373	371	744
5	गुरसरोर	10552	9852	20404	4239	3980	8219	5933	4505	10438	639	593	1232
6	बडागाँव	8574	7857	16431	2987	2737	5724	4998	4661	9659	102	136	238
7	बबीना	9649	8128	17777	3432	2907	6339	5562	4604	10166	102	99	201
8	बागीर	8475	8464	16939	3614	3400	7014	3270	3719	6989	320	376	696
9	झाँसी नगर क्षेत्र	4781	5133	9914	1953	2192	4145	1180	2110	3290	1540	1680	3220
10	मऊ नगर क्षेत्र	1076	1124	2200	568	628	1196	265	310	575	219	243	462
	योग	83370	77897	161267	34006	34563	68569	39334	37361	76695	4867	5119	9986


प्राथमिक विद्यालयों का छात्रांकन वर्ष 2003 जातिवार



सारणी-3:13}
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का छात्र नामांकन वर्ष 2003-04
(जातिवार)

क्र. सं.	विकासखंड का नाम	कुल नामांकन			अनुसूचित जाति			पिछड़ी जाति			अल्पसंख्यक		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	मौठ	2411	1715	4126	938	601	1539	977	741	1718	295	213	508
2	चिरगाँव	1973	1502	3475	934	551	1485	877	747	1624	37	50	87
3	बंगरा	2966	2056	5022	1451	966	2417	1161	699	1860	112	97	209
4	मऊरानीपुर	3335	2196	5531	1387	844	2231	1300	740	2040	117	111	228
5	गुरसरॉय	2676	1682	4358	1249	706	1955	1049	592	1641	100	71	171
6	बड़ागाँव	1409	868	2277	517	272	789	759	477	1236	7	5	12
7	बबीना	1277	894	2171	454	226	680	702	499	1201	9	56	65
8	बागौर	2174	1301	3475	1050	550	1600	772	482	1254	86	73	159
9	झॉंसी नगर क्षेत्र	514	660	1174	223	304	527	191	194	385	78	126	204
10	मऊ नगर क्षेत्र	40	23	63	26	8	34	8	6	14	3	8	11
	योग	18775	12897	31672	8229	5028	13257	7796	5177	12973	844	810	1654

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का छात्र नामांकन वर्ष 2003-04



अनुसूचित जाति बालक
 अनुसूचित जाति बालिका
 पिछड़ी जाति बालक
 पिछड़ी जाति बालिका
 अल्पसंख्यक बालक
 अल्पसंख्यक बालिका

सारणी-[3:14]
(जातिवार)

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का छात्र नामांकन वर्ष 2003-04

क्र. सं.	विकासखंड का नाम	कक्षा-6			कक्षा-7			कक्षा-8			कुल योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	गौठ	971	726	1697	831	610	1441	607	379	986	2409	1715	4124
2	चिरगाँव	724	663	1387	655	411	1066	594	427	1021	1973	1501	3474
3	बंराटा	1122	829	1951	952	643	1595	891	584	1475	2965	2056	5021
4	मऊरानीपुर	1216	774	1990	1114	766	1880	1005	656	1661	3335	2196	5531
5	गुरसरॉय	953	707	1660	893	556	1449	830	418	1248	2676	1681	4357
6	बड़ागाँव	529	339	868	452	305	757	427	225	652	1408	869	2277
7	बबीना	424	346	770	411	291	702	442	256	698	1277	893	2170
8	बाभौर	791	535	1326	737	440	1177	646	325	971	2174	1300	3474
9	झॉसी नगर क्षेत्र	212	305	517	162	225	387	140	130	270	514	660	1174
10	मऊ नगर क्षेत्र	15	7	22	14	6	20	13	9	22	40	23	63
	योग	6957	5231	12188	6221	4253	10474	5595	3409	9004	18771	12894	31665

जनपद में 11 से 14 आयु वर्ग के कुल 97653 बच्चे विहित किये गये थे जिनमें से 94534 बच्चों का नामांकन परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में हो चुका है। इस समय परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 31665 बच्चे नामांकित हैं।

शिक्षक छात्र अनुपात

शिक्षक छात्र अनुपात शिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। शिक्षा विभाग के मानक के अनुसार 40 या 45 छात्रों पर एक शिक्षक आवश्यक होना चाहिए। शिक्षक छात्र अनुपात की अधिकता के कारण अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। जैसे समय और श्रम का दुरुपयोग होता है, धन का दुरुपयोग होता है। बालकों की उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती, जिससे शाला त्यागी बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है।


जनपद झाँसी में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की स्थिति एवं अनुपात दर सारणी (3:15) में देखी जा सकती है:-

सारणी {3:15}

विकासखंडवार अध्यापक शिक्षामित्र अनुपात

स. क्र.	विकासखंड	विद्यालयों की संख्या	कार्यरत अध्यापकों की संख्या	कार्यरत शिक्षामित्रों की संख्या	कालम 4+5	छात्र: अध्यापक अनुपात
1	2	3	4	5	6	8
1	बबीना	124	414	31	445	40:1
2	बड़ागाँव	110	442	22	464	35:1
3	चिरगाँव	121	278	33	311	51:1
4	मोंठ	136	298	95	393	53:1
5	बंगरा	134	310	61	371	56:1
6	मऊरानीपुर	116	243	59	302	68:1
7	गुरसरौंय	126	256	57	313	65:1
8	बामौर	115	232	49	281	60:1
9	मऊ नगर क्षेत्र	12	41	12	53	5:1
10	झाँसी नगर क्षेत्र	74	241	1	242	41:1
	योग	1068	2755	420	3175	54:1

जनपद में विकासखंड वार विद्यालयों एवं अध्यापकों की संख्या



विद्यालयों की संख्या
 कार्यरत अध्यापकों की संख्या

निजी और सरकारी विद्यालय

“पहली संकल्पना ने विचारों में मेल और कार्य में उद्देश्यों की एकता से स्वतंत्रता दिलवाने के लिए एक आंदोलन प्रारंभ किया। इसी तरह हमें एक दूसरी संकल्पना की भी आवश्यकता है जो समान उद्देश्यों के लिए समाज के सभी वर्गों से लोगों को एकत्र कर सके। जटिल प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सहित संरचनात्मक विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि के क्षेत्र में एकीकृत कार्यों से भारत को विकासशील से विकसित देश में परिवर्तित करना होगा। इस महान संकल्पना का लक्ष्य गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी उन्मूलन होगा। इस संकल्पना के प्रति जब हमारे देशवासियों के विचार समान होंगे तब प्रसुप्त संभावनायें विशाल शक्ति के रूप में सामने आकर करोड़ों लोगों को समृद्धि और खुशहाली देगी। राष्ट्र की यह संकल्पना मतभेदों और छोटी सी सोच से उठे विरोधों को समाप्त कर देगी।” - **राष्ट्रपति ए.**

पी.जे. अब्दुलकलाम

राष्ट्रपति कलाम साहब ने भारत के संपूर्ण विकास का जो स्वप्न देखा है, उसको साकार करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों में पहला कदम शिक्षा और वह भी सर्वशिक्षा है। कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि- “भारत की तकदीर विद्यालय की कक्षाओं में गढ़ी जा रही है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में शिक्षा ही आर्थिक समृद्धि, जनकल्याण और जनसुरक्षा सुनिश्चित करती है। और प्राथमिक शिक्षा इसकी आधार शिला है। मगर गुणवत्ता के स्तर पर अधिकाँश विद्यालयों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। यों तो शिक्षा का विस्तार बहुत हुआ है परंतु गतिहीनता अनेक स्तरों पर देखी जा सकती है।”

भारत में पिछले 50 वर्षों में स्कूलों की संख्या में लगभग 3 गुना, स्कूली बच्चों की संख्या में 8 गुना और शिक्षकों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है। ये सब उपलब्धियाँ हैं परन्तु सर्वशिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी काफी लम्बी दूरी तय करनी है तथा

रास्ते टेढ़े-मेढ़े और दुर्गम हैं। महिलायें साक्षरता में काफी पीछे हैं और अनुसूचित जाति तथा जनजाति की महिलायें और भी पीछे हैं। स्कूली बच्चों का स्कूल बीच में छोड़ देने का प्रतिशत अभी भी बहुत ऊँचा है और स्कूली वातावरण में अनुशासन के अभाव में दुर्व्यवस्था फैली रहने के कारण बच्चे- बच्चियाँ सरकारी स्कूलों को छोड़कर निजी स्कूलों में जा रहे हैं। पढ़ाई का स्तर काफी गिरा है और अभिजात्य वर्ग और अभिवंचित वर्ग के बच्चे- बच्चियों में खाई इतनी चौड़ी होती जा रही है कि इसके चलते गंभीर सामाजिक समस्यायें पैदा हो रही हैं।

भूमंडलीकरण का आजकल बड़ा शोर है। इस शोर के माध्यम से यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि दुनियाँ अब सारे भेदभाव मिटाकर एक होने जा रही है। परंतु सच्चाई इसके विपरीत है। यह भूमंडलीकरण 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अन्तः प्रेरणा से प्रेरित नहीं है बल्कि बाजार की बे-लगाम शक्तियों के सहारे पश्चिम की प्रभुत्ववादी मंसूबे को पूरा करने की एक चतुर प्रक्रिया है। इसने अर्थव्यवस्था, राजनीति, तकनीकी, संस्कृति, शिक्षा हर क्षेत्र को व्यापक रूप से अपनी चपेट में ले लिया है।

यदि हम अवलोकन करें तो पाते हैं कि बाजार की नीतियाँ सभी स्थानों पर लागू होती हैं, चाहे वह शिक्षा ही क्यों न हो। यह बात सभी स्वीकारते हैं सुव्यवस्थित और संपूर्ण विकास के लिए अच्छी शिक्षा परमावश्यक है। परंतु भूमंडलीकरण के इस दौर में शिक्षा सर्वाधिक प्रभावित हुई है। बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा की स्थिति में जहाँ एक ओर सुधार हुआ है, वहीं शिक्षा के निजीकरण के कारण साक्षरता दर में आशानुरूप सुधार नहीं हुआ है। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में शिक्षा का विस्तार शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक व्यापक व तीव्र गति से हुआ है। शिक्षा स्तर व गुणवत्ता के मध्य खाई बढ़ी है। जहाँ पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे प्राथमिक स्तर पर ही सूचना एवं संचार माध्यमों द्वारा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहीं देश के अधिकाँश बच्चे खुले

आसमान के नीचे बिना कॉपी-किताबों के शिक्षा प्राप्त करने को बाध्य हैं।

इस व्यवस्था ने शिक्षित युवा वर्ग को इतना प्रभावित किया है कि शैक्षिक बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। निजी संस्थान दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। समाज के एक वर्ग की नजर में सही है क्योंकि ये संस्थान गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या ये संस्थान गरीब, अल्पसंख्यक, दलित व पिछड़े वर्ग को निःशुल्क शिक्षा दे पायेंगे? नहीं, जबकि सरकार को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर दिलाने के लिए सचेष्ट रहना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार-सरकार अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी को शिक्षा से पुष्ट करेगी, किन्तु जिस प्रकार से सरकार शिक्षा का निजीकरण कर रही है, वह दिन दूर नहीं जब इतिहास स्वयं को दोहरायेगा अर्थात् पहले की तरह शिक्षा केवल धनी वर्ग तक ही सीमित होकर रह जाएगी, क्योंकि निजी संस्थान शिक्षा के नाम पर लाखों रुपये की फीस लेते हैं और निर्धन व अभिवंचित वर्ग के लोग इतनी फीस नहीं दे सकते। गरीब- प्रतिभाशाली विद्यार्थी एक अभिशाप बनकर रह गया है। शिक्षा क्षेत्र में उदारीकरण की प्रवृत्तियाँ लागू करने पर निम्न मुद्दे चर्चा का विषय हो सकते हैं-

1. सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6-14 आयु वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान तो सरकार ने कर दिया किन्तु ग्रामीण अंचलों के विद्यालयों में क्या गुणवत्ता युक्त शिक्षा का प्रबंध सरकारी स्तर पर हो पा रहा है? जो आज के समय की माँग है।
2. सबको शिक्षा का प्रावधान सरकार ने कर दिया परंतु क्या सभी को समान शिक्षा का प्रबंध करने के लिए सरकार ने कारगर उपाय अपनाये हैं? इस प्रश्न का उत्तर आसानी से 'नहीं' में मिल जाएगा। क्योंकि व्यवहार में हम निजी और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता का अंतर देख सकते हैं।

3. निजी क्षेत्र के सभी विद्यालय गुणवत्ता युक्त होंगे, ऐसा आवश्यक नहीं, क्योंकि उदारीकरण के दौर में शिक्षा की दुकानें सजी हैं। शिक्षा को एक उत्पाद (वस्तु) बना दिया गया है अपनी वस्तु (शिक्षा) को बाजार देने की स्पर्धा जारी है। अभिभावक ठगे जा रहे हैं, बच्चे छले जा रहे हैं।
4. सरकार ग्रामीण अंचलों में जब तक बुनियादी आवश्यकताओं—पेयजल, बिजली, सड़कें, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था कर सकने में समर्थ नहीं होती, तब तक आधुनिक समय की माँग के अनुरूप गुणवत्तापरक शिक्षा जनसाधारण को उपलब्ध नहीं करायी जा सकती, क्योंकि यह सर्वविदित तथ्य है कि नयी तकनीक शिक्षा के लिए ऊर्जा संसाधनों का उपलब्ध होना आवश्यक है।
5. उदारीकरण के दौर में भारत में भाषायी असमानता की खाई को और बढ़ाया है। एक ओर हम मातृभाषा के रूप में हिन्दी की वकालत करते हैं, दूसरी ओर कॉर्पोरेट जगत के लिए अंग्रेजी ज्ञान अघोषित अनिवार्यता है। ग्रामीण विद्यालयों में तकनीकी प्रशिक्षण और अंग्रेजी ज्ञान की शिक्षा का सर्वथा अभाव देखने को मिलता है।
6. ग्रामीण अंचलों के सरकारी क्षेत्र के विद्यालयों में जहाँ एक ओर संसाधनों का अभाव है वहीं दूसरी ओर शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों में कार्य के प्रति उदासीनता का भाव छात्रों के लिए अरुचिकर वातावरण बनाता है। जिन गांवों में हम थोड़ी सी रुचि लेकर सहज ही अच्छे खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं, वहाँ कर्मचारियों का उदासीनता पूर्ण रवैया हमारे अभीष्ट की प्राप्ति में बाधक बनता है।

निजी क्षेत्र के विद्यालयों में इन तमाम प्रकार की सुविधायें सहज ही उपलब्ध हैं। लेकिन किन के लिए? उन चंद अमीर घर के बच्चों के लिए, जो पैसे से अन्य उपभोग वस्तुओं की भाँति अच्छी शिक्षा भी खरीद सकते हैं।

यह तथ्य सर्वविदित है कि प्राथमिक शिक्षा बच्चे की उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु आधारभूत ढाँचा तैयार करता है। आर्थिक अभाव बच्चे में शिक्षा के प्रति वंचना का भाव उत्पन्न करता है। प्रतिभावान निर्धन बच्चे गुणवत्तायुक्त शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उत्पादन के सभी साधनों पर पैसे वालों के अधिपत्य के साथ-साथ शिक्षा साधनों पर भी उनका अधिपत्य हो जाता है। और निर्धनों का धर्नाजन की पात्रता पर से अधिकार लुप्त हो जाता है। फलतः अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और चौड़ी हो जाती है।

7. एक प्रश्न यह भी है कि क्या पैसे का गुणवत्ता से ताल्लुक है? यदि ईमानदारी के साथ सुनियोजित तरीके से पैसा खर्च किया जाये तो बिल्कुल है, लेकिन सरकारी स्कूलों का सर्वाधिक नकारात्मक बिन्दु अब शायद यही हो गया है। कम से कम जो अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में है, वे गुणवत्ता के प्रति सजग हो गये हैं। अगर शहरी परिवारों की बात करें तो उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई- लिखाई के लिए अपने बजट में जगह बढ़ाई है। अच्छी और गुणवत्ता युक्त पढ़ाई उपलब्ध कराना अब उनका मकसद है। अब यह आम धारणा बन गई है कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता के लिहाज से शिक्षा ठीक नहीं है इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रायवेट संस्थान जो 1979-80 तक देश भर में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा रहे थे, 8 प्रतिशत से भी कम थे, लेकिन अब (2005में) यह आँकड़ा 15 प्रतिशत से भी ज्यादा हो गया है। अगर शहर और महानगरों में देखा जाए तो सरकारी और निजी संस्थानों में पढ़ने वालों का अनुपात बराबर है। लिहाजा सरकार को गुणवत्ता व ढाँचागत सुविधाओं पर अधिक ध्यान देना होगा। हालाँकि सरकार ने पैसा बढ़ाकर इस ओर ध्यान देने की कोशिश की है,


किन्तु अपने देश में ऊपर से नीचे कितना पैसा आ पाता है ? यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। जितना भी पैसा जिस मद के लिए दिया जा रहा है, वह पूरा का पूरा वहाँ तक पहुँचे और ईमानदारी से खर्च हो, यह सुनिश्चित करना जरूरी है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की है जो इस प्रक्रिया से जुड़ा है। इसी व्यावहारिक महत्व को रेखांकित करते हुए डीम्ड यूनीवर्सिटी के कुलपति **मिलाप डुग्गर** का कहना है—“ जब तक हम विचार और व्यवहार में ईमानदारी और निष्ठा नहीं लायेंगे, हमारे लिए बड़े से बड़ा आबंटन भी कम पड़ेगा। सरकार जितने भी अनुदान या पैसे की घोषणा करती है यदि वह पूरी राशि ईमानदारी और व्यवस्थित तरीके से खर्च की जाएगी, तो हम अपेक्षित परिणामों के निकट पहुँच सकते हैं।”

8. 'सबके लिए, समान शिक्षा और गुणवत्तायुक्त शिक्षा' यह नारा है भारत के नवनिर्माण के स्वप्न दृष्टियों का। हमने आज की तारीख में सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य तो लगभग पा लिया है किन्तु सबके लिए समान शिक्षा और गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लक्ष्यों से अभी भी हम दूर हैं।

सारणी—{3:16}

प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का कारण

स.क्र.	कारण	संख्या	प्रतिशत
1	पढ़ाई का स्तर अच्छा है	80	40
2	अध्ययनेत्तर गतिविधियाँ	62	31
3	साफ, सफाई, सुविधाएँ	122	61
4	अंग्रेजी भाषा का ज्ञान	82	41



सर्वेक्षण से यह तथ्य तो बहुत साफ तौर पर सामने आया कि 200 न्यादर्श अभिभावकों में अधिकाँश 122 अभिभावक जो स्वयं पढ़े-लिखे नहीं हैं अपने बच्चों को निजी पब्लिक स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं। इनमें से 40 प्रतिशत का मानना है कि निजी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर अच्छा होता है, 31 प्रतिशत ने माना कि इन विद्यालयों में खेलकूद, नवीन तकनीकी से संबंधित शिक्षा, प्रतिस्पर्धाएँ आदि अधिक संपन्न होती हैं, 61 प्रतिशत अभिभावक साफ-सफाई और प्रबंध से प्रभावित थे तो 41 प्रतिशत को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का दिया जाना प्रभावित करता है।

विद्यालयों में शिक्षा उपादानों और संसाधनों की

उपलब्धता

किसी भी राष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए सबसे जरूरी तत्व शिक्षा है। भारत सन् 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है, परंतु अभी हमारे देश में 30 करोड़ 50 लाख लोग ऐसे हैं, जिन्हें साक्षर बनाने की जरूरत है और ऐसे बहुत से लोग हैं, जिन्हें उभरते हुए आधुनिक भारत और विश्व के अनुरूप रोजगार और योग्य कौशल प्राप्त करना है। इसके अलावा हमें समाज के कमजोर वर्गों के उन बच्चों के बारे में सोचना है जो अल्प पोषित हैं और उनमें से कुछ बच्चे 8 वर्ष तक की अपनी शिक्षा पूरी कर पाते हैं जबकि अब शिक्षा प्रत्येक भारतीय बच्चे का मौलिक अधिकार है क्या हम चाहेंगे कि लाखों बच्चे जीवन भर गरीबी में जीते रहें। जरूरत इस बात की है कि अभिभावकों को अपने बच्चों को नजदीकी स्कूल में ले जाकर दाखिला करवाना चाहिए और प्रसन्नता तथा विश्वास के साथ वापिस घर लौटना चाहिए कि उनका बच्चा उस स्कूल में अच्छी और नैतिक मूल्यों की शिक्षा ग्रहण करेगा।

राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुलकलाम शैक्षिक संसाधनों तक आम जनता की असमान पहुँच के संदर्भ में अत्याधिक चिंतित है। अनेक कारणों से शैक्षिक संसाधनों तक आसमान पहुँच अभी तक बनी हुई है। उदाहरण के लिए गांव में 3 प्रकार के परिवार देखे जा सकते हैं। पहले वे भाग्यशाली परिवार जो किसी भी कीमत पर परिवार के बच्चों को शिक्षित और अपनी आर्थिक संपन्नता के कारण सभी स्तरों पर उनका मार्गदर्शन करने का महत्व जानते हैं। फिर वे परिवार हैं जो शिक्षा का महत्व तो जानते हैं परंतु न तो वे अपने बच्चों के लिए अवसर और न ही उन्हें साकार करने की प्रक्रिया और तरीकों के बारे में जानते हैं। तीसरे प्रकार के परिवार वे हैं जो

आर्थिक रूप से कमजोर हैं और शिक्षा के महत्व को नहीं जानते हैं तथा पीढ़ियों से उनके बच्चे उपेक्षा और गरीबी में जीते आ रहे हैं।

यह आवश्यक है कि हम समाज के सभी वर्गों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और शहर में रहने वाले गरीबों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनायें। हमें इस महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए। गैर सरकारी संगठनों, अन्य सामाजिक लोकोपकारी संस्थानों और मीडिया के लिए इस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करना संभव है। अल्प सुविधा प्राप्त लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हमें आवश्यक संसाधनों को गतिशील बनाना चाहिए। आधुनिक युग में समाज का स्वरूप दिन प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है। मानव जीवन का प्रत्येक क्षेत्र समस्याग्रस्त है। तब विद्यालय का सामाजिक वातावरण कैसे अप्रभावित रह सकता है? अब विद्यालयी जीवन इतना संश्लिष्ट हो गया है कि उसमें विभिन्न स्तरों पर समस्याएँ विचलित करती हैं। इसमें दो समस्याएँ प्रमुख हैं—

1. भौतिक समस्याएँ
2. प्रशासनिक समस्याएँ

शिक्षा के प्रसार में विद्यालयों की भौतिक समस्याएँ बाधा बनी हुई हैं। शिक्षा के सार्वभौमीकरण तथा जनसंख्या की वृद्धि ने प्राथमिक विद्यालयों के अभाव की समस्या को उत्पन्न कर दिया है। विद्यालय भवन, शैक्षिक उपकरण, साज-सज्जा, पुस्तकालय आदि का नितांत अभाव है। आज भी अनेक विद्यालय ऐसे हैं, जिनके पास कोई भवन नहीं है। जिन विद्यालयों के पास भवन हैं भी, तो वे नितांत अपर्याप्त हैं। विद्यालय में सभी छात्रों को बैठने के लिए उपयुक्त फर्नीचर प्राप्त नहीं है। विद्यालयों में शिक्षण सामग्री का अभाव है। यहाँ तक कि श्यामपट जैसी वस्तुएँ भी उपलब्ध नहीं हैं। विद्यालय में दिन प्रतिदिन की समस्याओं की पूर्ति हेतु धन का अभाव देखने को मिलता है। अनेक विद्यालयों में पेयजल की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को पाठ्य

पुस्तकों की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। सत्र प्रारंभ हो जाता है परंतु उनको समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पातीं। कभी यह अभाव मुद्रण की अव्यवस्था के कारण देखने को मिलता है तो कभी कागज के अभाव के कारण। अनेक विद्यालयों के भवन इतनी जीर्ण-शीर्ण दशा में हैं कि उनके गिरने का भी भय रहता है साथ ही वर्षा के मौसम में उनमें अध्यापन कार्य कठिन एवं भय युक्त रहता है। पाठ्यक्रम का बार-बार बदलना भी शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए समस्या बन जाता है। पाठ्यक्रम में जल्दी-जल्दी परिवर्तन राष्ट्र हित में उपयोगी नहीं होते। वर्तमान समय प्रौद्योगिकी युग है, तात्कालिक सूचनाओं के अभाव में हम जड़ता से ग्रसित होते हैं। ग्रामीण अंचलों के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संसाधनों के अभाव में इनका श्रीगणेश ही नहीं हो सका है। बुनियादी जरूरतों बिजली, पानी और सड़कों के बिना इन सुविधाओं की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि ग्रामीण-शहरी और निजी तथा सरकारी विद्यालयों के वातावरण में भारी अंतर महसूस किया जा सकता है। प्रायः देखा जाता है कि निजी क्षेत्र के संसाधन संपन्न विद्यालयों में खेल, स्वास्थ्य, प्रतिभा संरक्षण हेतु अनेक व्यवस्थायें होती हैं किन्तु सरकारी क्षेत्र के विद्यालयों का वातावरण इन सुविधाओं के अभाव में अत्याधिक नीरस होता है।

ग्रामीण क्षेत्रों व शहरों की निर्धन बस्तियों के स्कूलों के लिए उपलब्ध संसाधनों को सुविधाओं को प्राथमिकता के अनुसार आबंटित करना होगा। इसके साथ ही शिक्षा संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि भी करनी होगी। पिछले 50 वर्षों से सरकार सर्व व्यापी शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने के प्रति कटिबद्ध रही है और शिक्षा के लिए लगातार बजटीय आबंटन में वृद्धि की गई है। यदि हमें शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करनी है तो शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 से 7 प्रतिशत तक व्यय जरूर करना होगा। 2 से 3 प्रतिशत तक की वृद्धि को कुछ वर्षों तक बनाए रखना होगा। इसके

बाद शिक्षा पर कम सकल घरेलू उत्पाद आबंटन भी साक्षरता का उँचा स्तर कायम रखने के लिए पर्याप्त होगा।

यह स्पष्ट है कि केन्द्र और राज्य सरकारें शिक्षा मिशन के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अतिरिक्त 2 या 3 प्रतिशत सार्वजनिक व्यय जुटाने की चुनौती पूरी न कर पाएगी, इसलिए हमें इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए अतिरिक्त संसाधन पैदा करने होंगे। केन्द्र या राज्यों में शिक्षा पर होने वाला खर्च अब केवल संबंधित मानव संसाधन विकास मंत्रालयों या विभागों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। वास्तव में सरकार के प्रत्येक विभाग को मानव संसाधन विकास संगठन के साझीदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और संपूर्ण राष्ट्र को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के मिशन को क्रियान्वित करने के लिए बजट और बुनियादी ढांचों से जुड़े संसाधनों में योगदान देना चाहिए। कारपोरेट क्षेत्र शिक्षा हेतु संसाधनों में वृद्धि करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। शिक्षा के समग्र राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत कारपोरेट क्षेत्र द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों को गोद लिया जा सकता है। इस प्रणाली से व्यक्ति को कुछ नया करने और देने की स्वतंत्रता दी जा सकती है।

शिक्षा की गुणवत्ता और मानक में भिन्नता के कारण पसंदीदा स्कूल की धारणा प्रबल हो रही है। स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित शिक्षा के लिए स्कूल में प्रवेश के समय से ही बच्चों को प्रतिस्पर्धी बनाया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्कूल चलाने में गैर सरकारी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संपन्न अभिभावक यदि समर्थ हों तो प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा दिलवाने के लिए वे कुछ ग्रामीण बच्चों को गोद ले सकते हैं।

जहाँ तक जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रदत्त मौलिक सुविधाओं का प्रश्न है; उनकी क्षेत्रवार स्थिति सारणी-{3:17} से स्पष्ट होती है:-

सारणी-{3:17}
विद्यालयों में भौतिक सुविधायें

परिषदीय विद्यालय:- (अ) प्राथमिक

स. क्र.	विकासखंड का नाम	सुविधा का प्रकार							
		एक कक्षीय	दो कक्षीय	तीन कक्षीय	चार कक्षीय	पाँच कक्षीय	पाँच से अधिक	शौचालय युक्त	हैण्डपंप युक्त
1	बड़ागाँव	..	18	148	01	05	..	90	103
2	बबीना	05	29	66	03	01	..	95	110
3	चिरगाँव	09	50	64	115	136
4	मौठ	08	76	68	120	138
5	बंगरा	08	69	31	05	..	01	110	140
6	मऊरानीपुर	14	63	36	97	133
7	गुरसरौंय	03	77	47	102	132
8	बामौर	22	70	44	103	108
9	झौंसी नगर क्षेत्र	02	17	09	..	01	..	08	70
10	मऊ नगर क्षेत्र	..	01	06	02	02	12
	योग	71	470	519	11	09	01	840	1077

सारणी-{3:18}

परिषदीय विद्यालय:- (ब) पूर्व माध्यमिक

स. क्र.	विकासखंड का नाम	सुविधा का प्रकार							
		एक कक्षीय	दो कक्षीय	तीन कक्षीय	चार कक्षीय	पाँच कक्षीय	पाँच से अधिक	शौचालय युक्त	हैंडपंप युक्त
1	बड़ागाँव	15	03	01	..	14	14
2	बबीना	14	02	..	08	13
3	चिरगाँव	01	01	..	24	26	26
4	मौठ	01	01	01	17	01	..	19	04
5	बंगरा	..	05	..	21	03	..	06	23
6	मऊरानीपुर	..	01	06	11	01	..	06	22
7	गुरसरॉय	32	05	25
8	बामौर	23	02	21
9	झाँसी नगर क्षेत्र	01	02	03	05	09
10	मऊ नगर क्षेत्र
	योग	03	10	25	150	08		86	157

जनपद की 103 असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं। जिनमें से 50 डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत व 53 सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत खोले गए हैं। मानक के अनुसार 120 असेवित बस्तियों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत 440 शौचालय प्राथमिक विद्यालयों में बनावाए जा चुके हैं। 287 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया जा चुका है। जिससे कक्षा-कक्ष छात्र अनुपात संतुलित हो सके। अधिकाँश प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु हैंडपम्प एवं शौचालयों की माँग पूरी की जानी है।

डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत 115 विद्यालयों का पुर्ननिर्माण किया जा चुका है। कक्षा-कक्ष छात्र अनुपात के हिसाब से 581 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की माँग प्राथमिक विद्यालयों हेतु की जा रही है। प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा हेतु मात्र 4 विद्यालय शेष हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 50 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों व 34 हैंडपम्पों की माँग प्रस्तुत की गई है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की वर्षवार पूर्ति का लक्ष्य अग्रांकित सारणी के अनुसार निर्धारित किया गया है:-

सारणी-{3:19}

भौतिक सुविधाओं की वर्षवार पूर्ति का लक्ष्य

क्र.	वर्ष ⇒ मद ↓	2004-05	2005-06	2006-07	योग
		1	पुनर्निर्माण
2	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	225	225	181	631
3	पेयजल सुविधा	38	38
4	शौचालय	213	100		313
5	चाहरदीवरी

जिले में प्राथमिक स्तर पर अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की माँग निम्न आधार पर निकाली गई है:-

- एक कक्षीय 71 विद्यालयों को दो अतिरिक्त कक्ष दिए जायेंगे।
- दो कक्षीय 568 विद्यालयों में एक अतिरिक्त कक्ष दिया जायगा।

डी.पी.ई.पी. तृतीय के अन्तर्गत अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के लिए वर्ष 2001-02 में निर्माण करने का प्रावधान था और 144 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की आवश्यकता थी। जनपद में 55

प्राथमिक विद्यालय जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे। वर्ष 2000 से 2003 तक इनके पुनर्निर्माण का लक्ष्य रखा गया था।

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भवन के रखरखाव हेतु प्रतिवर्ष 5000रु. का अनुदान पारित किया गया था। इसके अतिरिक्त 2000 रु. प्रतिवर्ष भवन की रंगाई-पुताई हेतु दिए जाने थे। डी.पी.ई.पी. के सकारात्मक अनुभवों को देखते हुए सर्वशिक्षा अभियान ने भी प्रति विद्यालय 2000 रु. की दर से विद्यालय विकास अनुदान देने का प्रस्ताव रखा है।

चतुर्थ अध्याय

जनपद में महिला साक्षरता

जनपद में महिला साक्षरता

किसी भी राष्ट्र अथवा क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में वहाँ की श्रम शक्ति, मानव संसाधन का आकार, कार्य तथा कार्य में नियमितता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस प्रकार का समग्र विकास तभी संभव हो सकता है जब उस समाज में महिलाओं तथा पुरुषों को समानता प्राप्त हो। यह समानता कानूनी तौर पर तथा सैद्धान्तिक होने के साथ-साथ समाज में व्यावहारिक तौर पर स्वीकार होना भी अति आवश्यक है क्योंकि व्यावहारिक तौर पर समान अधिकार न होने पर कानूनी और सैद्धान्तिक अधिकारों का होना लगभग निरर्थक है।

यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि नारी की सक्रिय भूमिका को संकुचित रखने के दुष्प्रभाव केवल नारी जाति तक ही सीमित नहीं रह जाते, वे समस्त मानव मात्र को समान रूप से प्रभावित करते हैं। इनके परिणाम सभी को भुगतने पड़ते हैं—चाहे वे बालक हों या बालिकायें या फिर वयस्क स्त्री-पुरुष। आज भी नारी के कुशल क्षेम को बढ़ाने और उसकी दुर्दशाओं के निवारण करने के प्रयास सतत् सजगता के साथ चलाए रखने की आवश्यकता कम नहीं हुई है। पर साथ ही साथ अब नारीवादी कार्यसूची में नारी के 'कर्ता' स्वरूप को स्वीकृत कर उस आधार पर कार्य करने की आवश्यकता भी बहुत बलवती हो गई है।

बृहन्तर भूमिका पर ध्यान देने के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क तो संभवतः यही है कि इसके माध्यम से नारी के कुशलक्षेम का दमन करने वाली सभी विषमताओं को दूर कर पाना संभव हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में हुए व्यावहारिक शोध कार्यों ने बहुत ही स्पष्ट रूप से यह उजागर कर दिया है कि नारी की घर से बाहर निकलकर कुछ उपार्जन करने की क्षमता से किस प्रकार उसके अपने कुशलक्षेम के प्रति भी सम्मान का भाव विकसित होने लगता है। ऐसे ही प्रभाव उनके संपत्ति संपन्न होने तथा साक्षर होने से भी पैदा हुए हैं। "साक्षरता ने उन्हें परिवार की निर्णय प्रक्रिया में शिक्षित

भागीदार की प्रतिष्ठा भी दिलाई है। इन भूमिका प्रसारक कारकों में सुधार के साथ-साथ विकसित देशों में पुरुषों की तुलना में नारियों की अनुजीवन वंचनायें भी बहुत तेजी से कम हो रही हैं। आशा की जा सकती है, कि ये अन्ततः समाप्त भी हो जाएँगी।”¹

प्रथमतः ये आयाम- नारी उर्पाजन क्षमता, घर से बाहर आर्थिक भूमिका, साक्षरता और शिक्षा, संपत्ति का अधिकार आदि अलग-अलग दिखाई देते हैं पर अन्ततः इनके प्रभाव साँझे ही होते हैं ये सभी नारी की स्वायत्तता और शक्ति संपन्नता के माध्यम से उसकी वाणी और भूमिका को प्रबल बनाने में सकारात्मक योगदान करते हैं। घर से बाहर निकलकर रोजगार करने और स्वतंत्र आय कमाने वाली नारी के समाज और परिवार में स्थान और सम्मान में वृद्धि होती है। परिवार की समृद्धि में उसका योगदान अधिक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। वह पराबलंबी नहीं रह जाती, अतः उसकी बात को अन्य सभी लोग ध्यान से सुनते भी हैं। बाहर रोजगार करने का कुछ 'शिक्षात्मक' प्रभाव भी रहता है, नारी को घर से बाहर के लोगों से संपर्क के माध्यम से अनेक प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इनसे वह अपनी बृहत्तर भूमिका के निर्वहन में भी अधिक कुशल हो पाती है। इसी प्रकार नारी शिक्षा से उसकी भूमिका अधिक सारगर्भित और कुशल होने के नाते अधिक सशक्त भी हो जाती है। संपत्ति का स्वामित्व भी नारी को परिवार के निर्णयों में भागीदारी की शक्ति प्रदान करता है, वहाँ भी उसकी बात, उसकी राय पर ध्यान दिया जाता है।

अतः जिन अलग-अलग आयामों की पहचान विभिन्न अध्ययनों द्वारा की गई है, वे अन्ततः एकीकृत रूप से नारी संशक्तिकारी रूप धारण कर लेते हैं। इस स्वरूप का सीधा अभिप्राय यही है कि स्वायत्तता और सामाजिक विमुक्ति पर आधारित नारी शक्ति का परिवार के भीतर और सारे समाज में ही नारी की

¹ नारी की बृहत्तर भूमिका और सामाजिक परिवर्तन, पृ. 201; आर्थिक विकास स्वातंत्र्य; अमर्त्य सेन का समग्र आर्थिक दर्शन- अमर्त्य सेन

अधिकारिताओं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभावकारी सिद्धान्तों, नियमों आदि की रचना और व्यवहार पर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ता है।

नारी की बृहत्तर भूमिका का विस्तार उसके अपने कुशलक्षेम से भी कहीं बहुत आगे तक प्रभावकारी होता है। जब नारी परिवार एवं समाज में महत्वपूर्ण निर्णायक की भूमिका में होती है तो उसकी बाल अनुजीवन संवर्द्धन तथा जनन दर पर नियंत्रण में सक्रिय भूमिका देखी जा सकती है। ये दोनों ही घटक केवल नारी की कुशलक्षेम से सम्बंधित नहीं हैं, वरन् व्यापक स्तर पर समाज के सामान्य हितों से इनका गहरा संबंध है। यह सत्य है कि इनमें नारी का अपना कुशलक्षेम तो बहुत ही स्पष्ट रूप से सिद्ध होता दिखाई पड़ता है— और यह भी कि समाज की सामान्य उपलब्धियाँ बढ़ाने में सहायक रहता है।

यही बात आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के अनेक अन्य पहलुओं पर भी लागू पाई गई है— चाहे वह ग्रामीण वर्णव्यवस्था या आर्थिक गतिविधियों का पक्ष हो या राजनीतिक आंदोलनों अथवा सामाजिक विचार मंथन की बात हो या अन्य कोई मुद्दा हो, विकास अध्ययनों में अभी भी नारी की बृहत्तर भूमिकाओं के व्यापक प्रसार के प्रति उपेक्षा भाव ही प्रदर्शित हो रहा है। इसे तुरंत बदलने की आवश्यकता है। आज के युग में विकास नीति में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर नारी की भागीदारी और नेतृत्व का है। यही विकास के स्वातंत्र्योन्मुखी निरूपण का एक अत्यावश्यक आयाम भी है। और इसके सम्मत नारी जाति को शिक्षित करने की नितांत आवश्यकता है। महिला शिक्षा के विषय में सुप्रसिद्ध समाज सेविका **दुर्गाबाई देशमुख** का कहना था कि **“एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है जबकि एक लड़की की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा है।”** महात्मा ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती तथा महात्मा गाँधी सभी भारतीय नारी समाज की दुर्दशा से बेहद चिंतित थे और समाज तथा देश के उत्थान और समग्र विकास के लिए नारी शिक्षा को बेहद

जरूरी मानते थे।

जनगणना 2001 के आँकड़ों के अनुसार देश में नारी साक्षरता दर 54.15 प्रतिशत थी। जो कि पुरुष साक्षरता दर 75.85 प्रतिशत से 21.68 प्रतिशत कम थी। भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर केरल तथा मिजोरम में क्रमशः 87.86 प्रतिशत तथा 86.13 प्रतिशत थी इसके अतिरिक्त लक्ष्यद्वीप (81.56 प्रतिशत), गोवा (75.51 प्रतिशत), तथा दिल्ली (75 प्रतिशत), में भी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक थी। जबकि सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार (33.57 प्रतिशत), झारखंड (31.38 प्रतिशत), तथा जम्मू-काश्मीर (4.82 प्रतिशत), में थी। हिन्दी क्षेत्र के अधिकाँश राज्यों छत्तीसगढ़ (42.40 प्रतिशत), मध्यप्रदेश (50.28 प्रतिशत), राजस्थान (44.34 प्रतिशत), तथा उत्तर प्रदेश (42.98 प्रतिशत), की महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से नीची रही है। चूँकि इन राज्यों में देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग निवास करता है, अतः यहाँ की महिला साक्षरता की निम्न दर राष्ट्रीय साक्षरता औसत पर काफी नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसी निम्न साक्षरता दर के कारण हिन्दी क्षेत्र के इन राज्यों में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या जैसे क्षेत्रों की स्थिति काफी निराशजनक है, जबकि इसके विपरीत अधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्यों- केरल, मिजोरम, गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़ आदि का स्वास्थ्य तथा जनसंख्या नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन रहा है। अच्छी महिला साक्षरता दर का समाज में व्याप्त सामाजिक कुप्रथाओं तथा कुरीतियों को समाप्त करने में भी काफी प्रभाव पड़ता है जो कि भारत की वर्तमान आर्थिक व सामाजिक परिस्थिति में बेहद आवश्यक है।


शैक्षिक विकास में प्राथमिक शिक्षा का विशेष महत्व है। इसी स्तर पर व्यक्तित्व के विकास की आधारशिला रखी जाती है भारतीय संविधान में देश के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। संविधान की धारा-45 में शिक्षा के

सार्वजनीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिससे कि स्वतंत्र भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सन् 2000 तक संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से शैक्षिक विकेन्द्रीकरण को ध्यान में रखकर उ.प्र. बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा-11 के अन्तर्गत स्थापित ग्राम समितियों को व्यापक अधिकार भी प्रदान किए गए थे। वर्ष 2000-2001 में केन्द्र सरकार के नए कार्यक्रम 'सर्व शिक्षा अभियान' में वर्ष 2010 तक संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2010 तक प्रत्येक दशा में बालक और बालिकाओं में शैक्षिक असमानता और सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश में महिला साक्षरता पर विचार करने पर यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि इसमें अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। वर्ष 1997 में जहाँ पुरुष साक्षरता 55.73 प्रतिशत थी, वहीं महिला साक्षरता केवल 25.31 प्रतिशत थी। वर्ष 1981 में महिला साक्षरता की दर में वृद्धि (पुरुष-7.28 प्रतिशत, महिलायें 8.22 प्रतिशत) हुई है। किन्तु संपूर्ण देश की तुलना में प्रदेश की महिला साक्षरता दर में गिरावट आई है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की महिला साक्षरता की दृष्टि से तुलना करने पर स्थिति और भी नाजुक प्रतीत होती है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में नगरीय महिला साक्षरता 46.4 प्रतिशत के विपरीत ग्रामीण महिला साक्षरता केवल 19 प्रतिशत ही थी।

**सारणी-[4.1]
बालिकाओं को न पढ़ाने के कारण**

क्रमांक	शिक्षा न देने के कारण	संख्या	प्रतिशत
1	बेटियों को पराये घर जाना है।	152	76
2	अधिक पढ़ जाने पर योग्य वर ढूँढ़ना कठिन होता है।	82	41
3	बेटियों को नौकरी नहीं करनी है।	124	62
4	स्त्रियाँ पढ़ लिख जाने पर अपने अधिकार जान जाती हैं और पुरुष प्रधान समाज के लिए चुनौती बन जाती हैं।	70	35



सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आज भी समाज में स्त्रियों को दोगुम दर्जे की मान्यता ही मिली है। समान अधिकार देना कोरी भाषणबाजी ही समझी जा सकती है। यद्यपि गांवों के आन्तरिक अंचलों में समय के साथ परिवर्तन आ रहा है। चुनावों में महिलाओं का आरक्षण, उ.प्र. सरकार की कन्याधन योजना और अन्य इसी प्रकार की योजनाएँ महिलाओं को अपने सभी अधिकार खासकर शिक्षा का मौलिक अधिकार दिलाने में कारगर होगी, इसमें संदेह नहीं।

जनपद झाँसी में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार स्त्री जनसंख्या 8.12 लाख थी, जिसमें साक्षर स्त्रियों का प्रतिशत 51.21 था। जबकि वर्ष 1991 में स्त्रियों की साक्षरता प्रतिशत 33.80 था। इस प्रकार 1991 और 2001 के दशक में स्त्री साक्षरता में 18.41 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी। किन्तु 2002 के बाद से साक्षरता की दशा में और भी तेजी से सुधार हुआ है। जनपद के विद्यालयों में छात्राओं की बढ़ती हुई संख्या इस बात का प्रमाण है। सारणी-[4.2] से इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है-

सारणी-[4.2]

जनपद में विकासखंडवार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार छात्राओं की संख्या¹


स. क्र.	वर्ष	कक्षा 1 से 5 तक		कक्षा 6 से 8 तक	
		कुल छात्रायें	अनु. जा. /जनजाति	कुल छात्रायें	अनु. जा. /जनजाति
1	2002-03	58885	20566	17948	6329
2	2003-04	63589	22574	18567	6547
3	2004-05	67246	24587	22344	7370

विकासखंडवार 2004-05 :-


स. क्र.	विकासखंड	कक्षा 1 से 5 तक		कक्षा 6 से 8 तक	
		कुल छात्रायें	अनु. जा. /जनजाति	कुल छात्रायें	अनु. जा. /जनजाति
1	मौठ	6607	3208	2187	774
2	चिरगाँव	6707	1974	1690	712
3	बामौर	6612	2358	2218	774
4	गुरसरौय	5957	2477	2218	788
5	बंगरा	5490	2129	2381	745
6	मऊरानीपुर	6474	2726	2354	716
7	बबीना	4451	1855	1791	690
8	बड़ागाँव	4490	1745	1898	621
	योग ग्रामीण	46758	18472	16737	5820
	योग नगरीय	20486	6115	5607	1580
	योग जनपद	67248	24587	22344	7400

¹ स्रोत:- सांख्यिकी पत्रिका; झाँसी, वर्ष 2005


जनपद में विकासखंडवार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार छात्राओं की संख्या



जनपद में वर्षवार छात्राओं की संख्या



कुल ग्रामीण तथा कुल नगरीय छात्राओं की संख्या



संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को सभी प्रकार के भेदभाव, धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर प्रताड़ना से रक्षा करते हैं। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत संविधान में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कई आवश्यक कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत बालिकाओं की समानता हेतु शिक्षा के अन्तर्गत कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। महिलाओं की निरक्षरता को समाप्त करने, प्राथमिक शिक्षा तक उनकी पहुँच एवं अन्य कठिनाइयों को दूर करने हेतु विशेष सहायक सेवाएँ, समयबद्ध लक्ष्य तथा अनुश्रवण हेतु प्रावधान किए गए हैं।

बालिकाओं के नामांकन एवं शालात्याग की जटिल समस्या है। इसके मुख्य कारण विद्यालय का पास न होना, जागरुकता की कमी, महिला शिक्षकों का अभाव, आर्थिक स्थिति का ठीक न होना एवं समाज में फैली कुरीतियाँ हैं। विद्यालय में शौचालय तथा अन्य शैक्षिक वातावरण का अभाव रहता है जिससे बालिकाओं को शिक्षा की ओर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। बालिकाओं को खेती, शादी, त्यौहार एवं घर के अन्य कार्यों हेतु घर में ही रोक लिया जाता है। जिसके कारण बालिकाओं की शिक्षा में बाधा बनी रहती है और नामांकन होने पर भी विद्यालयों में उनकी उपस्थिति कम ही देखने को मिलती है। विद्यालयों में बालिकाओं की उपस्थिति को बढ़ाने हेतु जनपदीय योजना में निम्न उपाय प्रस्तावित हैं—

1. बालिकाओं की आवश्यकतानुसार जागरुकता अभियान चलाकर विद्यालय वातावरण बनाए जाने पर जोर।
2. लिंग संवेदना बनाना, जिससे समाज बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने हेतु अग्रसर हो सके।
3. ऐसी सामग्री का निर्माण करना जो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करे।

4. अध्यापकों को लिंग भेदभाव आधारित क्रिया-कलाप को रोकने हेतु प्रशिक्षित किये जाने के लिए प्रशिक्षण मांडल विकसित करना।
5. वैकल्पिक शिक्षा तथा ई.सी.सी.ई केन्द्र स्थापित करना।
6. महिलाओं को शिक्षित करने के लिए महिला समाख्या जैसे कार्यक्रमों के लिए महिलाओं को संगठित करना।
7. प्राथमिक शिक्षा से उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में बालिकाओं को जोड़े रखने की रणनीति से कार्य सम्पादित करना।

बालिकाओं की शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु सामाजिक सहभागिता का होना अति आवश्यक है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक कार्यक्रम उद्देश्य प्राप्त हेतु चलाए जा रहे हैं। सामुदायिक सहभागिता हेतु ग्राम शिक्षा समिति (बी.ई.सी.) में तीन महिला सदस्यों के होने का प्रावधान है। इनमें से एक ग्राम पंचायत की निर्वाचित सदस्या, एक अनुसूचित जाति की नामांकित महिला तथा एक नामांकित माँ का होना आवश्यक है। बालिकाओं की शिक्षा के लिए सामुदायिक सहभागिता निम्नवत् होगी-

1. महिलाओं का नामांकन, ठहराव तथा विद्यालय प्रबंध में स्थानीय समुदाय का सहयोग।
2. महिला समूहों का गठन एवं महिला समाख्या का समन्वयन।
3. ग्राम शिक्षा समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
4. ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक शिक्षक, माता शिक्षक संघ का गठन।
5. बालिकाओं की आवश्यकता के प्रति प्रशिक्षण की जागरूकता को बढ़ाना।

बालिकाओं की शिक्षा के विषय में महिलाओं का संगठित होना अत्यंत आवश्यक है। इस उद्देश्य से माँ-बेटी मेले का आयोजन

किया जाता है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तृतीय के अन्तर्गत जनपद में एक वर्ष के अन्दर लगभग 65 माँ-बेटी मेले तथा महिला संसदों का आयोजन करने का लक्ष्य रखा गया था। इन कार्यक्रमों के उद्देश्य निम्नलिखित थे-

1. वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर कार्यकर्ताओं का आयोजन करना एवं उपस्थित समूहों से इस प्रणाली को दी गई आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी एवं प्रभावशाली बनाने हेतु वार्तालाप करना।
2. बालिकाओं की शिक्षा हेतु माताओं को शिक्षित करके बालिकाओं को शिक्षित बनाने हेतु प्रोत्साहित करना।
3. बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में जागरुकता सामग्री तैयार कर वितरित करना।
4. शिक्षकों एवं अभिभावकों के बीच एक क्रियाशील समन्वय स्थापित करना एवं उनकी समस्या को समझना तथा उन समस्याओं का निराकरण करना।
5. बालक एवं बालिकाओं के प्रति लोगों के विचारों को समझाने हेतु लिंग आधारित वार्ताओं का आयोजन करना।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरुक करने हेतु 'मीना कैम्पेन' नामक विशिष्ट योजना का आरंभ किया गया। 'यूनीसेफ' द्वारा विकसित 'मीना' नामक बालिका पर यह कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।

महिला समाख्या कार्यक्रम विभिन्न आय वर्गों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। महिला समाख्या कार्यक्रम में शैक्षिक तथा अन्य हस्तक्षेप समुदायों तथा महिला संघों के साथ रहकर विकसित किए गए हैं। इन प्रयासों में 6-14 वर्ष आयु की बालिकाओं हेतु किशोरी केन्द्र, महिला शिक्षण केन्द्र खोलना सम्मिलित है, जो कि निम्नवत् है-

1. महिलाओं की शैक्षिक प्राथमिकताओं का सम्मान।
2. वैयक्तिक रूप से सोच विचार करने के लिए पर्याप्त समय।

3. ग्रामीण क्षेत्रों के शैक्षिक कार्यक्रमों में महिला संघों को भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करना।
4. बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा हेतु अनुकूल वातावरण सृजन करना आदि।

बाल केन्द्रों में ऐसी बालिकाओं की शिक्षा के अवसर प्रदान किये जाते हैं, जिनकी पहुँच औपचारिक शिक्षा सुविधाओं तक नहीं है। बाल केन्द्रों को स्थापित करने की माँग महिला संगठनों द्वारा अपने घरों के आसपास बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु की गई थी।

प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की भागीदारी को बढ़ाने हेतु ऐसी बालिकाओं को वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकित किया जाता है जो किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाती हैं।

इस योजना के तहत श्वेत पाठ्यक्रम व ग्रीष्मकालीन सत्र चलाए जाते हैं। विद्यालयों में बालिकाओं के शत-प्रतिशत नामांकन तथा उनके ठहराव पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

बालशाला छोटे बच्चों एवं उनके 11 वर्षीय भाई बहिनों के लिए संचालित है। बड़े बच्चों के समूह को प्राथमिक शिक्षा एवं 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल में प्रोत्साहन हेतु पैकेज दिए जाते हैं। जिन बालिकाओं पर अपने छोटे भाई बहिनों की देखभाल का दायित्व रहता है, और वे स्कूल नहीं जा पाती, बालशाला के अन्तर्गत उनको व उनके छोटे भाई बहिनों को एकसाथ रखा जाता है।

प्रहर पाठशाला मुख्यतः 9 से अधिक वर्ष वर्ग की बालिकाओं के लिए है। जो बालिकायें विद्यालय नहीं गई हैं अथवा जो विद्यालय छोड़ चुकी हैं, ऐसी बालिकाओं के लिए, 15 बालिकाओं पर एक प्रहर पाठशाला संचालित है।

मुस्लिम बालिकाओं जो अधिक संख्या में विद्यालय से बाहर हैं, ऐसी बालिकाओं के लिए मकतब/ मदरसों के लिए नीति तैयार की गई है। मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा मुख्य रूप से धार्मिक पुस्तकों पर आधारित है अतः बालिकायें औपचारिक स्कूलों से बाहर

थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि मदरसों के वातावरण में बालिकाओं एवं शिक्षकों को औपचारिक शिक्षा में लाने हेतु प्रेरित करना साथ ही औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों को मकतब/ मदरसों में संचालित करना।

पंचम अध्याय

प्राथमिक शिक्षा और सरकारी नीति

- सन 2004 से पूर्व की शिक्षा नीतियाँ
- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बिल सन 2004 की समीक्षा
- प्राथमिक शिक्षा और राजकीय व्यय

प्राथमिक शिक्षा और सरकारी नीति

यह निर्विवाद सत्य है कि शिक्षा मानव जीवन का सबसे आवश्यक संस्कार, सामाजिक परिवर्तन का आधार और आर्थिक उन्नति का सशक्त साधन है। शिक्षा ही वह संस्कार है जो व्यक्तियों को भिन्नता के आधार पर योग्य बनाता है। महात्मा गाँधी के अनुसार—**“शिक्षा से मेरा अभिप्रायः बच्चे या प्रौढ़ के शरीर, मन आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है।”** शिक्षा द्वारा इन गुणों तथा योग्यता को अधिकाधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए हमारे संविधान की धारा-45 में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से अग्रांकित शब्दों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धान्त घोषित किया गया है—**“राज्य इस संविधान के क्रियान्वित किए जाने के समय से दस वर्ष के अन्दर सब बच्चों के लिए, जब तक वे चौदह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रयास करेगा।”**

सन् 1882 में दादाभाई नौरोजी ने भारतीय शिक्षा आयोग (हंटर कमीशन) के सामने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने की माँग रखी थी। यद्यपि उनकी इस माँग को स्वीकार नहीं किया गया, परंतु इस माँग ने अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता की ओर सबका ध्यान आकर्षित जरूर किया था। सन् 1893-96 के मध्य बड़ौदा के महाराज सियाजीराव गायकवाड़ ने अपनी संपूर्ण रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की। इसके उपरांत सन् 1918 में विठ्ठलभाई पटेल के प्रयासों से एक कानून बनाकर मुंबई म्युनिसिपल क्षेत्र में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की। इसका अनुसरण करते हुए सन् 1919 में बिहार, उत्तर प्रदेश बंगाल और उड़ीसा में 1920 में मध्यप्रदेश, 1926 में असम और 1931 में मैसूर में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के विषय में अधिनियम बनाए गए। आजादी के पश्चात् 1948 में शिक्षा को सही दिशा देने के लिए पहला शिक्षा

आयोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में गठित किया गया। इसके बाद सी.ए.बी.ए. शिक्षा समिति(1949) लक्ष्मणस्वामी मुरलीधर शिक्षा आयोग(1952), रामन्द्रन शिक्षा समिति(1956), बुनियादी शिक्षा समिति(1957), दुर्गाबाई देशमुख शिक्षा समिति(1958), हंस मेहता शिक्षा समिति (1962-64), भक्तवत्सल शिक्षा समिति(1963), कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66), पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति(1968), चट्टोपाध्याय आयोग(1985), राष्ट्रीय शिक्षा नीति(1986), आचार्य राममूर्ति शिक्षा समिति(1990), जर्नादन रेड्डी शिक्षा समिति (1992), प्रो.यशपाल शिक्षा समिति(1993) जैसे अनेक शिक्षा आयोगों/समितियों का गठन किया गया। इनके द्वारा की गई संस्तुतियों की रिपोर्ट लागू भी नहीं की गई कि दूसरे का गठन कर दिया गया। यह सिलसिला चलता गया और सभी रिपोर्टों को लागू करने की दिशा में शिथिलता बरती गई। इसके अनुसार समाज में समता और न्याय की भावनाओं को फैलाने के लिए सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का अपनाया जाना आवश्यक था। समान गुणवत्ता वाली शिक्षा देने से विकास की संभावनाओं का लाभ उठाने का मौका सभी को मिल सकेगा। आयोग का मानना था कि इससे सामाजिक जुड़ाव और राष्ट्रीय एकता की राह खुलेगी लेकिन आयोग की सिफारिशें नहीं मानी गई। पूँजी प्रधान चलने वाले प्रायवेट और विशिष्ट वर्गीय शिक्षा केन्द्रों को बन्द नहीं किया गया। बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की जगह धीरे-धीरे अंग्रेजी की प्रधानता को बढ़ाया गया। सामाजिक मूल्य और कौशल के विकास में शिक्षा की भूमिका को नकारा गया है।

वर्ष 1960 तक राज्यों को अपने क्षेत्र के 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी थी, किन्तु एक अनुमान के अनुसार 1960 तक प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5 तक) में कुल 62 प्रतिशत बालक-बालिकाओं ने नामांकन कराया। इस समय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 3 लाख थी। 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या के 22 प्रतिशत

बालक-बालिकाओं ने उच्च प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 6से 8 तक) के लिए नामांकन कराया तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986में पुनः शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक चिंता व्यक्त की गई और शिक्षा को हर कहीं और हर किसी तक, गाँव-गाँव और बच्चे-बच्चे तक सहज व सुलभ बनाने के लिए समय-समय पर अनेक शिक्षा कार्यक्रम जैसे- आपरेशन ब्लैकबोर्ड(1988), न्यूनतम लर्न स्तर(1989), सुस्पष्ट प्राथमिक शिक्षा(1992), गैर पारंपरिक शिक्षा सहित अनेक योजनाओं को शुरू किया गया। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार लगभग 10 करोड़ बालक-बालिकाओं ने प्राथमिक शिक्षा में अध्ययन हेतु नामांकन कराया जो सन् 1951 की तुलना में पाँच गुना था। सन् 1996-97 तक प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन लगभग 15 करोड़ 15 लाख तक पहुँच गया। वर्ष 2001 में, 1000 बच्चों में से 882 बच्चे स्कूल जाने लगे थे और उनमें भारतीय ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत 43.78 और शहरी बच्चों का प्रतिशत 56.22 था।

भारत में प्राथमिक शिक्षा के ऐतिहासिक विवरण को पाँच कालों में बांटा जा सकता है-

1. पहला चरण- अंग्रेजी शासन काल में प्राथमिक शिक्षा
 2. दूसरा चरण- वर्ष 1947 से 1966 के बीच प्राथमिक शिक्षा
 3. तीसरा चरण- वर्ष 1966 से 1986 के बीच प्राथमिक शिक्षा
 4. चौथा चरण- वर्ष 1986 से 2001 के बीच प्राथमिक शिक्षा
 5. पाँचवा चरण- वर्ष 2001 से वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा
- यहाँ हम स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा से सम्बंधित नीतियों, प्रावधानों और उपलब्धियों की व्याख्या प्रस्तुत की।

प्राथमिक शिक्षा का द्वितीय चरण (1947-1966):-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धित लक्ष्य इस प्रकार दर्शाया गया है-“राज्य 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और

अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान में लागू होने पर दस वर्ष के भीतर करेंगे।” यहाँ तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं—

1. राज्य का अर्थ केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों से है।
2. इसमें 'प्राथमिक' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।
3. इसमें शिक्षा के वर्षों का भी उल्लेख नहीं है।

संविधान के इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भरसक प्रयास किए गए, किन्तु बड़ी संख्या में बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह गए।

प्राथमिक शिक्षा का तृतीय चरण (1966-1986):-

वर्ष 1966 से 1986 तक प्राथमिक शिक्षा में सुधार के उपाय शिक्षा आयोग 1964-66 की संस्तुतियों को ध्यान में रखकर किए गए।

शिक्षा आयोग 1964-66 जिसे कोठारी शिक्षा आयोग भी कहते हैं, ने देश में संपूर्ण शिक्षा ढाँचे की समीक्षा की और शिक्षा द्वारा आधुनिक समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझावों का उल्लेख किया।

प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को उपयोगी नागरिक बनाने तथा उत्तरदायित्व पूर्ण व्यक्ति का निर्माण करना है। संविधान में चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का विधान है। कोठारी आयोग की सिफारिशें इस प्रकार हैं—

1. 1975-76 तक पाँच वर्ष की प्रभावपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हर बालक के लिए हो।
2. 1986 तक सात वर्ष की शिक्षा हर बच्चे के लिए हो।
3. कक्षा 1 से 7 तक अपव्यय कम हो। अस्सी प्रतिशत से अधिक सफलता हो।
4. हर राज्य को प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजनायें बनानी चाहिए।
5. प्राइमरी स्कूल हर बच्चे के लिए एक किलोमीटर के अन्दर ही उपलब्ध हो।
6. पहली कक्षा में पाँच से सात वर्ष के बालक लिए जायें।

7. पहले ही स्कूल में नाम लिखाने की प्रणाली लागू की जाये।

8. कक्षाओं में प्रगति की रफ्तार अस्सी से सौ प्रतिशत तक हो।

कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 की संस्तुतियों पर विचार विमर्श करके भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की जिसके अनुसार शिक्षा के सभी स्तरों पक्षों को कार्य करने के निर्देश दिए गए।

प्राथमिक शिक्षा का चतुर्थ चरण (1986 से 2001 तक):-

वर्ष 1986 में संपूर्ण भारतीय शिक्षा का अध्ययन किया गया, विशेषकर 1968 की शिक्षा नीति के संदर्भ में। देश में शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर व्यापक चर्चा हुई, जिसमें समाज के अनेक वर्गों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अध्यापक तथा अभिभावकों से भी चर्चा की गई। कई शैक्षिक सम्मेलनों तथा गोष्ठियों का भी आयोजन किया गया। तत्पश्चात् 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सूत्रपात हुआ। इस शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए।

प्राथमिक शिक्षा की दिशा में दो बातों पर विशेष बल दिया गया-

1. चौदह वर्ष की अवस्था तक के सब बच्चों की विद्यालयों में भर्ती और उनका विद्यालयों में टिके रहना।
2. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार।

बच्चों को विद्यालय जाने में सहायता जब मिलती है जब वहाँ का वातावरण प्यार, अपनत्व और प्रोत्साहन भरा हो, और विद्यालय के सभी लोग बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे रहे हों। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा पद्धति बालकेन्द्रित और गतिविधि आधारित होनी चाहिए। पहली पीढ़ी के सीखने वाले बच्चों को अपनी गति से आगे बढ़ने देना चाहिए और उनके लिए पूरक तथा उपचारात्मक शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ज्यों-ज्यों बच्चे बड़े होंगे उनके सीखने में ज्ञानात्मक तत्व बढ़ते जायेंगे और अभ्यास के

द्वारा कुछ कुशलतायें भी ग्रहण करते जायेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा।

प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी। इनमें किसी भी मौसम में काम देने लायक कम से कम दो बड़े कमरे, आवश्यक खिलौने, ब्लैकबोर्ड, नक्शे, चार्ट और अन्य शिक्षण सामग्री सम्मिलित है। हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षक होंगे जिनमें एक महिला होगी। यथासंभव शीघ्र ही प्रत्येक कक्षा के लिए एक-एक शिक्षक ही व्यवस्था की जायेगी। पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए क्रमिक अभियान शुरू किया जाएगा, जिसका सांकेतिक नाम **“आपरेशन ब्लैकबोर्ड”** होगा। इस कार्य में शासन, स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की विधियों का पहला उपयोग स्कूल इमारतें बनाने में होगा।

ऐसे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ गए हैं या जो ऐसे स्थान पर रहते हैं, जहाँ स्कूल नहीं हैं या जो काम में लगे हैं; और वे लड़कियाँ, जो दिन के स्कूल में पूरे समय नहीं जा सकती, इन सबके लिए एक विशाल और व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा के समतुल्य हो।

राष्ट्रीय केन्द्रीय शिक्षा क्रम की तरह का एक शिक्षाक्रम अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के लिए भी तैयार किया जायेगा लेकिन यह शिक्षाक्रम विद्यार्थियों की जरूरतों पर आधारित होगा और इनका संबंध स्थानीय पर्यावरण से होगा। उच्च कोटि की शिक्षण सामग्री बनायी जाएगी और वह सभी विद्यालयों को मुफ्त दी जाएगी। अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम में सहभागी होते हुए शिक्षा प्राप्त करने का वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा और इसमें खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण आदि की व्यवस्था की जाएगी।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चलाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और पंचायती राज्य संस्थाओं को पर्याप्त धन

समय -समय पर दिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की कुल जिम्मेदारी सरकार पर रहेगी।

1986 की शिक्षा नीति में स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों की समस्या को सुलझाने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। बच्चों को बीच में स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में इस समस्या का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा और तदनुसार प्रभावशाली उपाय खोजकर दृढ़ता के साथ उनका प्रयोग करने हेतु देशव्यापी योजना बनायी जाएगी। इस प्रयत्न का अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था के साथ पूरा तालमेल होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 1990 तक के जो बच्चे 11 वर्ष की आयु के हो गए हैं, उन्हें विद्यालय में पाँच वर्ष की शिक्षा या अनौपचारिक धारा में इसकी समतुल्य शिक्षा अवश्य मिल जाए। इसी प्रकार 1995 तक 14 वर्ष की अवस्था वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए।

1986 की शिक्षा नीति में समय-समय पर सुधार किए जाते रहे हैं। वर्ष 1990, 1992, 1993 में गठित शिक्षा समितियों के सुधार उपाय और उनका क्रियान्वयन संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किए गए सार्थक उपाय कहे जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय कार्यान्वयन योजना को विकसित करने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा यूनीसेफ की सहायता से फरवरी 1-2/1993 को प्रदेश स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्थिति विश्लेषण सभी के लिए शिक्षा/ प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु राज्य स्तरीय कार्यान्वयन योजना और जनपदीय योजनाओं को तैयार करने हेतु दिशा निर्देशों/ प्रक्रियाओं एवं प्रस्तुत कार्ययोजनाओं की समीक्षा करना था। इन स्थितियों का विश्लेषण कार्यशाला का एक प्रमुख हिस्सा था। कार्यशाला के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार थे:-

1. सभी के लिए शिक्षा/ प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए स्थिति विश्लेषण/राज्य स्तरीय कार्यान्वयन योजना एवं जिला योजनाओं के लिए स्वीकार्य दिशा निर्देश देना।
2. स्थिति विश्लेषण/राज्य स्तरीय कार्यान्वयन योजना के निर्माण के लिए स्वीकार्य प्रक्रिया एवं कार्ययोजना बनाना।
3. टास्क फोर्स और कार्यदलों के लिए स्वीकार्य टर्म ऑफ रिफरेन्स
4. आँकड़ों की उपलब्धता एवं कमी की पहचान

कार्यशाला में इस बात पर सहमति थी कि प्राथमिक शिक्षा का विकास एक अभियान के रूप में होना चाहिए। राज्य स्तरीय कार्यान्वयन योजना को लचीला बनाये जाने की आवश्यकता के लिए उपयुक्त सुझावों के आधार पर संशोधन/ परिवर्तन के लिए स्थान हो। इस योजना का विकास उपलब्ध सूचनाओं/आँकड़ों के आधार पर हो तथा आवश्यकता अनुसार सूचनाओं की कमी को पूरा किया जा सके। 1-2 फरवरी 1993 की राज्य स्तरीय कार्यशाला तथा प्रदेश शासन के प्रयासों से सोसायटीज अधिनियम 1960 के अन्तर्गत 17 मई 1993 को उ.प्र. सभी के लिए शिक्षा परियोजना का गठन किया गया। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण था। सामाजिक मिशन के रूप में कार्य प्रारंभ हुआ। परिषद की स्थापना स्वायत्तशासी और स्वतंत्र संस्था के रूप में बेसिक शिक्षा प्रणाली और उसके माध्यम से उ.प्र. के सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्य में मौलिक परिवर्तन लाने के लिए की गई थी।

उ.प्र. सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत 1983 से प्राथमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा सार्वजनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार एवं बाह्य सहायता से कई योजनायें आरंभ की गईं।

1993 में प्रदेश के 9 जनपदों में बेसिक शिक्षा परियोजना प्रारंभ की गई थी। इसका समापन 31 दिसंबर 2000 को हुआ। 1997 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय 18 जनपदों में प्रारंभ किया गया। 1999 में इस परियोजना में 4

और अन्य जनपदों को शामिल किया गया। इस परियोजना की अवधि 30 जून 2003 तक थी। सन् 2000 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तृतीय, 32 जनपदों में प्रारंभ किया गया। सन् 2000 में ही लखनऊ जनपद में संयुक्त राष्ट्र की सहायता से जनशाला योजना लागू की गई। सन् 2001 में भारत सरकार की सहायता से सर्व शिक्षा अभियान योजना प्रारंभ की गई। अब इस योजना का विस्तार समस्त जनपदों में है।

प्राथमिक शिक्षा का पाँचवा चरण (2001से वर्तमान में):-

देश के 6 से 14 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चे को हर दशा में कक्षा 1 से 8 तक की अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को लेकर केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2000-01 के बजट में 'सर्व शिक्षा अभियान' के क्रियान्वयन की घोषणा की गई। माह नवंबर 2000 से इसे लागू भी कर दिया गया, इस अभियान को बल प्रदान करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में सम्मिलित किये जाने हेतु बहु प्रतीक्षित 93 वें संविधान संशोधन की भी वर्ष 2002-03 में राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई। इसे सर्व शिक्षा अभियान की 10 वर्षीय महत्वाकांक्षी अमली जामा पहनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 98000 करोड़ रुपये की भारी भरकम धनराशि की व्यवस्था की गई है और राज्यों को आवश्यकतानुसार समुचित धनराशि उपलब्ध कराई गई है। केन्द्र सरकार द्वारा समस्त राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर बड़े जोर-शोर से इस अभियान को लागू भी किया गया इस महत्वपूर्ण अभियान के अन्तर्गत सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता के साथ-साथ उसके उपयोगी, उपयुक्त और गुणवत्ता युक्त होने पर भी जोर दिये जाने का लक्ष्य है। इस प्रकार अगले दस वर्षों के अन्दर निर्धारित आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की समुचित व्यवस्था किये जाने हेतु इस अभियान के अन्तर्गत सभी राज्य सरकारों की भागीदारी से देश 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क, संतोषजनक,

गुणवत्तापरक, समयबद्ध तथा समेकित प्रयास करने पर विशेष बल देने हेतु देश भर में सर्वशिक्षा अभियान को संचालित किया गया है।

इस महत्वाकांक्षी अभियान को संचालित करने के पीछे जो दर्शन रहा है उसका हम सभी लोग आसानी से अंदाज लगा सकते हैं। इसे हमारा दुर्भाग्य ही माना जाना चाहिए कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का गौरव प्राप्त होते हुए भी हमारे देश में अशिक्षा की विभीषिका हमारे माथे पर एक कलंक की भाँति अंकित है। यद्यपि पिछले 57 वर्षों में इसे मिटाने के लिए अनेक प्रयास भी किये गये, लेकिन स्थिति में आशातीत परिवर्तन न हो सके। तमाम कोशिशों के बाद भी देश में साक्षरता की दर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 57 वर्षों में 16-17 प्रतिशत से बढ़कर 66 प्रतिशत तक भले ही पहुँच गई हो लेकिन निरक्षरों की संख्या अभी भी बहुत है। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2002 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल जाने योग्य 19 करोड़ बच्चों में से 3.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर थे। 8 जुलाई 2003 को जारी यू.एन.डी.पी. की मानव विकास रिपोर्ट 2003 के अनुसार हमारे यहाँ ऐसे बच्चों की संख्या 4 करोड़ थी। इस संबंध में एक अजीब विडंबना यह है कि देश की साक्षरता दर में निरंतर वृद्धि होने के बाद भी वर्ष 1991 तक निरक्षरों की संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार देश में निरक्षरों की संख्या में कमी आयी है। आँकड़ों के अनुसार इस समय देश में निरक्षरों की संख्या 34 करोड़ थी। साक्षरता में धीमी प्रगति और निरक्षरों की संख्या में कमी न आ पाने के पीछे जो प्रमुख कारण रहा, वह यह है कि जिस गति और प्रतिबद्धता से हमें इस दिशा में प्रयास करने चाहिए थे, वह नहीं किये जा सके और हमारी साक्षरता योजनाओं की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता उपयुक्त स्तर की नहीं बन पायी।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बिल 2004

देश में सभी बालक-बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने हेतु सरकार द्वारा पूर्व में अनौपचारिक शिक्षा योजना(1979), आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना (1987), बेसिक शिक्षा परियोजना(1993), जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम(1994), मध्याह्न भोजन योजना(1999), जैसी कई महत्वपूर्ण योजनायें और कार्यक्रम संचालित किये गए हैं और इनका कई क्षेत्रों में अनुकूल प्रभाव भी देखने को मिला है। किन्तु सर्व शिक्षा अभियान में कई प्रकार के उद्देश्य भी निर्धारित किये गए हैं जो इस प्रकार हैं-

1. देश 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की वर्ष 2010 तक समुचित व्यवस्था करना।
2. सन् 2010 की समाप्ति तक इन सभी बच्चों को उपयोगी एवं समुचित गुणवत्ता और संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करना।
3. वर्ष 2010 तक प्रत्येक दशा में बालक और बालिकाओं में शैक्षिक असमानता और सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करना।
4. सभी 6-11 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को प्रत्येक दशा में कक्षा 1 से 5 तक की पाँच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा वर्ष 2007 तक प्रदान करना।
5. 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को 8 वर्ष तक की उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा पूर्ण करना।
6. प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों को जीवनोपयोगी और समाजोपयोगी समुचित गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था करना।
7. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 8 तक) की शिक्षा पूर्ण करने तक प्रत्येक दशा में सभी ऐसे बच्चों को विद्यालय में अध्ययनरत रखना।
8. सभी अवशिष्ट बच्चों को वर्ष 2003 तक स्कूल शिक्षा गारंटी केन्द्र की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

9. वर्ष 2003 तक ऐसे सभी बच्चों को, जो स्कूल से ड्राप आउट हो गए हैं, को वैकल्पिक स्कूल 'बैक टू स्कूल' शिविर की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
10. प्राथमिक शिक्षा का मौजूदा ढाँचे का समुचित प्रकार से उपयोग करते हुए इसी अभियान के माध्यम से शिक्षा संबंधी सभी प्रयासों को एक सूत्र में बाँधते हुए इसे अधिक क्रियाशील बनाना।

प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान

सन् 2001 में भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम से उ.प्र. के 70 जनपद आच्छादित हैं। सर्वशिक्षा अभियान वाले जनपदों के प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को तथा 69 जिलों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सम्मानित शिक्षकों को 500 रुपये वार्षिक अनुदान शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए दिया जा रहा है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की गई है जिससे शुरुआती दौर की शिक्षा राजा और रंक दोनों के बच्चे समान रूप से ले सकें, कोई भेदभाव, ऊँच-नीच, अमीर-गरीब की खाई का प्रभाव बच्चों पर न पड़े। इसके लिए आवश्यक है, शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देकर, उनमें भी सुधार लाया जाये। और तब प्रशिक्षित शिक्षक, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास करें। बच्चे के व्यक्तित्व का जो बुनियादी ढाँचा बन जाता है, उसी पर आगे शिक्षा-दीक्षा से लेकर कार्य व्यवहार तक अनेक चीजें निर्भर करती हैं।

अध्यापकीय क्षमता में संवर्द्धन तथा अभिप्रेरण से शिक्षा में गुणात्मक सुधार संभव है। सर्वशिक्षा अभियान द्वारा मुख्यतया कक्षा-कक्ष शिक्षण एवं विद्यालयी अभिक्रिया में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है जिसमें शैक्षिक मुद्दों को अध्यापन संबंधी आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाता है।

डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. तथा विद्यालय स्तर पर सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण योजना शुरु की गई है। सर्वशिक्षा अभियान से आच्छादित 16 जनपदों के 45345 प्राथमिक शिक्षकों को साधन आधारित प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा प्रदान किया गया। इसमें सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य, सामुदायिक सहभागिता, अभिप्रेक्षण एवं क्रिया आधारित शिक्षण, बालकेन्द्रित रुचिपूर्ण शिक्षण, विशेष रूप से विज्ञान, भाषा, गणित एवं पर्यावरणीय विज्ञान के साथ नवीन पुस्तकों का कक्षा में उपयोग आदि शामिल किया गया है। उच्च प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए सभी 70 जनपदों में विषयवार प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों से अलग-अलग विषयों के अध्यापकों का चयन करके उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों से प्रशिक्षित कराया जायेगा। राज्य परियोजना कार्यालय ने इस संबंध में विशेष निर्देश सभी जनपदों के मुख्यालयों को प्रेषित किया है। इसके लिए प्रमुख प्रशिक्षकों के चयन हेतु जिला स्तर पर समिति गठित की गई है। जिला शिक्षा-प्रशिक्षण के प्राचार्य को अध्यक्ष बनाया गया है, बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा राज्य परियोजना कार्यक्रम के नामित व्यक्ति को कमेटी का सदस्य बनाया गया है।

प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में पठन-पाठन में रुचि उत्पन्न करने हेतु कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की नई पाठ्य पुस्तकों के अनुरूप शिक्षक संदर्शिकायें बनाई गयी है। शिक्षकों को इन्हीं के अनुरूप प्रशिक्षण देकर नये सिरे से पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सर्वशिक्षा अभियान से आच्छादित 16 जनपदों में एक बी.आर.सी., समन्वयक तथा दो सहायक समन्वयकों व एक न्याय पंचायत साधन केन्द्र के समन्वयक के आधार पर सभी बी.आर.सी व एन.पी.आर.सी. के समन्वयकों का चयन किया जा चुका है। समर्थन प्रशिक्षण मॉडल के आधार पर बी.आर.सी व एन.पी.आर.सी. के

समन्वयकों को उनके कार्य एवं दायित्वों के संबंध में 6 दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा उन्हें 4 दिवसीय परियोजना के उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों के संबंध में उचित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए तथा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शैक्षिक अनुसमर्थन एवं पर्यवेक्षण के संबंध में अलग से दिया गया है।

प्रशिक्षण मॉडल 'सबस' के आधार पर वर्ष 2002-03 में 6 दिवसीय प्रशिक्षण भी सभी समन्वयकों को प्रदान किया गया है जिसमें वित्तीय नियमों एवं प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गयी है, जिससे क्रय-विक्रय प्रक्रिया, भुगतान-प्राप्ति तथा स्टोर संबंधी नियम व वित्तीय खातों के रखरखाव का ज्ञान हो सके। वित्तीय नियमों व प्रावधानों पर आधारित बी.आर.सी व एन.पी.आर.सी. से संबंधित 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया तथा राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा तैयार की गई मार्गदर्शिका सभी को मुहैया करायी गई है।

अध्यापकों के साथ-साथ प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया है क्योंकि नवीन विचारों को शैक्षिक अनुसमर्थन प्रक्रिया में विकसित करने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम संशोधन, नवीन पाठ्य पुस्तकें, शिक्षक संदर्शिका, शिक्षक प्रशिक्षण तथा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत संचालित अन्य क्रियाकलाप एवं प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य प्राप्त हेतु प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया था। इस प्रशिक्षण से प्रधानाध्यापक की भूमिका को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है क्योंकि प्रधानाध्यापक पर बच्चों की उपस्थिति, शिक्षक उपस्थिति, पढ़ाई, विद्यालय के समय तथा समुदाय के प्रति दायित्व बोध की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में प्रधानाध्यापक को क्रियात्मक कार्यकर्ता, योजनाकार, विशेषज्ञ संवाहक, विद्यालय एवं समुदाय के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करना होता है। प्रधानाध्यापक में उक्त गुणों के विकास के साथ ही सामग्री के विकास, मास्टर्स ट्रेनर्स के लिए प्रशिक्षण की तैयारी, प्रशिक्षण देने,

अपनी भूमिका की चुनौतियों के निर्वहन में सक्षम बनाने का प्रयास है। यह प्रशिक्षण बच्चों को समझने, विद्यालय की विभिन्न प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने, कार्यशैली में लचीलापन तथा समायोजन क्षमता विकसित करने, नेतृत्व देने के लिए क्षेत्रों, अवसरों को पहचानने, शिक्षकों के मार्गदर्शन तथा सहयोग, सूचना तथा कौशल के स्रोतों को तत्काल उपलब्ध कराने, सहयोगियों व विशेषज्ञों के साथ निर्णय लेने, परामर्श देने, व्यावसायिक क्षमता विकसित करने, उन्नत शिक्षण के लिए सहयोगियों को प्रेरित व प्रोत्साहित करने, छात्र उपलब्धि के अनुश्रवण में प्रधानाचार्य को दक्ष करने की कोशिश की। इस प्रशिक्षण के माध्यम से सर्वशिक्षा अभियान से आच्छादित जिलों में न्याय पंचायत केन्द्रों पर उस क्षेत्र के सभी विद्यालयों को रोस्टर के अनुसार चुना जाता है और फिर उन्हें क्रियात्मक प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में लेकर प्रशिक्षण प्रारंभ करते हैं।

संविधान के 45 वें अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यों का यह दायित्व होगा कि वे 6-14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। अतः भारत सरकार द्वारा 1-8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में, सर्वशिक्षा अभियान संचालित करने का निर्णय लिया गया। सर्वशिक्षा अभियान केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में चलाया जा रहा है। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:15, दसवीं पंचवर्षीय योजना में 75:25 तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 2011-12 में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रखा गया है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के भौतिक स्वरूप को सुदृढ़ करने के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। इसके लिए संपूर्ण परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का केवल 33 प्रतिशत तक ही परियोजना निर्माण कार्यों पर व्यय किये जाने का प्रावधान किया जाता है। किसी भी ग्राम पंचायत

में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की अनुशंसा ग्राम शिक्षा समिति करती है तथा जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन किया जाता है। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए भवन निर्माण की इकाई लागत 2.59 लाख रुपये स्वीकृत है। जिसमें 1.91 लाख रुपये हैंडपंप तथा 40 हजार रुपये चाहर दीवारी के लिए स्वीकृत हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्ताव का अनुमोदन करने के पश्चात् प्राथमिक विद्यालय के निर्माण का पथ प्रशस्त हो जाता है। प्राथमिक विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति व धनराशि आबंटित होने के बाद प्रश्न आता है कि भवन का डिजाइन कैसा हो? वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालयों के पाँच नवीन अभिकल्प विकसित किए गए हैं। सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम से आच्छादित जनपदों को उनकी स्थानीय परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुसार पाँच डिजाइनों में से किसी के भी चयन की छूट है। चूँकि स्वीकृत विद्यालयों के भवन का निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है, इसलिए उसकी भूमिका अहम् हो जाती है। जनपदों द्वारा एक डिजाइन का चयन करने के बाद राज्य परियोजना कार्यालय में भेजा जाता है। इन पाँचों अभिकल्प में से चार रोशनपुर, आसीगाँव, रेलवेगंज और अजगाँव है।

विद्यालय के निर्माण में तकनीकी पर्यवेक्षक एवं प्रशिक्षण के लिए जिलाधिकारी, स्थानीय ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/ लघु सिंचाई के अवर अभियंताओं को निर्धारित मानदेय के भुगतान पर इन निर्माण कार्यों के तकनीकी निरीक्षण व पर्यवेक्षण के लिए नामित करते हैं। तथा इस संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय इन अभियंताओं व विद्यालय के प्रधान अध्यापकों, ग्राम प्रधानों तथा मिस्त्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण है शासन की ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण देने की नीति। क्योंकि सारा काम तो उन्हीं की देखरेख में होता है। इसलिए ग्राम की शिक्षा समिति को भी विद्यालय भवन के निर्माण संबंधी तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

उ.प्र. सरकार की नीति के अनुसार प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए स्थान विशेष पर 300 या इससे अधिक की जनसंख्या तथा 1.5 किमी की दूरी पर दूसरा प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। प्रदेश सरकार द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने के लिए स्थान विशेष की कम से कम आठ सौ की जनसंख्या तथा अन्य विद्यालयों से कम से कम तीन किमी की दूरी का मानक रखा गया है। प्रत्येक उच्चिकृत प्राथमिक विद्यालय के लिए इकाई लागत 2.80 लाख रुपये है, जिसमें 2.70 लाख रुपये विद्यालय भवन निर्माण तथा 10 हजार रुपये दो कक्षीय शौचालयों के लिए हैं। प्राथमिक विद्यालय के परिसर में स्थापित किए जाने वाले नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्चिकृत प्राथमिक विद्यालय की श्रेणी में रखा जाता है। इन अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अब तक चले अभियानों में से एक भी ऐसा नहीं था जो पूरे प्रदेश में एक साथ चला हो। बच्चों को स्कूल तक लाने के प्रयास तो होते थे लेकिन अनेक स्कूलों में मन लगाने या पढ़ने में रुचि जाग्रत करने के लिए कोई प्रबंध नहीं होते थे। लेकिन सर्वशिक्षा अभियान में पहली बार ऐसे प्रबंध किए गए हैं जिससे विद्यालयों में बच्चों के ठहराव में सुधार हो। इसके लिए निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार किए गए हैं:-

1. विद्यालय वातावरण में सुधार के लिए जर्जर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का पुनर्निर्माण।
2. अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण ताकि बच्चों को खुलापन मिल सके और नामांकन बढ़ने के कारण छात्रों को बैठने में सुविधा मिल सके।
3. बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय।
4. पेयजल की सुविधायें।

ग्राम शिक्षा समितियों:-

सर्वशिक्षा अभियान के संचालित कार्यक्रमों का दायित्व स्थानीय लोगों पर है। यह इस अभियान की विशेषता है। लेकिन इसे मुमकिन बनाना भी सहज नहीं था। इसके लिए आवश्यक था, समुदाय को प्रेरित या क्रियाशील करके उनकी विकास व शैक्षिक कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित करना।

इसलिए प्रारंभिक शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा अधिनियम उ.प्र. एवं पंचायत राज्य एक्ट के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया। जुलाई 1999 में प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध पंचायती राज्य के अनुसार ग्राम पंचायतों एवं ग्राम शिक्षा समितियों को सौंप दिया गया। इसमें ग्राम शिक्षा समिति को अनेक अधिकार देकर उसको महत्वपूर्ण बना दिया गया। उ.प्र. बेसिक शिक्षा संशोधन अधिनियम 2000 में स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक गाँव या गाँव समूह के निमित्त, जिसके लिए संयुक्त प्रांत पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अधीन ग्राम पंचायत स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जाएगी जो ग्राम शिक्षा समिति कहलाएगी।

ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है। नामित बेसिक स्कूल के छात्रों के तीन संरक्षक, जिसमें एक संरक्षक महिला होगी, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे, वे सदस्य होंगे तथा बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि ग्राम पंचायत में कई स्कूल हों तो जो मुख्य अध्यापक इनमें वरिष्ठ हो, वह इनका सदस्य-सचिव होगा।

ग्राम शिक्षा समिति के कार्य:-

पंचायत क्षेत्र में बेसिक कार्य, स्कूलों की स्थापना, उनका नियंत्रण और प्रबंधन ग्राम शिक्षा समिति के प्रमुख कार्य हैं। बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनाएँ बनाना। पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना। बेसिक स्कूलों,

और उनके भवनों और अन्य शैक्षणिक सुविधा और सुधार के लिए जिला पंचायतों को सुझाव देना। ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायें। पंचायत क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से, जैसी विदित की जाए, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना तथा बेसिक शिक्षा से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों को करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उन्हें सौंपा गया है।

इसी प्रकार ग्राम शिक्षा समिति प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूल को खोले जाने के लिए प्रस्ताव बनाकर जिला बेसिक शिक्षा समिति को भेजती है, जहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष उसका अनुमोदन करता है। प्राथमिक शिक्षा के प्रति ग्रामीणों की सोच में बदलाव लाने में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि प्रत्येक ग्रामीण का इस समिति के सदस्यों से सीधा सरोकार होता है। यह समझा गया कि समिति सामुदायिक भागीदारी को अधिक सुदृढ़ और क्रियाशील बना सकती है और ग्राम शिक्षा समिति इन अपेक्षाओं पर खरी भी उतरी है।

ग्राम शिक्षा समिति विद्यालयों में न जाने वाले बच्चों के नामांकन, उनका विद्यालयों में ठहराव सुनिश्चित करने में, विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह विद्यालयों में शिक्षा से जोड़ने तथा विद्यालय न आने वाले बच्चों खासकर बालिकाओं, मजदूरी करने वाले बच्चों को वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकन तथा शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरणा देती है।

इसके अतिरिक्त शिक्षा समिति के माध्यम से माता-पिता एवं अभिभावकों में जागरुकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

मध्यान्ह भोजन योजना:-

सर्वशिक्षा अभियान के तहत राज्य सरकार ने सभी प्राथमिक विद्यालयों के 170 लाख बच्चों को आच्छादित करते हुए दोपहर के पके हुए भोजन की योजना प्रारंभ की है। इस योजना में बच्चों के दोपहर के खाने के वक्त ताजा पका हुआ भोजन वितरित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य जहाँ एक ओर बच्चों को स्कूल में रोकने के लिए उमंग जगाना है वहीं दूसरी ओर इसके माध्यम से नौनिहालों को स्वस्थ और सबल बनाने के लिए उन्हें पौष्टिक आहार देना है। इस योजना का एक बड़ा लक्ष्य सामूहिक भोज के माध्यम से बच्चों में सामाजिक, जातिगत धार्मिक व लैंगिक भेदभाव मिटाना है। इस योजना के तहत चूँकि भोजन ग्राम पंचायतों के माध्यम से वितरित किया जाता है इसलिए स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होता है। इस योजना के लिए फरवरी 2005 तक 119 करोड़ रुपये का अपेक्षित कोष जिलों को उपलब्ध कराया जा चुका था। जिलाधिकारी को इस योजना का नोडल अधिकारी बनाया गया है। मिड-डे-मील योजना के तहत भोजन पकाने के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

दोपहर भोजन योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में भोजन उपलब्ध कराने में स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लिया जाता है। भोजन पकाने का समय घटाने और मीनू में विविधता प्रदान करने के लिए सभी जिलों को एक सप्ताह में चार दिन के लिए चावल दिया जाता है। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलेवार निगरानी रखी जाती है।

शिक्षामित्र योजना:-

उ.प्र. सरकार द्वारा 1999-2000 में शिक्षामित्र योजना लागू की गई। इसका कार्यान्वयन मुख्यतः ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया गया जहाँ निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापक नहीं है। पूरे प्रदेश में 10000 की सीमा तक शिक्षा मित्रों को अनुबंधित

करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष जिलाधिकारी, सदस्य जिला पंचायत अधिकारी, लेखाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बनाया गया। शिक्षामित्र योजना को संचालित करने का पूर्ण दायित्व इसी समिति को सौंपा गया। शिक्षामित्र को शुरुआत में 1450 रु. प्रतिमाह की दर से मानदेय निर्धारित किया गया। बाद में वर्ष 2000 के संशोधित शासनादेश के तहत इस मानदेय को बढ़ाकर 2250 रु. प्रतिमाह कर दिया गया।

वस्तुतः यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवा पीढ़ी को शिक्षा के प्रसार में स्वेच्छा से उनकी सहभागिता ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त करने के लिए तैयार की गई ताकि ग्रामीण शिक्षित युवा शक्ति अपने ही ग्राम में शिक्षा के आलोक को सामुदायिक सेवा के रूप में प्रज्वलित कर सकें। अन्य शब्दों में यह योजना सेवायोजन परक न होकर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को सामुदायिक सेवा हेतु प्रेरित करने के लिए बनाई गई है।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में शिक्षामित्रों की आवश्यकता का आँकलन एवं संख्या का निर्धारण विश्व बैंक वित्तपोषित परियोजनाओं से आच्छादित जनपदों में राज्य परियोजना निदेशक द्वारा तथा शेष जनपदों में बेसिक शिक्षा निदेशक द्वारा किया जाएगा। साथ ही यह ध्यान रखा जाएगा कि 40 छात्रों पर एक अध्यापक का अनुपात रहे। इसी तरह प्रत्येक विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा शिक्षामित्र का अनुपात 3:2 का रहे। शासनादेश में यह भी स्पष्ट है कि शिक्षामित्र की तैनाती उन्ही विद्यालयों में हो, जहाँ पहले से न्यूनतम एक अध्यापक हो। दूसरा शिक्षामित्र, संबंधित विद्यालय में तभी तैनात होगा जब विद्यालय में पहले से शिक्षामित्र की नियुक्ति न हो। दो से अधिक शिक्षामित्रों को एक ही विद्यालय में नहीं रखा जाएगा।

जिला स्तरीय समिति द्वारा विद्यालय का चिन्हांकन हो जाने के पश्चात् संबंधित ग्राम शिक्षा समिति अपनी ग्राम पंचायत की

प्रादेशिक सीमा के अन्तर्गत स्थित विद्यालय के लिए शिक्षामित्र की आवश्यकता का प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि समिति शिक्षामित्र की व्यवस्था के लिए तैयार है। प्रस्ताव पारित होने के उपरांत ग्राम शिक्षा समिति शिक्षामित्र की व्यवस्था के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र नामांकित करने की सूचना ग्राम पंचायत के सूचनापट पर लगाएगी तथा ग्राम पंचायत के क्षेत्र में अन्य उपयुक्त माध्यमों से प्रसारित करेगी। सूचना के प्रसारण/प्रकाशन की तिथि से 10 दिन की समयावधि में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र का ग्राम पंचायत द्वारा लिए जाएंगे। वैसे तो शिक्षामित्र का चयन ग्राम पंचायत से ही होगा लेकिन अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो न्याय पंचायत से अर्ह अभ्यर्थी लिए जा सकते हैं। शिक्षामित्र की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडिएट परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य कोई अर्हता उत्तीर्ण होना चाहिए। शिक्षामित्र की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए।

शिक्षामित्र के चयन के लिए ग्राम शिक्षा समिति की बैठक आहूत की जाएगी। जिसमें कुल सदस्यों की दो तिहाई संख्या में उपस्थिति अनिवार्य होगी। कुल रखे जाने वाले शिक्षामित्रों में 50 प्रतिशत महिलाओं का होना अनिवार्य है। प्रचलित श्रेणियों में आरक्षण के नियमों/निर्देशों के तहत पालन करना अनिवार्य है। समिति के किसी भी सदस्य, सभापति व सचिव के निकट संबंधी का चयन इसमें नहीं हो सकता। शिक्षामित्र की नियुक्ति की अवधि चालू शैक्षणिक सत्र से मई माह के अंतिम दिवस तक के लिए ही होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी शिक्षामित्र का कार्य संतोषजनक न होने की दशा में ग्राम शिक्षा समिति दो तिहाई के बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर संविदा समाप्त कर सकती है। यह निर्णय अंतिम होगा तथा हटाये गये शिक्षामित्र को सेवा का अवसर नहीं दिया जाएगा।

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को लाने के प्रयासों के बावजूद कतिपय श्रेणी के बच्चे सामाजिक व आर्थिक कारणों से विद्यालय आने में समर्थ न हो पाते, ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। इन कतिपय प्रयासों का क्रमशः विश्लेषण इस प्रकार है—

शिक्षाघरः— यह उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना की वैकल्पिक शिक्षा का पुनरावलोकित प्रारूप है, जो ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा प्रबंधित है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लचीला, संवेदनशील एवं बाल मैत्री भावयुक्त शैक्षिक केन्द्र उपलब्ध कराता है।

मकतबों/मदरसों का सुदृढ़ीकरणः— भारी संख्या में मुसलमान बच्चे मुख्यतया बालकियाँ मकतबों व मदरसों में पढ़ते हैं। उन बच्चों के लिए औपचारिक पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायी जाती है एवं मौलवियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। परिणामतः दो घंटे की धार्मिक शिक्षा के उपरान्त बच्चे 3 से 4 घंटे मुख्यधारा की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं।

शिक्षा गारंटी केन्द्र/विद्या केन्द्रः— सुदूर क्षेत्र के बच्चे तथा छूटी हुई लघु बस्तियों के बच्चों के लिए, विशेषतः छोटे बच्चे जो अधिक दूर नहीं जा सकते, के लिए यह योजना वरदान है। इसके तहत कक्षा 1 व 2 के लिए ऐसी बस्तियों में विद्यालय खोलने पर विचार किया जाता है जहाँ 1 किमी. की परिधि में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं और 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के 30 बच्चे उपलब्ध हैं। योजना में विद्या केन्द्र के स्थान और भवन प्रदान करने का दायित्व समुदाय को सौंपा गया है। प्रत्येक शिक्षा गारंटी केन्द्र में कक्षा 1 व 2 को पढ़ाने के लिए एक आचार्य जी की व्यवस्था की जाती है। ग्राम पंचायतों को 1000 रु. प्रतिमाह के नियत मानदेय पर इनकी नियुक्ति करने का अधिकार है।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रः— ऐसे क्षेत्र जहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं, या किसी वजह से तत्काल प्राथमिक विद्यालय नहीं खुल पा रहा है, या बच्चे बड़े हो गये हैं तो ऐसे क्षेत्रों के लिए जिलाधिकारी की

संस्तुति लेकर तत्काल प्रभाव से वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोला जा सकता है। प्राथमिक विद्यालय खुलने पर पूरा केन्द्र उसमें समायोजित कर लिया जाता है या बच्चे बड़े हैं तो केन्द्र ब्रिज का काम करके एक से कक्षा 4 तक की पढ़ाई एक वर्ष में कराकर बच्चों को सीधे 5 वीं की परीक्षा दिला देता है।

शिशु शिक्षा केन्द्र:- ऐसे क्षेत्र जहाँ छोटे भाई-बहिनों को सँभालने के कारण बालिकायें स्कूल नहीं जा पाती हैं, वहाँ आंगनवाड़ी केन्द्रों में शिशु शिक्षा केन्द्र खोल दिए जाते हैं। बाद में बड़े बच्चों को जहाँ योग्यतानुसार कक्षा 4 या 5 की परीक्षा दिला दी जाती है वहीं छोटे बच्चों को प्राइमरी की शिक्षा के लिए तैयार कर लिया जाता है।

शिशु शिक्षा केन्द्र के लिए ग्राम शिक्षा समिति को पाँच हजार रु. प्रतिवर्ष प्रति केन्द्र मिलता है, जिसमें आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रतिमाह 250 रु. अतिरिक्त तथा सहायिका को 125 रु प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

समेकित शिक्षा:- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण है और इस लक्ष्य की पूर्ति तब तक नहीं होगी जब तक 5 से 10 प्रतिशत ऐसे बच्चों को जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम हैं, स्कूल नहीं लाया जाता। विकलाँग अधिनियम 1995 ने 6-14 वर्ष आयु के सभी विकलाँग बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया।

समेकित शिक्षा से तात्पर्य- विकलाँग बच्चों को न्यूनतम रोधक वातावरण प्रदान करके सामान्य विद्यालयों में प्रविष्ट कराना ताकि वे शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ सकें। अधिकाँश अध्यापकों को विश्वास है कि विकलाँग बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार की तकनीकी की आवश्यकता होती है। यह सच नहीं है। कम और मध्यम श्रेणी के विकलाँग बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होती। विशेष तकनीक की आवश्यकता उन बच्चों के लिए होती है, जिनकी विकलाँगता गंभीर

श्रेणी की हो। सामान्यतः अक्षमता/विकलांगता निम्न श्रेणी की होती है:-

- श्रवण सम्बन्धी अक्षमता
- दृष्टि सम्बन्धी अक्षमता
- अस्थि सम्बन्धी अक्षमता
- मानसिक/मन्दबुद्धि अक्षमता
- सीखने से सम्बन्धी अक्षमता

अध्यापक बच्चों के व्यवहार को देखकर प्राथमिक रूप से विकलांग बच्चों को चिन्हित करके बच्चों का डॉक्टरी परीक्षण करवाकर विकलांगता की श्रेणी ज्ञात की जाती है। गंभीर रूप से विकलांग बच्चों विशेष स्कूलों में रिफर कर दिया जाता है और कम तथा मध्यम श्रेणी के बच्चों को आवश्यक उपकरण/सहायता दिलवाकर सामान्य विद्यालयों में नामांकित कराकर सामान्य बच्चों की भाँति शिक्षा प्रदान की जाती है।

प्राथमिक शिक्षा और राजकीय व्यय

भारत में शिक्षा का महत्व हमेशा से रहा है और इसे सर्वोच्च धन स्वीकार किया गया है। ऐसा इसलिए कि-

**‘न चौरहार्यम्, न राज्यहार्यम्, न क्षातभाज्यम्, न च भारकारि।
व्यये कृते वर्द्धतएव नित्यम्, विद्या धनम् सर्व धनम् प्रधानम्॥**

भले ही भारत में विदेशी आक्रांताओं के आने से इसकी विकास गति कम हुई हो परंतु पहले भी भारत के घर-घर में प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। किन्तु लंबे समय तक गुलाम रहने के कारण इस प्राथमिक शिक्षा का व्यक्ति दर व्यक्ति विकास नहीं हो पाया और सन् 1947 तक इस पक्ष पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता के पश्चात् यह विचार किया गया कि प्राथमिक शिक्षा देश की समस्त शैक्षिक संरचना की नींव है। और यदि नींव ही कमजोर होगी तो उस पर खड़ा शिक्षा रुपी भवन दीर्घायु प्राप्त नहीं कर सकता। यही कारण है कि संविधान ने इस संबंध में राज्यों को सख्त निर्देश दिये हैं। केन्द्र सरकार ने अपनी जागरुकता के चलते 1976 के संविधान संशोधन के तहत इसे समवर्ती सूची से अलग कर लिया। लेकिन इसकी ठोस वित्तीय और प्रशासनिक जरूरतों के कारण केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा आवश्यक हो गया।

यह नीति प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक निवेश करने पर जोर देती है। यह प्रस्ताव भी किया गया कि सभी संबंधित व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए “भारत शिक्षा कोश” के नाम से एक निधि बनाई जाए ताकि अतिरिक्त बजटीय समर्थन जुटाया जा सके।

विद्यालयी शिक्षा वित्त के स्रोत

भारत में विद्यालयी शिक्षा वित्त का प्रबंधन अनेक स्रोतों द्वारा होता है। ये स्रोत राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों में प्रमुख रूप से विश्व बैंक भारत में शिक्षा के विसतार के लिए कुछ एक योजनाओं के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराता है। कभी-कभी कुछ देश भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। शिक्षा वित्त के आंतरिक स्रोत निजी और सार्वजनिक दो भागों में बांटे जा सकते हैं। भारत में संघ शासित वित्त व्यवस्था है। विद्यालयी शिक्षा में वित्तीय प्रावधान हेतु राज्य सरकार ही सर्वाधिक उत्तरदायित्व वहन करती है। केन्द्र और स्थानीय संस्थाओं का योगदान बहुत ही कम है।

बीते हुए समय में विद्यालयी शिक्षा वित्त के निजी स्रोत दो प्रकार के थे, पहला- स्वैच्छिक और दूसरा अनिवार्य। स्वैच्छिक वित्त में दान और अंशदान को सम्मिलित किया जा सकता है। उ.प्र. में इस प्रकार के वित्त की भूमिका महत्वपूर्ण थी। भारत में योजनाकाल आरंभ होने के साथ ही उ.प्र. में इस प्रकार के स्रोतों से विद्यालयी शिक्षा हेतु कुल व्यय का 25% हिस्सा प्राप्त हो जाता था। किन्तु 50 वर्ष बाद यह अनुपात न के बराबर हो गया। इस गिरावट के अनेक कारण हैं। लाभ की भावना और व्यावसायिक दृष्टिकोण ने दान के द्वारा उपलब्ध होने वाली राशि को समाप्त कर दिया। शिक्षक नेतृत्व निजी दान दाताओं से दान लेने में असमर्थ रहा। केवल निजी अनिवार्य स्रोतों, फीस और अन्य भुगतान ही शिक्षा वित्त के साधन रह गये। इस प्रकार निजी वित्त के स्रोतों में कमी आई और सरकारी जिम्मेदारी बढ़ गई। यहाँ तक कि विद्यालयी शिक्षा का सारा भार राज्य सरकारों पर आ गया। राज्य सरकारों पर शिक्षा हेतु वित्तीय भार बढ़ने से शिक्षा संचालन में बाधा आयी अतः केन्द्र सरकार ने विभिन्न शिक्षा योजनाओं के माध्यम से शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया।

इस प्रकार केन्द्र सरकार के पास स्कूली शिक्षा में राज्य स्तर पर हस्तक्षेप के अधिकार आ गए। अभी भी स्कूली शिक्षा विभाग में केन्द्र सरकार की भूमिका बहुत छोटी थी। यदि कुछ बिशिष्ट परियोजनाओं के संचालन की दृष्टि से देखा जाये तो केन्द्र सरकार की उल्लेखनीय भूमिका वर्ष 1986 से प्रारंभ होती है। जब केन्द्र सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु नवोदय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। सहशिक्षा की यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा पूरी तरह केन्द्र प्रायोजित और नियंत्रित थी। इसे राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त था। उ.प्र. उन राज्यों में सबसे आगे था, जिनमें यह परियोजना प्रारंभ की गई थी।

नवोदय विद्यालयों की स्थापना से पूर्व वर्ष 1962 में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। जिसकी संस्तुति द्वितीय वेतन आयोग द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य केन्द्र सरकार के स्थानांतरित कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा का लाभ प्रदान करना है। वर्तमान समय में उ.प्र. में अनेक केन्द्रीय विद्यालय हैं। जिनका वित्त प्रबंधन और नियंत्रण पूरी तरह से केन्द्र सरकार के अधीन है। ये विद्यालयी शिक्षा के महत्वपूर्ण संस्थान हैं।

वर्तमान समय में विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में केन्द्र सरकार की भूमिका कुछ विशेष कारणों से और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण योजनायें केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। प्राथमिक और सेकेण्डरी स्तर पर केन्द्र सरकार शिक्षा वित्त उपलब्ध कराने में प्रायः तीन प्रकार से सहयोगी है:-

1. केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं में वित्त उपलब्ध कराना।
2. केन्द्र द्वारा प्रायोजित शिक्षा कार्यक्रमों को वित्त उपलब्ध कराना।
3. अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु विशेष कम्पोनेंट प्लान हेतु वित्तीय सहायता देना।

यदि शिक्षा पर किये गये व्ययों का समग्र विश्लेषण किया जाय तो शिक्षा के लिए संसाधन बढ़ाने की वचनबद्धता के

अनुरूप शिक्षा के आबंटन में पिछले वर्षों के दौरान वृद्धि की गई है। शिक्षा के लिए योजना खर्च, जो प्रथम वर्षीय योजना के दौरान 151 करोड़ रुपये था। दसवीं योजना(2002-07) के दौरान बढ़कर 43825 करोड़ रुपये हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के संदर्भ में भी शिक्षा व्यय में वृद्धि हुई है। यह 1951-52 के 0.62 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2002-03 में 3.98 प्रतिशत हो गया। दसवीं योजना में प्रस्तावित कुल शिक्षा व्यय 43825 करोड़ रुपये में से प्राथमिक शिक्षा पर 30000 करोड़ रुपये व्यय किये जाने की व्यवस्था की गई है। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर अब तक किया गया योजना व्यय इस प्रकार है:-

सारणी-{5:1}

प्राथमिक शिक्षा पर किया गया योजना व्यय प्रतिशत¹

स.क्र.	योजना	अवधि	कुल योजना व्यय का प्रतिशत
1	प्रथम योजना	1951-56	58 प्रतिशत
2	द्वितीय योजना	1956-61	35 प्रतिशत
3	तृतीय योजना	1961-66	34 प्रतिशत
4	योजना अवकाश	1966-69	24 प्रतिशत
5	चतुर्थ योजना	1969-74	50 प्रतिशत
6	पंचम योजना	1974-79	50 प्रतिशत
7	छठी योजना	1980-85	32 प्रतिशत
8	सातवीं योजना	1985-90	37 प्रतिशत
9	वित्तीय वर्ष	1990-92	37 प्रतिशत
10	आठवीं योजना	1992-97	48 प्रतिशत
11	नवीं योजना	1997-02	65.7 प्रतिशत
12	दसवीं योजना	2002-07	65.6 प्रतिशत

¹ स्रोत कुरुक्षेत्र सितंबर 2004

वर्तमान समय में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संपूर्ण भारत में सर्व शिक्षा अभियान संचालित है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय उत्तरदायित्व वहन करने हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित किये गए हैं:-

सारणी-{5:2}
पंचवर्षीय योजनाओं में केन्द्र राज्य अंशदान

स.क्र.	योजना	वर्ष	केन्द्र राज्य का अंशदान
1	9वीं पंचवर्षीय योजना	1997-02	85:15
2	10वीं पंचवर्षीय योजना	2002-07	75:25
3	11वीं पंचवर्षीय योजना	2007-12	50:50*

* माह सितंबर 2007 में सर्व शिक्षा अभियान के खर्च का आधा बोझ उठाने के मामले में राज्यों का विरोध और उस पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग के बाद केन्द्र सरकार ने अपने व राज्यों के बीच खर्च का बंटवारा 50:50 प्रतिशत के अनुपात में नहीं रखने का निर्णय लिया है।

नए प्रावधानों के अनुसार अभियानों के खर्च में अब बंटवारा निम्नानुसार होगा।

सारणी-{5:3}
11वीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय बंटवारे का प्रावधान

स.क्र.	योजना	वर्ष	केन्द्र राज्य का अंशदान
1	11वीं पंचवर्षीय योजना	2007-08	65:35
2		2008-09	65:35
3		2009-10	60:40
4		2010-11	55:45
5		2011-12	50:50

उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए धन आबंटन अब 90:10 के अनुपात में रहेगा। खर्च बंटवारे का यह नया प्रावधान 1 अप्रैल 2007 से लागू होगा।

विद्यालयी शिक्षा वित्त प्रबंधन में राज्य सरकार की भूमिका

भारत एक संघ शासित राष्ट्र है। यहाँ वित्तीय संसाधनों और वित्तीय जिम्मेदारियों का बंटवारा भी संघीय आधार पर होता है। भारत में विद्यालयी शिक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकारों के कंधों पर ही है। उ.प्र. सरकार के बजट में शिक्षा की मद पर कुल बजट का लगभग 1/5 भाग खर्च होता है। उ.प्र. में सरकार प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार हेतु दो प्रकार से वित्तीय दायित्वों को वहन करती है। एक तो सीधे सरकारी विद्यालयों का वित्त प्रबंध करना दूसरे निजी स्कूलों को अनुदान देना। अधिकांशतया अनुदानित विद्यालय सेकेण्डरी स्तर के होते हैं। प्रारंभिक और सेकेण्डरी स्तर पर राज्य सरकार द्वारा स्कूलों का निरीक्षण किया जाता है और उन्हें दिशा निर्देश दिये जाते हैं। स्कूल प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए राज्य सरकार सचिवालय, निदेशालय और जिला स्तर पर अनेक संस्थाओं को संचालित करती है। शिक्षा हेतु बढ़ती हुई नामांकन दर ने राज्य सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी को और भी बढ़ा दिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सहयोग

भारत में विश्व बैंक इससे जुड़ी संस्था IDA द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार हेतु अनेक योजनाओं के अन्तर्गत वित्त उपलब्ध कराया जा रहा है। उ.प्र. में भी विश्व बैंक द्वारा योजनायें संचालित की जा रही हैं। ये योजनायें इस प्रकार हैं:-

1. उ.प्र. में 'सबके लिए शिक्षा' (EFA)
2. EFA-II
3. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय (DPEP-II)
4. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय (DPEP-III)

USAID विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के लिए सहायता उपलब्ध कराती है।

वर्तमान समय में उ.प्र. कुल शिक्षा व्यय का लगभग 55 प्रतिशत और इससे भी अधिक प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है।

यह व्यय निम्नलिखित मदों के अन्तर्गत किया जाता है:-

- निर्देशन और प्रशासन
- भवन निर्माण और सामग्री
- राजकीय प्राथमिक विद्यालय
- गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालय
- निरीक्षण
- अनौपचारिक शिक्षा
- शिक्षकों के शिक्षण और प्रशिक्षण
- छात्रवृत्तियों और पुरस्कार
- अन्य मदें { जैसे शैक्षणिक कार्यक्रम जो केन्द्र सरकार और बाह्य संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं, उदाहरण के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP), जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIET), सबके लिए शिक्षा (EFA) कार्यक्रमों के वित्तीय सहयोग करना }

जनपद झाँसी में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और बाह्य संस्थाओं के सहयोग से अनेक कार्यक्रम संचालित हैं। राज्य सरकार विभिन्न मदों के अन्तर्गत जिला प्रशासन को प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और संचालन हेतु वित्त उपलब्ध कराती है।

बेसिक शिक्षा में राजकीय व्यय

1. ब्लॉक संसाधन केन्द्र (Block Resource centre) BRC:- विकासखंड स्तर पर शैक्षिक, प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक समस्याओं के निस्तारण एवं प्रभावी शैक्षिक सपोर्ट, अनुश्रवण, सूचना संग्रहण आदि कार्यों हेतु BRC स्थापित है, जिसका निर्माण 8.5 लाख रुपये में जल निगम द्वारा कराया गया, जिसमें प्रा.वि. के प्र.अ./पूर्व मा.वि. के स.अ. को समन्वयक के रूप में तैनात किया गया है, जिसके TA, Teaching Learning Material (TLM), BRC के फर्नीचर, रखरखाव आदि हेतु व्यय प्रदान किया जाता है। उक्त समन्वय के अतिरिक्त दो सह समन्वय भी तैनात किये गये हैं।

नगर क्षेत्र में BRC समन्वयक के स्थान पर शिक्षा अधिकारी उक्त कार्य देखते हैं, अन्य सभी व्यय BRC की भाँति ही दिए जाते हैं।

2. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (Nayay Panchayat Resource Centre) NPRC:- BRC की ही भाँति ही जनपद की 65 ग्राम पंचायतों पर NPRC स्थापित हैं, जो BRC समन्वयक की भाँति अपनी न्याय पंचायत में स्थित विद्यालयों में शैक्षिक सपोर्ट, सूचना संग्रह व अनुश्रवण (Monitoring) आदि कार्य देखते हैं। न्याय पंचायत के विद्यालय परिसर में एक अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (लागत रुपये 1.4 लाख) निर्मित हैं।

3. निर्माण कार्य:-

a- नवीन प्राथमिक विद्यालय (New Primary School) NPS :- ऐसे असेवित बस्तियों/मजरों/गांवों में जिनसे निकटतम प्राथमिक विद्यालय 1 किमी. दूर एवं उनकी आबादी 300 से अधिक हो; रुपये 3.995 लाख की लागत से प्राथमिक विद्यालय खोला जाता है। नवीन प्राथमिक विद्यालय शिक्षा की पहुँच में विस्तार के उद्देश्य से खोले जाते हैं।

b- नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय (New Upper Primary School)

NUPS:- निकटतम पूर्व माध्यमिक विद्यालय से 2 किमी. की दूरी पर 800 से अधिक आबादी पर 5.28 लाख की लागत से पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोला जाता है। इसका उद्देश्य भी पहुँच में विस्तार है।

c- अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (Additional Classroom) ACR:- विद्यालयों में कक्षाओं की अपर्याप्ता को ध्यान में रखकर रुपये 1.40 लाख के भूकम्परोधी अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (ACR) निर्माण कराये जा रहे हैं।

d- विद्यालयों का पुनर्निर्माण (Reconstruction of School):- जीर्ण-शीर्ण एवं जर्जर विद्यालय भवनों को तोड़कर रु. 2.64 लाख की दर से प्राथमिक विद्यालय एवं 5.15 लाख रुपये की दर से पूर्व माध्यमिक विद्यालय निर्माण कराये जा रहे हैं।

e- पेयजल (Drinking Water):- जनपद के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल हेतु 28 हजार रुपये की लागत से हैण्डपंप स्थापित हैं।

f- चाहरदीवारी (Boundary Wall):- जनपद के चाहरदीवारी विद्यालयों को रु. 616 मात्र प्रति मीटर की दर से चाहरदीवारी निर्माण एवं 7 हजार रुपये मात्र गेट हेतु विद्यालय भवन की सुरक्षा हेतु दिए जा रहे हैं।

4. वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम:-

a- शिक्षा गारंटी केन्द्र (Education Gurantee Scheme) EGS:- ऐसे असेवित क्षेत्र जो प्रा.वि. खोले जाने के मानक पूरे नहीं करते तथा निकटतम प्रा.वि. से 1 किमी दूर लगभग 25 बच्चे (6-11 वर्ष वर्ग के) शिक्षा से वंचित हैं; EGS केन्द्र खोले जाते हैं, इन केन्द्रों में कक्षा 1 व 2 की पढ़ाई आचार्यजी द्वारा कराई जाती है। प्रतिमाह 1000 रुपये उसी मजरे/ बस्ती के हाईस्कूल पास व्यक्ति होते हैं, जो ग्राम शिक्षा समिति द्वारा चयनित होते हैं; इन केन्द्रों से बच्चों का मुख्य धारा के

विद्यालय में लगातार प्रवाह बना रहता है, इन केन्द्रों का उद्देश्य सभी शिक्षा से वंचित बच्चों का प्रवेश प्रा.वि. में कराना होता है। इन केन्द्रों को स्थापना व्यय के रूप में 1100 रुपये मात्र बच्चों की कॉपी, किताब, स्लेट, पेन्सिल आदि के लिए प्रतिवर्ष 2500 रुपये मात्र दिया जाता है।

b. वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र (Alternative & Innovative Education Centre) AIE:- विशेषकर शहरी क्षेत्रों विभिन्न कामकाजी, बालश्रमिक, घुमन्तु व विशेष परिस्थितियों में शिक्षा से वंचित (6-14 वर्ष वर्ग के) बच्चों के लिए AIE ज्ञान केन्द्र चलाए जाते हैं; जिनमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ायी होती है। अन्य व्यवस्थायें EGS केन्द्र की भाँति होती हैं।

अल्पसंख्यकों (विशेषकर मुस्लिम) के ऐसे बच्चों को जो केवल दीनी तालीम प्रदान कर रहे मदरसों में पढ़ रहे हैं, मुख्यधारा की शिक्षा दिलाने हेतु पूर्व से संचालित मदरसों का सुदृढीकरण (Strengthening) की जाती है। शेष व्यवस्थायें AIE केन्द्र की भाँति होती हैं।

c. ब्रिजकोर्स (Bridge Course):-

i. आवासीय ब्रिजकोर्स (Residential Bridge Course) RBC :-

जनपद के 11-14 वर्ष वर्ग के शिक्षा से वंचित 60 बच्चों को 4.08 लाख रुपये की लागत से शासकीय तंत्र या स्वयंसेवी (NGO) संस्थाओं के माध्यम से 6 माह तक एक आवासीय व्यवस्था प्रदान करते हुए RBC चलाया जाता है जिससे ऐसे बच्चे 6 माह की अवधि में एक से अधिक कक्षा उत्तीर्ण कर अपनी आयु के कक्षा में प्रवेश करें एवं विद्यालय से ड्रॉप के कारण ड्रॉप आउट (Drop Out) न हों।

ii. गैर आवासीय ब्रिज कोर्स (Non-Residential Bridge Course)

NRBC :- 11-14 वर्ष वर्ग के लिए सुगम स्थल पर 4 घंटे के गैर आवासीय ब्रिज कोर्स दो अनुदेशकों द्वारा

संचालित हैं। प्रत्येक NRBC के लिए 20400 रुपये व्यय प्रावधानित है।

5. **निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण(Free Text Book):-** जनपद के प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं, अनुदानित मदरसों व माध्यमिक विद्यालयों से संलग्न कक्षा 8 तक की कक्षाओं के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाती हैं।

6. **समेकित शिक्षा(Integrated Education)IEd:-** कम विकलांग बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु चल रहे इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को मेडीकल परीक्षण, विकलांगता प्रमाण पत्र वितरण, Medical Assesment Camp का आयोजन,चिन्हित बच्चों को Aids & Appliances का वितरण किया जाता है, जिसमें ALIMCO का सहयोग लिया जाता है। साथ ही तीन माह का आवासीय ब्रिजकोर्स (लागत 4.65 लाख रुपये), ब्रेल बुक वितरण, इटिरनेट टीचर्स द्वारा सतत् शिक्षण किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय में 6500 रुपये की लागत से रैम्प निर्मित किया गया है।

7. **बालिका शिक्षा(Girls Education):-**

a- **Early Childhood care & Education Centre(ECCE):-** समेकित बाल विकास कार्यक्रम के तहत पूर्व से संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों में से विद्यालय परिसर में संचालित होने वाले केन्द्रों को ECCE केन्द्र के रूप में सुदृढीकृत किया जाता है,जिसमें एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष(लागत रु. 1.40 लाख); सामग्री क्रय हेतु 6500 रुपये कार्यकर्त्री को 250 रुपये व सहायिका को 125 रुपये अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है। इनका उद्देश्य Pre Schooling शिक्षा को मजबूत करना है।

b- **निःशुल्क यूनीफार्म वितरण:-** कक्षा 1 से 5 की प्रत्येक बालिका को निःशुल्क यूनीफार्म वितरण हेतु 100 रुपये प्रति छात्रा प्रदान किया गया है, जिनसे यूनीफार्म बनाकर ग्राम शिक्षा समिति छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म देती है।

- c- **मीना मंच:-** प्रत्येक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में जागरुक छात्राओं एवं अभिभावकों का मीना मंच गठित है, जो अन्य व्यक्तियों/लड़कियों को शिक्षा के प्रति जागरुक करती है। इसके तहत यूनीसेफ के पाठ्य सामग्री की National Book Trust (NBT) पाठ्य सामग्री हेतु 5000 रुपये, 10 समितियों 4 झूलों आदि का व्यय भी किया जाता है।
- d- **कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय(KGBV):-** केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 100 लड़कियों (विशेषकर SC) को तीन वर्ष आवासीय व्यवस्था के तहत रखकर कक्षा 8 उत्तीर्ण कराया जाता है, जिस हेतु रुपये 26 लाख का भवन व 8 सदस्यीय स्टाफ व आवासीय विद्यालय के अन्य सभी व्यय दिए जाते हैं।
- e- **NPEGEL (National Programme of Education for Girls at Elementary Level):-** प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रुपये 2 लाख लागत का भवन निर्मित है, जिसमें सिलाई-कढ़ाई एवं अन्य गृहोपयोगी कार्य, कार्यानुभव(SUPW) शिक्षा सिखाए जाते हैं।
- f- **कम्प्यूटर हार्डवेयर, सोलर पैनल व साफ्टवेयर:-** इस हेतु प्रति विद्यालय रुपये 1.65 लाख प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय को दिया जाता है।
8. **मरम्मत(Maintenance):-** प्रत्येक विद्यालय को उक्त कार्य हेतु प्रतिवर्ष 5000 रुपये प्रदान किया जाता है।
9. **शोध,अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (Research,Monitoring & Evaluation):-** प्रत्येक विद्यालय के उक्त कार्य हेतु 1400 रुपये व्यय किया जाता है।
10. **विद्यालय अनुदान(School Grant):-** प्रत्येक विद्यालय को School Grant के रूप में प्रतिवर्ष 2000 रुपये प्रदान किया जाता है।

11. शिक्षण अधिगम सामग्री(Teaching learning Material)TLM:-

प्रत्येक परिषदीय सहायता प्राप्त कक्षा 8 तक के शिक्षक एवं शिक्षामित्र को 500 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।

12. शिक्षण अधिगम उपकरण(Teaching Learning Equipment)

TLE :- नव स्थापित प्राथमिक विद्यालय को 10000 रुपये एवं नव स्थापित पूर्व माध्यमिक विद्यालय को 50000 रुपये फर्नीचर आदि क्रय हेतु दिए जाते हैं।

13. प्रशिक्षण(Training):- प्रत्येक अध्यापक को सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, प्रधानाध्यापक को नेतृत्व क्षमता संवर्धन, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, शिक्षा-मित्रों-आचार्यों-अनुदेशकों के प्रशिक्षण डायट (DIET) या BRC पर दिये जाते हैं।

वर्ष 2005-06 में विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम और बजट नीचे सारणी (5:4) में विस्तृत रूप से उल्लिखित हैं :-

District - ihansi

(Rs. In Thousand)

S. No.	Head	Unit Cost	Fresh Proposals		Remark
			Physical	Financial	
			12	13	
1	2	3			22
(I) BRC AND NAGAR SHIKSHA ADHIKARI *					
1	Salary Coordinator	14.5		0.00	12 Month
2	Asstt.Coordinator @ 12.5 x12 Months	12.50		0.00	12 Month
3	Furniture/fixturg & Equipments	0.00		0.00	
4	Travelling Allowance & Meeting	6.00	9	54.00	
5	Maintenance of equipments	0.00		0.00	
6	Maintenance of building	15.00	7	0.00	
7	TLM	5.00	9	45.00	
8	Contingency	12.50	9	112.50	
	TOTAL BRC			211.50	
(II) NPRC					
9	Salary Coordinator @12 for 12 Months	12.50		0.00	12 Month
10	Furniture/fixturg & Equipments	0.00		0.00	
11	TLM	1.00	65	65.00	
12	Contingency	2.50	65	162.50	
13	Meeting & TA (12 month)	2.40	65	156.00	
	TOTAL CRC			383.50	
(III) CRC (URBAN)					
14	Construction of UERC	0.00		0.00	
15	Furniture/fixturg & Equipments	0.00		0.00	
16	Salary Coridinator @12 for 12 Months	0.00		0.00	12 Month
17	TLM (@1.0xNo.of UERC)	1.00	1	1.00	
18	Contingency	2.50	1	2.50	
19	Meeting & TA (12 month)	2.40	1	2.40	
	TOTAL UERC (Urban)			5.90	
(IV) CIVIL WORKS					
20	New Primary School (Plain)	379.50		0.00	
21	New Primary School (Hilly/Rocky)	390.00	37	14430.00	
22	New Upper Primary School (Plain)	508.00		0.00	
23	New Upper Primary School (Hilly/Rocky)	508.00	58	29464.00	
24	Additional Classrooms PS	91.00	(418) 47/	38038.00	
25	Additional Classrooms UPS	91.00	79	7189.00	
26	Toilets PS (through convergence) at 10% of unit cost of 20000	2.00	261	522.00	
27	Toilets UPS (through convergence) at 10% of unit cost of 20000	2.00	51	102.00	
28	Reconstruction PS /Buildingless School	241.00	30	7320.00	
29	Reconstruction UPS/Buildingless School	495.00	3	1485.00	
30	Drinking Waters PS (Plain) (through convergence) at 10% of unit cost of 18000	1.80		0.00	
31	Drinking Waters PS (Hilly/Rocky) (through convergence) at 10% of unit cost of 28000	2.80	54	151.20	
32	Drinking Waters UPS (Plain) (through convergence) at 10% of unit cost of 18000	1.80		0.00	
33	Drinking Waters UPS (Hilly/Rocky) (through convergence) at 10% of unit cost of 28000	2.80	42	117.60	
34	Boundary Wall PS (Total boundary walls in meters * 0.616)	0.62	1875	1155.00	
35	Boundary Wall PS (for gate) @ Rs. 8000 x no. of PS	7.00	13	91.00	
36	Boundary Wall UPS (Total boundary walls in meters * 0.616)	0.62	1670	1028.72	
37	Boundary Wall UPS (for gate) @ Rs. 8000 x no. of UPS	7.00	8	56.00	
38	Boundary Wall BRC (Total boundary walls in meters * 0.616)	0.62	700	431.20	
39	Boundary Wall BRC (for gate) @ Rs. 8000 x no. of BRC	7.00	5	35.00	
40	Boundary Wall UERC	0.00		0.00	
41	Electrification in Urban School Primary	7.00		0.00	
42	Electrification in School Upper Primary	7.00		0.00	
43	BRC Construction	600.00		0.00	
	TOTAL Civil Works			101615.72	
(V) EGS					
	TOTAL EGS (@0.845xNo.ofChil-25xCamp)	0.845	87	1837.88	25 Children
(VI) AIE					
44	AIE (P.S.) (0.845x25xNo.) AIE centers & Recog. Madarsas	0.845	28	591.50	25 Children
45	AIE (U.P.S.) (1.2x30xNo.)	1.20		0.00	30 Children
46	Bridge Course NON RESIDENTIAL (.845x40xNo.)	0.845	21	709.80	40 Children
47	Bridge Course (P.S.) Residential (3.0x60xNo.)	6.50		0.00	60 Children
48	IEC (3x30x10)	3.00		0.00	
	TOTAL AIE		49	1301.30	
	TOTAL EGS/AIE		136	3139.18	
(VII) FREE TEXT BOOKS					
49	Free Text Books PS /Parishad /Govt.Schools/Samaj Kalyan Schools/Aided Madarsas/Aided Schools attached to H.S./Intermediate	0.05	119748	5987.40	
50	Free Text Books UPS /Parishad/Govt. Schools/Samaj Kalyan Schools/Aided Madarsas/Aided Schools attached to H.S./Intermediate	0.15	36622	5493.30	
	TOTAL Text Book		156370	11480.70	
(VIII) IED					
	TOTAL IED	1.20	1770	2124.00	

षष्ठ अध्याय

प्राथमिकताएं एवं चुनौतियां

प्राथमिकतायें एवं चुनौतियाँ

वर्तमान समय में सर्वशिक्षा अभियान, राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध समेकित प्रयास द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाने संबंधी चिरअभिलाषित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। सर्वशिक्षा अभियान जिसमें देश की प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा की गयी है, का उद्देश्य सन् 2010 तक 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी शिक्षा प्रदान करना है।

सर्वशिक्षा अभियान स्कूल पद्धति से कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा को मिशन के रूप में प्रदान करने संबंधी जरूरत को पूरा करने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री-पुरुष असमानता तथा सामाजिक अंतर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गयी है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा संबंधी इन सभी प्रयासों में एकसूत्रता लाने का प्रयास किया गया है। इसमें ऐसे प्रयास किये जायेंगे जिनसे सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल स्तर से निचले स्तर तक कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित हो सके। पंचायती राज संस्थाओं, निर्धारित क्षेत्रों में जनजातीय परिषदों, जिनमें ग्राम पंचायतें भी सम्मिलित हैं, की सहभागिता सुनिश्चित करने के अलावा गैर सरकारी संगठनों आदि को शामिल करके जबाब देही के क्षेत्र का विस्तार किया जायेगा।

जिला शिक्षा कार्यक्रम तृतीय के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया है। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम में 6-14 वर्ष आयु के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आँकलन किया जाये। सूक्ष्म नियोजन प्रारंभ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए इसके उद्देश्यों तथा विधियों के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक

ग्राम की बस्तियों की सूची तैयार की गई। जनपद झाँसी में सर्वप्रथम 2000-01 में सूक्ष्म नियोजन के अन्तर्गत 222 ग्राम शिक्षा समितियों तथा सन् 2001-02 में शेष 232 ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण कराकर सूक्ष्म नियोजन का कार्य कराया जा चुका है तथा ग्राम शिक्षा का निर्माण भी कराया गया है। सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिए निम्नलिखित सूचनाएँ एकत्रित की गई-

1. गाँव में 6-11 वर्ष आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या।
2. विद्यालय में पढ़ने वालों की संख्या।
3. विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या।
4. शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के लिये, क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है ?
5. यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना संभव नहीं है, तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं ?
6. क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं ?
7. यदि नहीं, तो इसके सुधार के लिए ग्रामवासियों के क्या सुझाव हैं ?
8. क्या विद्यालय में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है ? तथा छात्र अध्यापक अनुपात क्या है ?
9. क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं ?
10. शिक्षण कार्य की स्थिति/शिक्षण कार्य की गुणवत्ता के विषय में ग्रामवासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात् निम्न कार्य ग्रामवासियों के सहयोग से किये जाने थे-

1. परिवार सर्वेक्षण
2. स्कूल का मानचित्र / शैक्षिक मानचित्र
3. सूचनाओं का विश्लेषण
4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्र, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी:-

सन् 2000-01 में 222 ग्रामों के सूक्ष्म नियोजन के लिए ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक-युवतियों, शिक्षकों-शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं के साथ-साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांवों के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया। इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गांव की संपूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। किसी गांव की शैक्षिक स्थिति को एक दृष्टि में चित्रित करना स्कूल मानचित्रण कहलाता है। गांव की मौजूदा शिक्षण व्यवस्थाओं के सुधार के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाना, जिससे गांव के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य रूप से अच्छी शिक्षा मिल सके, इसे ग्राम शिक्षा योजना का नाम दिया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गांव की उत्तम व्यवस्था के लिए ग्राम शिक्षा योजना बनाई गई।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिए निम्न सूचनायें एकत्र की गईं-

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या
2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री-पुरुष जनसंख्या
4. पढ़ने और न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
6. बालिका शिक्षा की स्थिति

सूक्ष्म नियोजन से प्राप्त परिवार / बस्तीबार आँकड़ों को सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकासखंड के

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत कर विकासखंड स्तर में संकलित किया जाना था। 6-14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यालय न आने वाले बच्चों को दो श्रेणी में बांटा गया। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा / नवाचार शिक्षा योजना को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6-8 वर्ष तथा 9-14 वर्ष समूहों में ऑकलित की गई। इन बच्चों में बालक व बालिकाओं की संख्या अलग-अलग ज्ञात की गई। इसके अतिरिक्त इनमें ऐसे बच्चों की संख्या भी शामिल की गई जो कामकाजी थे तथा पैतृक व्यवसाय में माता-पिता का सहयोग करते थे अथवा सड़क छाप बच्चे थे।

सर्वेक्षण से प्राप्त ऑकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की भी सूची तैयार की गई, जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते हैं, तथा वहाँ विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। इनके अनुसार बस्तियों की सूची भी तैयार की गई जिसमें शिक्षा गारंटी केन्द्र/ वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार सर्वशिक्षा अभियान की योजना संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्रित कर उपयोग में लाना था। विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का ऑकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम बनाये गये।

ग्राम शिक्षा समितियों के द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन से संबंधी कार्यक्रम पूर्ण कर सर्वशिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना के वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्य योजना तैयार की गई।

जनपद में मई 2003 में अध्यापकों द्वारा हाउसहोल्ड सर्वे किया गया। जिसमें 6-11 वर्ष आयु वर्ग के 118563 बालक एवं 98500 बालिकायें चिन्हित की गई। इसी प्रकार 11-14 आयु वर्ग के 54231 बालक एवं 43422

बालिकायें चिन्हित की गई। इस प्रकार 6-11 वर्ष आयु वर्ग के 217063 बच्चे एवं 11-14 आयु वर्ग के 97653 बच्चे चिन्हित किये गए।

उपर्युक्त 6-11 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में से 20 मई 2003 तक 107958 बालकों व 87338 बालिकाओं का स्कूलों में नामांकन हो चुका था। 11-14 आयु वर्ग के बच्चों में से इसी समय तक 97653 बच्चों जिसमें 52927 बालक एवं 41609 बालिकायें थीं, का नामांकन विद्यालयों में हो चुका था।

‘स्कूल चलो अभियान’ के तहत शेष बच्चों, जिनकी संख्या 15889 थी, जिसमें 8009 बालक और 7880 बालिकायें थीं, का नामांकन कराया गया। वर्ष 2004 तक 6-11 आयु वर्ग के 2596 बालक एवं 3282 बालिकायें, कुल मिलाकर 5878 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। 11-14 आयु वर्ग के 1304 बालक एवं 1813 बालिकायें कुल मिलाकर 3117 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। इन बच्चों के लिए 51 ब्रिज कोर्स, 03 एन. जी. ओ. द्वारा ब्रिज कैम्प, 07 ब्रिज कैम्प एस.सी./एस.टी. के बच्चों हेतु व 24 ए.आई.ई. उच्च प्राथमिक स्तर पर एवं 50 ई. जी. एस. केन्द्र चलाए जाने का कार्यक्रम था, जिससे कि स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। 30 सितंबर तक शत प्रतिशत नामांकन कराने का लक्ष्य रखा गया था।

जनपद में मई माह में संपन्न कराये गये हाउसहोल्ड सर्वे में 6-14 आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों में 14335 बालक एवं 15725 बालिकायें चिन्हित की गई। सर्वेक्षण में बबीना और चिरगाँव विकासखंडों में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या सर्वाधिक थी। विकासखंड वार स्कूल न जाने वाले बच्चों का विवरण सारणी-{6:1} में दिया गया है-

सारणी-[6:1]

स्कूल न जाने वाले विद्यार्थियों का विवरण¹


दिनांक 09.06.03 सर्वे वर्ष:-2003-04

विकासखंड का नाम	6-11 वर्ष आयु		11-14 वर्ष आयु		कुल	
	बालक	बालिकायें	बालक	बालिकायें	बालक	बालिकायें
बबीना	1558	1549	508	671	2066	2220
बामौर	659	692	244	282	903	974
बंगरा	1225	1370	328	485	1553	1855
बड़ागाँव	1314	1250	438	557	1752	1807
चिरगाँव	1586	2234	682	967	2268	3201
गुरसरौय	892	807	324	352	1216	1159
झाँसी नगर क्षेत्र	845	1131	399	442	1244	1573
मऊरानीपुर	1059	925	292	299	1351	1222
मऊ नगर क्षेत्र	27	35	196	129	223	164
मौठ	1440	1171	347	379	1787	1550
योग	10605	11162	3758	4563	14363	15725

जनपद में किये गये जून 2003 के हाउसहोल्ड सर्वे के अनुसार 6-14 आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों में 14363 बालक एवं 15725 बालिकायें थीं। सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया कि बबीना और चिरगाँव विकासखंडों में सर्वाधिक बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे।

¹ स्रोत:- पर्सपेक्टिव प्लान; सर्वशिक्षा अभियान, जनपद झाँसी वर्ष 2002-07

स्कूल न जाने वाले विद्यार्थियों का विवरण सर्वे वर्ष 2003-04



◆ 6-11 वर्ष आयु बड़ागाँव
 ◆ 11-14 वर्ष आयु बालक
 ■ 6-11 वर्ष आयु बालिकायें
 * 11-14 वर्ष आयु बालिकायें

सारणी-[6:2]










अनुसूचित और पिछड़ी जाति के अनुसार स्कूल न जाने वाले विद्यार्थियों का विवरण

दिनांक 09.06.03 उ.प्र. सबके लिए शिक्षा-जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा सर्वशिक्षा अभियान)

सर्वे वर्ष:-2003-04

स.क्र.	विकासखंड का नाम	सामान्य		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य जाति		अल्पसंख्यक		कुल	
		बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ
1	बबीना	123	123	600	626	2	0	1313	1447	28	24	2066	2220
2	बामौर	110	100	349	417	0	0	400	416	44	41	903	974
3	बंगरा	63	46	572	612	0	16	877	1129	41	52	1553	1855
4	बड़ागाँव	103	104	506	481	0	0	1076	1163	67	59	1752	1807
5	चिरगाँव	157	147	932	1181	0	0	1085	1791	94	82	2268	3201
6	गुरसराय	153	135	398	394	0	0	585	568	80	62	1216	1159
7	झौंसी नगर क्षेत्र	256	321	341	450	0	0	400	507	247	295	1244	1573
8	मऊयानीपुर	166	151	514	501	0	0	647	542	24	28	1351	1222
9	मऊ नगर क्षेत्र	53	25	62	33	6	0	57	68	51	38	229	164
10	मौठ	250	227	542	488	0	5	797	675	192	155	1781	1550
	योग	1434	1379	4816	5183	8	21	7237	8306	868	836	14363	15725

सामान्य, अनुसूचित, पिछड़ी जाति एवं अन्य जाति के स्कूल न जाने वाले विद्यार्थियों का विवरण



6-14 आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों में सर्वाधिक संख्या पिछड़ी जाति के बच्चों की थी। इस वर्ग के 7237 बालक और 8306 बालिकायें स्कूल से वंचित थे। बबीना, बडागांव और चिरगाँव विकासखंडों में पिछड़ी जाति के सर्वाधिक बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। चिरगाँव के अनुसूचित जाति के भी सर्वाधिक बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। जनपद में अनुसूचित जाति के कुल 4816 लड़के और 5183 लड़कियाँ, कुल 9999 बच्चे स्कूल जाने से वंचित थे।

सारणी-{6:3}

स्कूल न जाने वाले विकलांग विद्यार्थियों का विवरण¹

सर्वे वर्ष:-2003-04

स. क्र.	विकासखंड का नाम	6-11वर्ष आयु		11-14 वर्ष आयु		कुल		कुल
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	
1	बबीना	54	35	26	16	80	51	131
2	बामौर	104	48	51	39	155	87	242
3	बंगरा	84	46	57	33	141	79	220
4	बडागाँव	74	53	62	19	136	72	208
5	चिरगाँव	64	43	55	42	119	85	204
6	गुरसरॉय	53	36	17	13	70	49	119
7	झाँसी नगर	37	33	25	14	62	47	109
8	मऊरानीपुर	79	49	23	24	102	73	175
9	मऊ नगर	17	12	15	11	32	23	55
10	मौठ	87	57	58	34	145	91	236
	योग	653	412	389	245	1042	657	1699


जनपद में 1699 बच्चे ऐसे थे, जो विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित थे इनमें बालिकाओं की संख्या 657 एवं बालकों की संख्या 1042 थी।

जून 2003 में 6-14 वर्ष आयु के स्कूल न जाने वाले बच्चों को चिन्हित करने हेतु व्यापक आधारों पर हाउसहोल्ड सर्वे किया गया। ये आधार जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता तो थे ही साथ ही विभिन्न कारणों से जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उन कारणों को भी प्रकाश में लाने का सार्थक प्रयास किया गया, जिससे ऐसे बच्चों की समस्याओं का निवारण कर उनकी शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

¹ सर्वशिक्षा अभियान जनपद झाँसी; पर्सपेक्टिव प्लान 2002-2007

स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चों का विवरण सर्वे वर्ष

2003-04



6-11 वर्ष आयु बालक
 6-11 वर्ष आयु बालिकाएँ
 11-14 वर्ष आयु बालक
 11-14 वर्ष आयु बालिकाएँ


सारणी-[6:4]

घरेलू कार्यो के कारण स्कूल न जाने वाले बच्चों का विवरण

सर्वे वर्ष:-2003-04

स.क्र.	विकासखंड का नाम	5-6वर्ष आयु		7-10 वर्ष आयु		11-14 वर्ष आयु		कुल	
		बालक	बालिकायें	बालक	बालिकायें	बालक	बालिकायें	बालक	बालिकायें
1	बबीना	196	181	163	183	188	189	547	553
2	बामौर	105	111	115	82	128	162	348	355
3	बंगरा	154	142	145	132	201	172	500	446
4	बडागाँव	227	265	77	103	218	125	522	493
5	धिरगाँव	103	48	118	104	85	134	306	286
6	गुरसरौथ	262	231	156	93	143	99	561	423
7	झाँसी नगर क्षेत्र	146	291	88	139	133	165	367	595
8	मऊरानीपुर	170	136	53	36	56	98	279	270
9	मऊ नगर क्षेत्र	2	2	1	2	63	79	66	83
10	मौठ	271	233	215	244	104	239	590	716
	योग	1636	1640	1131	1118	1319	1462	4086	4220

घरेलू कार्यों के कारण स्कूल न जाने वाले बच्चों का विवरण सर्वे वर्ष 2003-04




सारणी-[6:5]

मजदूरी के कारण स्कूल न जा पाने वाले बच्चों का विवरण

सर्वे वर्ष:-2003-04

स.क्र.	विकासखंड का नाम	5-6वर्ष आयु		7-10 वर्ष आयु		11-14 वर्ष आयु		कुल	
		बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ
1	बबीना	23	27	70	63	58	24	151	114
2	बानीर	2	0	0	0	18	0	20	0
3	बंगरा	12	10	3	4	17	6	32	20
4	बड़गाँव	58	39	17	7	86	121	161	167
5	चिरगाँव	10	12	6	1	21	1	37	14
6	गुरसरोँध	7	4	16	6	30	9	53	19
7	झाँसी नगर क्षेत्र	30	17	17	6	101	44	148	67
8	मऊरानीपुर	0	0	0	0	4	0	4	0
9	मऊ नगर क्षेत्र	2	2	2	1	13	11	17	14
10	मौठ	0	0	8	7	49	10	57	17
	योग	144	111	139	95	397	226	680	432

मजदूरी के कारण स्कूल न जा पाने वाले बच्चों का विवरण




सारणी-[6:6]

छोटे भाई-बहिनो की देखभाल के कारण स्कूल न जाने वाले बच्चों का विवरण
सर्वे वर्ष:-2003-04

स.क्र.	विकासखंड का नाम	5-6वर्ष आयु		7-10 वर्ष आयु		11-14 वर्ष आयु		कुल	
		बालक	बालिकार्ये	बालक	बालिकार्ये	बालक	बालिकार्ये	बालक	बालिकार्ये
1	बबीना	102	72	80	104	16	77	198	253
2	बाजौर	34	46	26	115	16	37	76	198
3	बंगारा	140	151	73	167	56	104	269	422
4	बड़ागाँव	154	152	70	114	33	90	257	356
5	चिरगाँव	125	96	62	69	20	38	207	203
6	गुरसरौय	114	104	80	81	52	63	246	248
7	झौंसी नगर क्षेत्र	112	289	28	115	32	184	172	588
8	मऊयानीपुर	75	100	15	16	9	47	99	163
9	मऊ नगर क्षेत्र	2	2	2	4	72	34	76	40
10	मौठ	331	71	9	22	27	37	367	130
	योग	1189	1083	445	807	333	711	1967	2601


छोटे भाई-बहिनों की देखभाल के कारण स्कूल न जाने वाले बच्चों का विवरण सर्वे वर्ष 2003-04

5-6वर्ष आयु बालक




- बबीना
- बागौर
- बंगारा
- बड़ागाँव
- चिरगाँव
- गुरसरोँय
- झॉंसी नगर क्षेत्र
- मऊ नगर क्षेत्र
- मौँठ

7-10 वर्ष आयु बालक



- बबीना
- बागौर
- बंगारा
- बड़ागाँव
- चिरगाँव
- गुरसरोँय
- झॉंसी नगर क्षेत्र
- मऊ नगर क्षेत्र
- मौँठ

11-14 वर्ष आयु बालक



- बबीना
- बागौर
- बंगारा
- बड़ागाँव
- चिरगाँव
- गुरसरोँय
- झॉंसी नगर क्षेत्र
- मऊ नगर क्षेत्र
- मौँठ

सारणी-[6:7]


विद्यालय दूर होने के कारण स्कूल न जा पाने वाले बच्चों का विवरण

सर्वे वर्ष:-2003-04


स.क्र.	विकासखंड का नाम	5-6वर्ष आयु		7-10 वर्ष आयु		11-14 वर्ष आयु		कुल	
		बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ
1	बबीना	44	46	17	31	24	53	85	130
2	बामौर	13	10	2	0	0	0	15	10
3	बंगरा	31	17	35	63	11	25	77	105
4	बड़गाँव	83	60	64	42	20	45	167	147
5	चिरगाँव	6	7	0	0	8	18	14	25
6	गुरसरौंय	18	18	0	14	4	8	22	40
7	झौंसी नगर क्षेत्र	116	91	8	10	10	8	134	109
8	मऊरानीपुर	13	12	7	1	14	31	34	44
9	मऊ नगर क्षेत्र	3	4	2	4	41	17	46	25
10	मौठ	0	0	0	0	0	37	0	37
	योग	327	265	135	165	132	242	594	672

विद्यालय दूर होने के कारण स्कूल न जा पाने वाले बच्चों का विवरण


5-6 वर्ष आयु बालक




7-10 वर्ष आयु बालक



11-14 वर्ष आयु बालक



11-14 वर्ष आयु बालक



सारणी-[6:8]


अन्य कारणों से स्कूल न जा पाने वाले बच्चों का विवरण

सर्वे वर्ष:-2003-04

स.क्र.	विकासखंड का नाम	5-6वर्ष आयु		7-10 वर्ष आयु		11-14 वर्ष आयु		कुल	
		बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ
1	बबीना	415	368	448	494	224	310	1087	1172
2	बामौर	297	267	65	41	83	96	445	404
3	बंगरा	563	548	69	138	43	58	675	744
4	बढ़ागाँव	485	378	79	100	80	88	644	566
5	चिटागाँव	913	855	243	1042	545	807	1701	2704
6	गुरसरॉय	142	144	97	112	96	130	335	386
7	झौंसी नगर क्षेत्र	269	124	52	49	123	28	444	201
8	मऊरानीपुर	421	354	305	269	209	182	935	805
9	मऊ नगर क्षेत्र	5	6	6	8	8	6	19	20
10	मौठ	408	483	178	111	167	202	753	796
	योग	3918	3527	1542	2364	1578	1907	7038	7798

अव्य कारणां से स्कूल न जाने वाले बच्चों का विवरण सर्वे वर्ष 2003-04

बच्चों की संख्या



विकासखंडों का नाम


- 5-6 वर्ष आयु बालिकाएँ
- 7-10 वर्ष आयु बालिकाएँ
- 5-6 वर्ष आयु बालक
- 7-10 वर्ष आयु बालक
- 11-14 वर्ष आयु बालिकाएँ
- 11-14 वर्ष आयु बालक

सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों के आधार पर बच्चों के स्कूल न जा पाने के कारण और उनका प्रतिशत सारणी {6.9} में दिए गए हैं-

सारणी-{6:9}

बच्चों के स्कूल न जा पाने के कारण

क्रमांक	कारण	संख्या	प्रतिशत
1	पढ़ने में मन न लगना	47	23.5
2	घरेलू कार्य करवाना	122	61
3	मजदूरी करवाना	43	21.5
4	स्कूलों में पढ़ाई न होना	8	4
5	अरुचिकर वातावरण	38	19



सारणी {6.9} एवं ग्राफ से स्पष्ट है कि 200 न्यादर्श अभिभावकों में से 122 अर्थात् 61 प्रतिशत अभिभावकों ने माना कि उनके बच्चे घरेलू कार्यों की वजह से विद्यालय नहीं जा पाते। 43 अभिभावक अर्थात् 21.5 प्रतिशत अभिभावक अपने बच्चों से दुकानों में काम या व्यवसाय करवाते हैं। 23.5 प्रतिशत ने स्पष्ट किया कि उनके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। 4 प्रतिशत


अभिभावकों का कहना था कि विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती और 19 प्रतिशत अभिभावकों की शिकायत थी कि स्कूल में पानी, शौचालय, टाट फट्टी जैसी सुविधाओं का अभाव था। बालिकाएँ खासकर इन्हीं कारणों से प्रतिदिन विद्यालय नहीं आती थीं।

यहाँ एक तथ्य स्पष्ट कर देना उचित होगा कि अभिभावकों ने इस प्रश्न के उत्तर में 'कि आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता', के उत्तर में एक से अधिक दो विकल्पों को भी चुना है।

सारणी-[6:10]

विद्यालय में बच्चों की पसंद

क्रमांक	मद	संख्या	प्रतिशत
1	मध्यान्ह भोजन	122	61
2	शिक्षकों का व्यवहार/व्यक्तित्व	38	19
3	पढ़ना	40	20
4	खेल और अन्य गतिविधियाँ	58	29



200 न्यादर्श अभिभावकों में से अधिकाँश 61 प्रतिशत ने यह माना कि मध्याह्न भोजन वितरण उनके बच्चों को विद्यालयों में आकर्षित करता है। जबकि इन सभी का लगभग मानना है कि अधिकाँश दिनों में किन्ही न किन्हीं कारणों से मध्याह्न भोजन वितरण में अवरोध होता रहता है। 19 प्रतिशत अभिभावकों का कहना था कि विद्यालयों में बच्चों के प्रतिदिन जाने में शिक्षकों का व्यवहार और व्यक्तित्व प्रेरणादायक रहा।

परिवार सर्वेक्षण के अनुसार 30088 बच्चे विभिन्न कारणों से विद्यालय नहीं जा रहे थे। मई 2003 में किए गए हाउसहोल्ड सर्वे के अनुसार घरेलू कार्यों में लगे 8306 बच्चे, मजदूरी में लगे 1112 बच्चे, भाई-बहिनों की देखभाल में लगे 4568 बच्चे, घर से विद्यालय दूर होने के कारण 1266 बच्चे एवं अन्य कारणों से 14836 बच्चे स्कूल जाने से वंचित थे। जैसा कि सारणी {6.11} से स्पष्ट है-


सारणी-{6:11}
स्कूल न जाने का कारण संबंधी विवरण¹

स. क्र.	कारण	बालक	बालिकार्ये	योग
1	घरेलू कार्य	4086	4220	8306
2	मजदूरी	680	432	1112
3	भाई-बहिनों की देखभाल	1967	2601	4568
4	विद्यालय का दूर होना	594	672	1266
5	अन्य कारण	7038	7798	14836
	योग	14365	15723	30088

¹सर्वशिक्षा अभियान जनपद झॉंसी; पर्सपेक्टिव प्लान 2002-2007


सारणी-[6:11]
स्कूल न जाने का कारण संबंधी विवरण

स.क्र.	कारण	बालक	बालिकाएँ	योग
1	घरेलू कार्य	4086	4220	8306
2	मजदूरी	680	432	1112
3	भाई-बहिनों की देखभाल	1967	2601	4568
4	विद्यालय का दूर होना	594	672	1266
5	अन्य कारण	7038	7798	14836
	योग	14365	15723	30088




स्कूल न जाने का कारण संबंधी विवरण

बालक



- घरेलू कार्य
- भाई-बहिनों की देखभाल
- अन्य कारण
- भाजदूरी
- विद्यालय का दूर होना

बालिकायें



- घरेलू कार्य
- भाई-बहिनों की देखभाल
- अन्य कारण
- भाजदूरी
- विद्यालय का दूर होना

इन बच्चों को विद्यालय में जाने हेतु निम्न रणनीति अपनाई गई। स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत उपर्युक्त 30088 बच्चों में से 21093 बच्चों का नामांकन विद्यालयों में कराया गया। इनमें 15889 बच्चे 6-11 वर्ष के थे। 5204 बच्चे 11-14 वर्ष के थे। शेष 8995 बच्चों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जाने का प्रावधान किया गया:-

1. **घरेलू कार्य में लगे बच्चे:-** इन बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु ब्रिज कोर्स तथा समर कैंप चलाए जाने थे। ये कोर्स इन बच्चों के घरों के पास, इनकी सुविधा के अनुसार चलाए जाने थे। वर्ष 2003 से वर्ष 2007 तक की कार्य योजना का विवरण सारणी {6.12} में उपलब्ध है-

सारणी-{6:12}

घरेलू कार्य में लगे बच्चों हेतु शिक्षा व्यवस्था

कार्यक्रम/ कोर्स	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
ब्रिज कोर्स एन. पी.आर.सी. स्तर	51	3060	65	3900	65	3900	65	3900
विद्यालय केन्द्र/ वैकल्पिक केन्द्र	60	2400	75	3000	75	3000	75	3000

2. **मजदूरी करना:-** कुछ बच्चे मजदूरी करने के कारण विद्यालय नहीं आ पाते। यह समस्या 11-14 वर्ष के बच्चों की है। इन बच्चों की शिक्षा के लिए ए. आई. ई. खोले जाने थे। इसके लिए निम्न कार्यक्रम बनाया गया:-

सारणी-{6:13}

मजदूरी में लगे बच्चों हेतु शिक्षा व्यवस्था

कार्यक्रम/ कोर्स	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
ए. आई. ई.	48	1920	48	1920	48	1920	48	1920
आवासीय ब्रिज कोर्स	3	180	3	180	3	180	3	180

3. **भाई-बहिनों की देखभाल करना:-** छोटे भाई-बहिनों की देखभाल करने के कारण जनपद में कुल 4568 बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ई. सी. सी. ई. केन्द्रों पर समर कैंप की व्यवस्था की जानी थी। इन समर कैंपों का व्यौरा सारणी {6.14} में दिया गया है-

सारणी-{6:14}

भाई-बहिनों की देखभाल में लगे बच्चों हेतु शिक्षा व्यवस्था

कार्यक्रम/ कोर्स	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
ई. सी. सी. ई.	100	4000	100	4000	200	8000	200	8000
समर कैंप	40	1600	40	1600	40	1600	40	1600

4. **विद्यालय का दूर होना:-** ऐसी बस्तियाँ जहाँ मानक के अनुसार विद्यालय नहीं खोला जा सकता वहाँ ई. जी. एस. और ए. आई. ई. ई. खोले जाने का कार्यक्रम बनाया गया।

5. अन्य कारण:- उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त गरीबी, धार्मिक कारण, रुढ़िवादिता के कारण कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनके लिए 'स्कूल चलो अभियान' एवं जनजागरण अभियान चलाया जाना था। मुस्लिम बालिकाओं के लिए जनपद में 10 मकतब मदरसों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया था। अनुसूचित जाति/ जनजाति के बालक बालिकाओं एवं गरीब बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाएगी, बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। ग्राम शिक्षा समितियों की अधिक सहभागिता के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। बालिकाओं के शत-प्रतिशत नामांकन हेतु एम. टी. ए. / पी. टी. ए. का गठन एवं मीना मंच का गठन किया जाएगा। ये सभी कार्यक्रम बच्चों को शिक्षा और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु बनाए गए हैं।

समस्याएँ एवं रणनीतियाँ

सर्वशिक्षा अभियान से आच्छादित होने के बाद जनपद झॉंसी में प्राथमिक स्तर पर व्याप्त शैक्षिक समस्याओं का विधिवत अध्ययन किया गया। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति, क्षेत्र शिक्षा समिति व जनपद के विभिन्न स्तर पर फोकस ग्रुप विचार विमर्श किया गया। व्यावहारिक रूप में इन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए इनके सुधार से संबंधित अनेक रणनीतियाँ भी तैयार की गईं। वर्तमान परिवेश में उपलब्ध संसाधनों को शैक्षिक प्रक्रिया का माध्यम बनाकर शिक्षा को और अधिक सरल व समझने योग्य बनाने का अमूल्य प्रयास किया गया। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विद्यालयों का सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु अभूतपूर्व प्रयास किये गये। इसके अतिरिक्त वे बच्चे जो कई कारणवश स्कूल में नहीं आ पाते या फिर वे बच्चे जो नियमित रूप से स्कूल पर अपनी उपस्थिति नहीं दे पाते, उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। यह हम साक्षरता से संबंधित विभिन्न समस्याओं, उनके समाधान हेतु किये गये प्रयास और संभावित उपायों की विशद् विवेचना करेंगे:-

समस्याएँ व समाधान

- ❖ शिक्षा की पहुँच
- ❖ नामांकन संबंधी समस्याएँ
- ❖ ठहराव संबंधी समस्याएँ
- ❖ गुणवत्ता संबर्द्धन समस्याएँ
- ❖ संस्थागत क्षमताओं संबंधी समस्याएँ
- ❖ शिक्षा की पहुँच:-

1. आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन:- भारत एक धार्मिक प्रवृत्ति वाला देश रहा है, अतः विकास के क्षेत्र में मुख्य रूप से सामाजिक परिवेश आड़े आया है। गरीबी, शिक्षा के क्षेत्र में

बहुत बड़ी बाधा रही है। प्रायः धन का अभाव एवं अभिभावकों की पुरानी सोच हर जगह शिक्षा की पहुँच को स्थान नहीं दे पायी। व्यावहारिक रूप में इन समस्याओं से निपटने के लिए अभिभावकों की सोच में बदलाव एक आवश्यक कदम है। अतः नेहरू युवा केन्द्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, ग्राम शिक्षा समितियों की सहभागिता एवं अन्य जागरूक व्यक्तियों के सहयोग से अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है।

2. असेवित एवं मलिन बस्तियों में विद्यालय सुविधा का न होना:-

वर्तमान समय में प्रायः अध्यापक शहरी वातावरण से आकर्षित होकर केवल उन्हीं जगहों पर अध्यापन कार्य करने को प्रधानता देते हैं जहाँ आसपास का वातावरण स्वच्छ होता है। अतः वे बच्चे जो असेवित एवं मलिन बस्तियों में रहते हैं वे स्कूली शिक्षा से बहुत दूर होते हैं। इस समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से नगर क्षेत्र में द्विपाली योजना एवं किराये के भवनों में चलने वाले विद्यालयों को, जहाँ छात्र संख्या कम है इसे असेवित एवं मलिन बस्तियों में स्थानांतरित कर पुनः स्थापित किया जाये।

3. शिक्षा की उपादेयता स्पष्ट नहीं है:- प्रायः शिक्षा को व्यावसायीकरण से जोड़ा जा रहा है। जिससे उसकी उपादेयता पर संदेह किया जा रहा है अर्थात् उसकी उपादेयता स्पष्ट नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य मात्र रोजगार दिलाना नहीं अपितु व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करके उसे आत्म निर्भर बनाना है। व्यक्ति में ऐसी क्षमताओं का विकास करना है जिससे वह अपनी कुशलताओं का प्रयोग करके आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके।

4. भौगोलिक कठिनाई जैसे नदी, नाले, पहाड़ आदि के कारण

शिक्षा में अवरोध:- भौगोलिक कठिनाइयाँ मुख्य रूप से शिक्षा की पहुँच में सबसे बड़ी बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। कई

जगहों पर गहरी नदियाँ एवं पहाड़ों के कारण अध्यापक वहाँ अध्यापन कार्य करने में आपत्ति दिखाते हैं। इसलिए भौगोलिक कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार शिक्षा गारंटी योजना व वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा केन्द्रों को खोला जावे व कालान्तर में मुख्य धारा से जोड़ा जावे।

❖ नामांकन संबंधी समस्याएँ:-

1. विद्यालय में भौतिक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता छात्रों के नामांकन को विशेष रूप से प्रभावित करती है। इन साधनों के अभाव में छात्रों का नामांकन प्रतिशत विशेष महत्व रखता है। कक्षों का स्वच्छ एवं उचित वातावरण बच्चों एवं अभिभावकों को आकर्षित करता है। जिससे वे अपने ज्यादा से ज्यादा बच्चों का प्रवेश कराते हैं। जिन विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, चाहरदिवारी की कमी है, भवन नहीं हैं वहाँ इनका निर्माण कराया जाना चाहिए।
2. भारत एक ग्राम प्रधान देश होने के कारण यहाँ के अधिकतर लोग पारंपरिक ढंग से केवल एक ही काम और एक ही जगह रहना पसंद करते हैं जिससे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी उनके इसी सिद्धान्त का अनुसरण कर अपने घरेलू कार्यों में ही व्यस्त रहती है। उपरोक्त समस्या को सुलझाने के लिए अभिभावकों तथा ग्रामीण जनों में जागरूकता लाते हुए बच्चों से घरेलू कार्य न कराये जाने तथा विद्यालय में प्रवेश कराने हेतु वातावरण का सृजन किया जाना चाहिए।
3. प्रायः शिक्षा को लेकर व्यक्तियों के मन में शिक्षा के प्रति एक सी सोच तूल पकड़ गयी है। वे शिक्षा ग्रहण करने का एक मात्र उद्देश्य केवल रोजगार पाने को ही मानते हैं। वे अपने बच्चों को नौकरी मिलने की आशा से ही शिक्षा ग्रहण करवाते हैं। शिक्षा के प्रति लोगों की इस धारणा को बदलना होगा। उनके अन्दर ये सोच विकसित करनी होगी कि शिक्षा

व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करके उसे जीविका अर्जित करने के योग्य बनाती है।

❖ ठहराव संबंधी समस्याएँ:-

1. सामाजिक रुढ़ियाँ तथा अभिभावकों की उदासीनता शैक्षिक प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधक है। लोगों की अज्ञानता एवं अंधविश्वास स्कूलों में बच्चों के नामांकन प्रतिशत को गिराते हैं। कुशल शिक्षण एवं व्यवहार के द्वारा लोगों की उक्त मानसिकता को बदलकर स्कूल में बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करना होगा।
2. प्रायः सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की अपेक्षा विद्यालय का वातावरण आकर्षक नहीं होता है। इन स्कूलों में भौतिक साधनों की उपलब्धता का अभाव होता है। बच्चों के लिए ज्ञानोपयोगी सामग्री की कमी होती है। उपरोक्त समस्याओं को दूर करने के लिए विद्यालय की रंगाई, पुताई तथा बागवानी, साज-सज्जा से सज्जित करते हुए आकर्षक बनाया जाना चाहिए। बच्चों के लिए सहायक शिक्षण सामग्री बच्चों की सहायता से तैयार की जानी चाहिए जो पाठ के अनुरूप हो। जब बच्चों में यह भावना जाग्रत होगी तो ड्राप आउट की समस्या स्वतः ही एक हो जायेगी जिससे हम शत-प्रतिशत बच्चों के स्कूल में ठहराव की समस्या को दूर कर सकेंगे।
3. अधिकाँश सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए पीने का पानी एवं शौचालय के अभाव की समस्या देखी जा रही है। पेयजल के अभाव में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति का स्तर गिरा हुआ है। शौचालय की सुविधा प्रदान करते हुए विद्यालयों में बालक बालिकाओं के ठहराव को बढ़ाया जा सकता है।
4. स्कूलों में केवल विषय पाठ्यक्रम में विशेषज्ञ होने के अलावा अध्यापक का अन्य विषयों एवं कलाओं में दक्ष होना भी

अत्यंत आवश्यक है। प्रायः देखा गया है कि शिक्षकों में अपने कार्य के प्रति प्रेरणा एवं कौशल का अभाव होता है। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण के द्वारा कर्तव्य की प्रेरणा दी जानी चाहिए।

❖ गुणवत्ता संबर्द्धन समस्यायें:-

1. नवीन पाठ्यक्रमानुसार शिक्षकों के ज्ञान में कमी:- समय समय पर आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में हुए परिवर्तन के कारण भी शिक्षकों को अपने नियमित अध्यापन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सही प्रशिक्षण के अभाव में वे अपने विषय को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं। अतः शिक्षकों के ज्ञान को आधुनिक बनाने हेतु भाषा, गणित तथा विज्ञान विषयों में प्राथमिक स्तर पर तथा गणित, अंग्रेजी, संस्कृत तथा विज्ञान विषयों में उच्च प्राथमिक स्तर पर सेवारत प्रशिक्षण प्रतिवर्ष दिया जाना चाहिए।
2. विद्यालय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षण प्रशिक्षण का अभाव:- कहीं-कहीं यह देखने में आया है कि विद्यालयी वातावरण अध्यापकों के अनुरूप नहीं होता इसलिए वे अपना अध्यापन कार्य सुचारु रूप से नहीं कर पाते। कई जगहों में सामाजिक रीति-रिवाजों की विभिन्नता भी शैक्षिक कार्यों में बाधा डालती है। अतः अध्यापकों के उचित शिक्षण को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों में सामाजिक रीति-रिवाज एवं उनके अनुरूप ढालने की क्षमता का विकास एस.ओ.पी.टी. प्रशिक्षण के माध्यम से कराया जाना चाहिए।
3. निरीक्षण कर्ता अधिकारियों का प्रशिक्षण:- विद्यालय में होने वाली शैक्षिक गतिविधियों का समय-समय पर निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण कर्ता भेजे जाते हैं। जो अपनी संतुष्टि के आधार पर विद्यालयी कार्यवाही की सही-सही पुष्टि कर पाते हैं। परंतु सही प्रशिक्षण के अभाव में वे अपने उक्त कार्य

को ठीक ढंग से नहीं कर पाते जिससे विद्यालयी गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं। इसलिए शिक्षकों को गुणवत्ता संवर्धन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने की दृष्टि से निरीक्षकों को नवीन पाठ्यक्रमों की जानकारी, सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य को प्राप्त कराने के उपायों के क्रियान्वयन के विषय में एस.ओ. पी.टी. प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

4. अध्यापकों का छात्रानुपात मानक के अनुरूप न होना:-

शैक्षिक परिपेक्ष्य में 40:1 के मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है। परंतु विद्यालयों में प्रायः यह देखा गया है कि विषय के अनुरूप अध्यापकों की कमी है या फिर कहीं-कहीं छात्रों की संख्या अधिक और अध्यापकों की गिनती कम है जिसके कारण पठन-पाठन में गुणवत्ता का ह्रास देखा गया है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में विषय अध्यापकों की कमी के फलस्वरूप गणित, अंग्रेजी, तथा विज्ञान संस्कृत / उर्दू की शिक्षा में व्यवधान हो रहा है। विशेषकर बालिकाओं के विद्यालय में गृह विज्ञान की अध्यापिकाओं का अभाव है। उक्त समस्या के समाधान के लिए अध्यापकों की विषय के अनुरूप नियुक्ति करना अनिवार्य है एवं बालिकाओं के लिए महिला अध्यापकों को रखा जाना चाहिए।

5. अध्यापकों का गैर शैक्षिक कार्यों में व्यस्त होना:- शैक्षिक कार्यों में व्यस्तता के अलावा अध्यापकों को प्राथमिक स्तर से लेकर विकासखंड स्तर पर विभिन्न प्रकार की सूचनायें संकलित करने, भवन निर्माण, पोषाहार वितरण तथा अन्य गैर विभागीय कार्यों के निस्तारण से संबंधित गैर शैक्षिक कार्यों को भी करना पड़ता है जिससे वे अपना पूरा समय शिक्षण कार्य में नहीं लगा पाते। अतः उनका पूरा समय शिक्षण तथा छात्रों के हितों में व्यतीत हो ऐसा क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए तथा समय प्रबंधन की क्षमता विकसित करनी चाहिए।

6. सतत मूल्यांकन का अभाव:- संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में कोटि परक शिक्षा के लिए सतत मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण चुनौती अथवा कदम है। सही मूल्यांकन के अभाव में शत प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोटि परक शिक्षा के लिए सतत एवं प्रभावी मूल्यांकन, अतिमहत्वपूर्ण मूल्यांकन के पश्चात् कमजोर बालक व बालिकाओं के अभिभावकों से संपर्क कर निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे बच्चों का विद्यालय में ठहराव बड़ेगा।

❖ संस्थागत क्षमताओं संबंधी समस्याएँ:-

1. न्याय पंचायत एवं ब्लॉक संसाधन केन्द्र पर विद्यालयों के पर्यवेक्षण हेतु एन.पी.आर.सी. / बी.आर.सी. को क्षमतावान बनाया जाएगा ताकि विद्यालयों को शैक्षिक कार्यों में सहायता मिल सके।
2. डाइट में कक्षा कक्ष परिस्थितियों के अनुरूप प्रशिक्षण न दिया जाना:- प्रायः डाइट में केवल विषयगत अध्ययन कराया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को केवल उनके विषय के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें विद्यालयी वातावरण से अवगत नहीं कराया जाता। अतः डाइट में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे शिक्षकों को स्थानीय परिस्थितियों तथा कक्षा कक्ष की स्थितियों के अनुरूप भी प्रशिक्षित करें।
3. शोध कार्य की कमी:- वास्तविकता तो यह है कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्याओं तथा विभिन्न क्रिया कलापों के क्रियान्वयन संबंधी विचारों को गंभीरता से नहीं लिया जाता अर्थात् शोध कार्यों का गहन अध्ययन करके प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग कार्यक्रमों के संचालन में किया जाना चाहिए।

सप्तम अध्याय

निष्कर्ष और सुझाव

शिक्षा समाज का दर्पण है। और इस नाते समाज की आशाओं आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करना शिक्षा का कर्तव्य ही नहीं अनिवार्यता भी हो जाती है। इस परिपेक्ष्य में शिक्षा का 'बहुजन हिताय' स्वरूप प्रधान होकर गरीब तथा वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता दिखाई देता है। इस सर्वहारा वर्ग के अधिकतर बालक-बालिकायें आर्थिक, सामाजिक या पारिवारिक कारणों से शिक्षा के निम्न स्तरों पर ही विद्यालय त्यागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे छात्र-छात्रायें कार्यजगत में स्थान बनाने के प्रयास में अक्सर जीवनभर अकुशल कारीगर के रूप में ही कार्य करते रह जाते हैं। अलग-अलग व्यवसाय क्षेत्रों में संलग्न बालक-बालिकाओं के इस समूह को कुशलता प्रदान कर स्वावलम्बी बनाने के लिए वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में कोई सार्थक प्रावधान नहीं है। आजादी के बाद भारत में स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था का यह दायित्व बनता है कि इस आभागे वर्ग को यथोचित ज्ञान कौशल उनके ही व्यवसाय में, उनकी ही समय सीमा में, उनके ही कार्यस्थल पर उपलब्ध कराया जाय ताकि उनके कौशल को परिष्कृत कर, उसमें विविधता लाकर, उनकी आय वृद्धि, आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी तथा कार्यक्षेत्र में बेहतर समायोजन सुनिश्चित किया जा सके।

शिक्षा का क्रमिक इतिहास इस बात का साक्षी है कि विश्व के लगभग सभी देशों में नीति निर्धारकों और शैक्षिक आयोजकों ने समय-समय पर शिक्षा व्यवस्था को क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए उसमें ऐसे फेरबदल करने की चेष्टा की है कि उसकी विषय वस्तु समसामयिक, सामाजिक एवं आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप हों, रोजगार जगत् की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुकूल हो, साथ ही वंचित वर्ग के उत्थान में भी सहायक हो।

सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में शिक्षा प्रणाली द्वारा प्रदत्त पुस्तकीय और आधुनिक तकनीकी ज्ञान तथा समाज में लगातार होने वाली जनसंख्या वृद्धि के मिले-जुले प्रभाव से कुशल जनशक्ति की

माँग एवं पूर्ति के बीच एक ऐसी बेमेल स्थिति पैदा हो गई है, जिसने संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र को झकझोरकर रख दिया है।

भूमंडलीकरण और मुक्त अर्थव्यवस्था के इस दौर में सर्वसाधारण के लिए शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, जो न केवल व्यक्तिगत संभावनाओं और छिपी प्रतिभाओं को उजागर करे अपितु उसकी विषयवस्तु तथा प्रक्रिया समसामयिक कार्यजगत की आवश्यकताओं के प्रति भी संवेदनशील हो। केवल वही शिक्षा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले छात्र-छात्राओं के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है, जो जीवन और जीविका दोनों के प्रति प्रासंगिक हो। छात्र-छात्राओं की वर्तमान पीढ़ी विद्यालय की चारदीवारी को पार कर एक ऐसे समाज से उन्मुख होगी जो उन्मुक्त सामाजिक संबंधों, आर्थिक उदारीकरण, बदलते राजनीतिक समीकरणों, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय अनिवार्यताओं के कारण पूर्णतया रूपांतरित हो चुका होगा। गरीब और वंचित वर्ग के सामान्य छात्र इन अवसरों का लाभ तभी उठा सकते हैं जब समुचित शिक्षण, प्रशिक्षण द्वारा उनकी नियोजनीयता बढ़ायी जाए, उनमें रोजगार संबंधी ऐसे आधारभूत कौशलों का विकास किया जाए, जिनका प्रयोग कर वेतनभोगी रोजगार या स्वरोजगार में अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं के बल पर लाभ पूर्वक समायोजित हो सकें।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में शिक्षा से संबंधित अनेक आयोगों, समितियों तथा नीतिगत प्रतिपादनों के फलस्वरूप शिक्षा प्रक्रिया को व्यावहारिक, प्रासंगिक तथा विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने में कुछ महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। तथापि यत्र-तत्र परिलक्षित कतिपय सफलताओं को छोड़कर सामान्यतया वर्तमान शिक्षा प्रणाली आज भी औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त है। बच्चे आमतौर पर कक्षाओं में परोक्ष श्रोताओं के रूप में पुस्तकीय ज्ञान अर्जित करते हैं। पठन-पाठन की प्रक्रिया इकतरफा है और वह भी सत्तावादी वातावरण में सम्पन्न होती है। इसमें सक्रिय सहभागिता, आपसी सहयोग या क्रियाशील

तत्परता के स्थान पर श्रुति और स्मृति का बोलबाला है। इस परिपेक्ष्य में छात्रों द्वारा कार्य नियोजन, उच्चस्तरीय चिंतन, नवाचार तथा क्रियात्मक गतिविधियों का नितांत अभाव है। शिक्षा द्वारा छात्रों में ऐसी योग्यताओं का विकास किया जाना चाहिए, जिनके द्वारा वे भावी जीवन में विषम अप्रत्याशित या अनपेक्षित परिस्थितियों का मुकाबला सफलता पूर्वक कर सकें। इसके अलावा शिक्षा द्वारा ऐसा प्रशिक्षण अपेक्षित है जो छात्रों में अभिनवन की क्षमता, समायोजन की मानसिकता तथा उद्यमिता के गुणों का विकास कर उन्हें स्वरोजगार और स्वाध्याय की ओर प्रेरित कर सकें।

भारत एक अरब लोगों का देश है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने जिस तरह के कदम उठाये हैं, उनके परिणाम प्रभावकारी रहे हैं, तथापि समस्या के स्वरूप को देखते हुए ये उपाय बौने साबित हुए हैं। भारत सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करके सही दिशा में कदम उठाया है। यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी क्षमताओं के पूर्ण विकास के लिए समान अवसर का अधिकार प्राप्त हो।

जनपद झाँसी में जहाँ तक शिक्षा के परिदृश्य का सवाल है, उसका विस्तृत विवरण तृतीय अध्याय में उपलब्ध है। सार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जनपद में वर्ष 2000 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तृतीय संचालित है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल साक्षरता दर 66.69 प्रतिशत थी। जनपद में वर्ष 2000 से प्रतिवर्ष शत-प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य प्राप्त है। DPEP के संचालन के पूर्व बच्चों की शाला त्याग की दर 27.8 प्रतिशत थी। कार्यक्रम लागू होने के बाद शाला त्याग की दर में 5.6 प्रतिशत की कमी आयी है। जनपद विगत चार वर्षों से सूखे से प्रभावित है, गाँवों में पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। भूगर्भ जलस्तर अत्याधिक गिर गया है। खाद्यान्न उत्पादन में भारी कमी आयी है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीणों के पलायन

को रोकने में नाकामयाब है। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों के बच्चों की शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई है। विद्यालयों में छात्रों की अनुपस्थिति का एक प्रमुख कारण यह भी है।

वर्ष 2000 में जनपद की साक्षरता दर (66.69) उ.प्र. की साक्षरता दर (64.47) से अधिक थी। उ.प्र. राज्य के कानपुर(77.63), इटावा(70.75), गाजियाबाद(70.89) और लखनऊ (69.39) की साक्षरता दर के बाद पाँचवा जनपद झाँसी ही है। जनपद में चिरगाँव ब्लाक की साक्षरता दर जनपद में अन्य विकासखंडों की तुलना में सर्वाधिक है।

यद्यपि जनपद में साक्षरता का स्तर राज्य के कई जिलों से आगे है, फिर भी यह जनपद समाजार्थिक आधारों पर अत्याधिक पिछड़ा है। क्योंकि यहाँ की भौगोलिक संरचना काफी दुरुह है। कृषि उत्पादिता का स्तर अत्याधिक नीचा है। जीवन-यापन के साधनों का स्तर अत्याधिक निम्न है। ऐसी स्थिति में शिक्षा ही उनके रोजगार, स्वास्थ्य और अन्य संकटों का सामना करने में दिशा दे सकती है।

एक सबल राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी सरकार की ही है। शिक्षा को अनुत्पादक मद समझ कर सर्वहारा, वंचित और श्रमिक वर्ग के बच्चों की शिक्षा के प्रति सर्वथा उदासीन रहते हैं। उनका और उनके बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता। शारीरिक श्रम करके दो वक्त की रोटी की व्यवस्था करना ही जीवन का लक्ष्य होता है। वे बेचारे शिक्षा की बहुआयामी खूबियों से परिचित भी नहीं होते अतः बच्चों की शिक्षा पर धन और समय गँवाना व्यर्थ समझते हैं।

उनके इस अज्ञान का लाभ समाज का दबंग और शासक वर्ग उठाता है। ये वर्ग इनकी शिक्षा की व्यवस्था करना तो दूर, उनके रास्ते में अड़चनें ही पैदा करते हैं। क्योंकि यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकार जान जाता है। और अपने हित से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर उच्च वर्ग के शोषण से मुक्त हो जाता है।

वैश्वीकरण के युग में यदि राष्ट्र के समस्त वर्गों का विकास नहीं होगा तो हम विकास की दौड़ में कहीं पीछे रह जायेंगे। अतः प्रजातांत्रिक सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक भी बच्चा अनपढ़ न रह जाए। 'सर्वशिक्षा अभियान' इस दिशा में प्रशंसनीय प्रयास है। किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में कभी-कभी राज्य सरकारें अपने क्रियाकलापों से अवरोध पैदा कर देती हैं, तो कभी-कभी स्थानीय स्तरों पर कार्यों का निस्तारण ठीक से नहीं होता है। स्थानीय प्रशासन को इस दिशा में चुस्त-दुरुस्त रखना अपनाना होगा। इस संदर्भ में कुछ बिन्दु विचारणीय हैं:-

- प्रतिदिन विद्यालयों का खुलना, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, मध्याह्न भोजन, शिक्षण सामग्री/पाठ्य सामग्री का उचित वितरण, विद्यालयों का उत्साहवर्द्धक वातावरण बनाने में स्थानीय प्रशासन को सक्रिय रहना होगा।
- बाल मजदूरी रोकने के लिए कड़े दंडात्मक उपायों को लागू करना होगा, जिससे कोई भी नियोक्ता और अभिभावक बच्चों का शोषण न कर सके, और बच्चों के विद्यालय जाने के मार्ग में कोई रुकावट न आये।

सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्य और कार्यालयी तथ्य दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि नामांकन के शत-प्रतिशत लक्ष्य तो प्राप्त हो जाते हैं, किन्तु बच्चों के मजदूरी करने या घरेलू कार्य करने के कारण विद्यालयों में वर्ष भर उनकी उपस्थिति न के बराबर ही होती है। ग्रामीण अंचलों में बच्चे या तो मध्याह्न भोजन बंटते समय उपस्थित होते हैं या छात्रवृत्ति अथवा पोषाक मिलने के समय। पठन-पाठन की प्रक्रिया बहुत कम ही चलती है।

- मध्याह्न भोजन योजना जिन उद्देश्यों को लेकर प्रारंभ की गयी थी वे उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सके। यह योजना अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के चंगुल में फँस गयी है। प्रधानाध्यापक और

अध्यापकों का अधिकाँश समय भोजन की व्यवस्था में निकल जाता है, जिससे पठन-पाठन भी प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त जनपद के विद्यालयों में औसतन 30 प्रतिशत छात्र ही उपस्थित रहते हैं। अतः उचित होगा कि पोषाहार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।

- विद्यालयों में बच्चों के शत-प्रतिशत नामांकन के बाद उनके शाला त्याग की दर में कमी लाने के लिए शिक्षकों को दायित्व सौंपा जाए। शिक्षकों की प्रबल संस्तुति पर ध्यान देकर प्रशासन के माध्यम से उन बच्चों को आर्थिक कानूनी या अन्य प्रकार की सहायता दी जाए जिससे कि ऐसे बच्चे बाल मजदूरी या गृह कार्यों को करने से पहले अपनी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा निर्बाध पूरी कर सकें।
- प्रायः यह देखा गया है कि बच्चों का बौद्धिक स्तर भिन्न-भिन्न होता है। निम्न बौद्धिक स्तर वाले बच्चे कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों की तुलना में पाठ्य पुस्तकों का बोझ उठाने में असमर्थ होते हैं। कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे जिज्ञासु और आधुनिकतम ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। प्रारंभ से ऐसे बच्चों को समान शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्योंकि यह व्यवस्था दोनों प्रकार के बच्चों के लिए ही नहीं वरन् राष्ट्र के लिए भी अहितकर है। जहाँ समान शिक्षा का स्तर तेज बुद्धि बच्चों को आगे बढ़ने से रोकता है तो निम्न बौद्धिक स्तर वाले बच्चों पर अधिक बोझ बढ़ाता है। अतः उचित होगा कि पाठ्य-पुस्तकों के आधार पर जो स्मृति परीक्षण या ज्ञान का परीक्षण किया जाता है, वह तो ठीक है, किन्तु इसके साथ ही सामान्य ज्ञान, तर्कशक्ति, गणित, भाषा ज्ञान, विज्ञान आदि विषयों से संबंधित परीक्षण करके प्रारंभ से ही छात्रों को दो वर्गों में बांट दिया जाए। पहले वर्ग के छात्रों को मात्र भाषा और साधारण गणित की शिक्षा दी जाए। द्वितीय वर्ग में छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जाए। इससे शिक्षा पर सरकार के व्यय में कटौती की जा सकेगी और हम सर्वशिक्षा

के उद्देश्य को भी पूरा कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त हम प्रखर बुद्धि वाले बालकों को आगे बढ़ाकर वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्र को सफल व्यापारी, व्यवसायी और उद्यमी उपलब्ध करा सकेंगे।

- कक्षा पाँच तक की अध्ययन सामग्री में बालमन को प्रभावित करने वाली और उन्हें विचारशील बनाने वाली सरस कथाओं को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। क्योंकि ऐसा साहित्य जीवन जीने की कला सिखाता है, नैतिक शिक्षा देता है और निर्णय क्षमता का विकास करता है।

आज मानव संकट में है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। यह सोचना कि समाज में दिनों-दिन नैतिकता का ह्रास हो रहा है, गलत नहीं है। क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया आदर्शों से मुक्त कर दी गयी है। जब मूल्योन्मुख शिक्षा की बात आती है तो हम मान बैठते हैं कि 'आदर्श शिक्षा' सामान्य शिक्षा प्रक्रिया से पृथक किए जाने योग्य विषय है। हम यह भूल जाते हैं कि शिक्षा का, सभी प्रकार की शिक्षा का कोई और कार्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसका एकमात्र विकल्प है अमानवीय होना। इन दोनों के बीच संवेदनशीलता का विकास मानवता की सर्वप्रमुख जरूरत है। इस प्रकार हमारा अध्ययन तभी महत्वपूर्ण है जब वह हमें मानवीय अनुभूतियों और मनोभावों के प्रति संवेदनशील बनाता हो।

- सर्वेक्षण से एक तथ्य साफ उभर कर सामने आया है कि शिक्षामित्र अधिक कुशलता पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इसका कारण यह है कि शिक्षामित्र स्थानीय निवासी होते हैं और ये अपने गांव के बच्चों से अधिक घुले- मिले होते हैं। साथ ही प्राथमिक कक्षा स्तर तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी शैक्षणिक योग्यता पर्याप्त भी होती है। साथ ही उन्हें अपने व्यवसाय से संतुष्टि भी होती है।

प्रायः देखने में आया है कि उच्च शिक्षा प्राप्त, शहरों में रहने वाले शिक्षक रोजगार प्राप्त करने हेतु शिक्षक पद पर

तो नियुक्त हो जाते हैं, किन्तु योग्यता अनुरूप व्यवसाय न होने के कारण इन्हें अपने कार्य में रुचि नहीं होती। शहरों से गांवों के विद्यालयों में ये शिक्षक प्रतिदिन और समय पर पहुँच ही नहीं पाते। फलतः ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित होता है।

इस अव्यवस्था को दूर करने में सख्त प्रशासनिक रवैया कारगर हो सकता है। महिला शिक्षकों की तैनाती मुख्य सड़क पर बसे हुए गांवों में ही हो, जहाँ आवागमन के साधन आसानी से उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय से 30 से 50 किमी. की अधिक दूरी पर अथवा दुर्गम इलाकों में तैनात शिक्षकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाए।

परिशिष्ट

- मानचित्र- विकासखंडवार
- प्रश्नावली
- जिला- प्राथमिक शिक्षा
रिपोर्ट कार्ड-झाँसी जनपद,
वर्ष 2004-05
- शब्द संक्षेप
- संदर्भ ग्रन्थ
- सारणी अनुक्रम


विकासखंड - गुरसराय, जनपद - झांसा

माप 0.75 से.मी. = 1 कि.मी.




विकासखंड- बंगरा जनपद- झांसी

क्र.	विवरण	संकेत
1	राज्य की सीमा	-----
2	तहसील की सीमा	-----
3	विकासखंड सीमा	~~~~~
4	विकासखंड मुख्यालय	⊙
5	गाँव की सीमा तथा मुख्यालय	⊙



विकासखंड-बबीना, जनपद-झांसी

माप - 1 से.मी. = 5 कि.मी.



क्रमांक	विवरण	संकेत
1	राज्य की सीमा	-----
2	तहसील की सीमा	-----
3	विकासखंड सीमा	~~~~~
4	विकासखंड मुख्यालय	⊙
5	गाँव की सीमा तथा मुख्यालय	⊙

प्रश्नावली/अनुसूची

1. नाम
2. पता
3. व्यवसाय
4. जाति
5. आपके कितने बच्चे हैं ?
 - अ. लड़कों की संख्या
 - ब. लड़कियों की संख्या
6. 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के बच्चे पढ़ रहे हैं अथवा नहीं ?
7. क्या बच्चों का विद्यालय में नाम लिखा है ?
8. यदि हाँ तो क्या वे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं ?
9. यदि नहीं तो क्यों ?
 1. पढ़ने में मन नहीं लगता
 2. शिक्षक से डर लगता है
 3. बच्चों से काम करवाते हैं
 4. स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती
10. कौन से शिक्षक अच्छी तरह पढ़ाते हैं:-
 - अ. महिला शिक्षक
 - ब. पुरुष शिक्षक
 - स. स्थायी शिक्षक
 - द. शिक्षामित्र शिक्षक
11. क्या आप शिक्षा को मात्र नौकरी प्राप्त करने का साधन मानते हैं ?
12. क्या आप शिक्षा के अन्य बहुत से लाभों से परिचित हैं। जैसे -
 1. सरकारी नीतियों और योजनाओं के विषय में जानकारी होना।
 2. बीमा, बैंक और कार्यालयी कार्यों को सम्पन्न कर पाना।
 3. स्व-रोजगार में सहायता।
 4. किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त करना और उसे दूसरों तक पहुंचाना।
 5. साफ सफाई व स्वास्थ्य के बारे में जानकारी
13. आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसन्द करेंगे या पब्लिक स्कूल में। पब्लिक स्कूल में तो क्यों ?

1. पढ़ाई का स्तर अच्छा होता है।
2. अध्यनेत्तर गतिविधियाँ सम्पन्न होती हैं।
3. साफ-सफाई, सुविधाओं की अधिकता।
4. वैश्वीकरण के युग में अंग्रेजी भाषा और सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान आवश्यक है।

14. आपके बच्चे के लिए विद्यालय में प्रमुख आकर्षण क्या है।

अ. मध्यान्ह भोजन

ब. खेलकूद

स. पढ़ाई-लिखाई

द. अध्यापकों का व्यक्तित्व और व्यवहार

15. आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं या नहीं ?

16. यदि नहीं तो क्यों ?

1. बेटियों को पराये घर जाना है।

2. अधिक पढ़ लिख जाने पर बराबर का वर ढूँढना कठिन कार्य है।

3. बेटियों से नौकरी नहीं करवानी है।

4. स्त्रियां पढ़ जाने पर अपने अधिकार जान जाती हैं और पुरुष प्रधान समाज के लिये चुनौती बन जाती है।

DISTRICT ELEMENTARY EDUCATION REPORT CARD : 2004-05

District **JHANSI** State **UTTAR PRADESH** Primary cycle **1-5** U. primary cycle **6-8**
 Data reported from No. of blocks/ taluqs **10** No. of CRC's **72** No. of villages **1,080** Number of schools **1,987**

Basic Data, 2001
 Total population (in 000's) **1745** % 0-6 Population **16.1** % Urban population **40.9** Sex ratio **871** Sex ratio 0-6 **866**
 Decadal growth rate **23.2** % SC Population **28.1** % ST Population **0.1** Overall literacy **65.5** Female literacy **50.2**

School category	Total schools*		Rural schools*		Total enrolment*		Rural enrolment*		Teachers*	
	Govt.	Private	Govt. rural	Pvt. rural	Govt.	Private	Govt. rural	Pvt. rural	Govt.	Private
Primary only	1,107	276	993	95	172,272	44,052	153,947	11,263	9,084	1,077
Primary with upper primary	8	96	3	43	2,885	27,048	718	11,238	41	524
Primary with upper primary & sec./higher sec.	2	3	0	1	3,206	904	0	259	20	22
Upper primary only	338	125	314	30	38,472	14,620	35,925	4,125	628	458
Upper primary with sec./higher secondary	3	5	3	4	1,300	2,556	1,300	2,062	9	19
No response in school category	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Performance Indicators	School category					Enrolment*					
	P. only	P + UP	P+sec/hs	U.P. only	UP+sec	Grade	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
% Single classroom schools	3.0	1.0	0.0	0.4	12.5	I	51,714	47,722	49,858	47,133	52,384
% Single teacher schools	9.9	1.0	0.0	18.4	0.0	II	41,907	44,508	44,037	47,633	49,948
% Schools with SCR > 60	40.8	25.0	20.0	12.1	50.0	III	40,789	36,076	43,814	44,715	48,609
% Schools with pre-primary sections	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	IV	38,249	34,038	35,140	41,610	44,246
% Schools with common toilets	67.0	95.2	100.0	70.4	100.0	V	33,087	31,869	32,697	34,881	41,177
% Schools with girls toilets	53.3	82.7	80.0	52.1	62.5	VI	#	14,009	18,382	20,121	26,731
% Schools with drinking water facility	88.9	96.2	0.0	81.0	87.5	VII	#	11,957	15,154	18,901	22,804
% Schools with Black Board	87.6	71.2	80.0	69.1	50.0	VIII	#	10,034	13,990	16,122	21,216
% Enrolment in Govt. schools	79.6	9.6	78.0	72.5	33.7	Total Pr.	205,746	196,215	206,546	215,972	236,564
% Enrolment in single teacher schools	5.8	3.0	0.0	8.1	0.0	Total U.P.	#	36,000	47,526	55,044	70,751
% No female teacher schools (tch=>2)	38.9	25.0	20.0	47.1	37.5	Transition rate					
% Enrolment in schools without buildings	1.2	0.0	0.0	1.7	0.0	Prim. to U. Prim	76.2				
% Enrolment in schools without blackboard	9.2	29.1	6.3	23.3	71.2	Primary Level		GER (Primary)	77.2	79.2	84.7

Enrolment of SC/ST	Primary schools			Upper Primary			Retention rate	GPI	Flow rates	Enrolment of children		
	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05				Grade	All Girls	With disability
% SC enrolment	35.5	35.6	35.2	37.7	37.2	36.4	77.7	0.89	I	24,520	104	69
% SC girls to SC enrolment	46.5	47.3	47.1	37.9	38.9	40.6			II	23,814	130	91
% ST enrolment	0.4	0	0	1.0	0.0	0			III	23,140	174	120
% ST girls to ST enrolment	39.1	55.6	0.0	46.6	0	44.4			IV	21,092	175	114

Indicators	School category					I	RR	D.O.R	P.R	Grade	All Girls	With disability	Boys	Girls
	P. only	P + UP	P+sec/hs	U.P. only	UP+sec									
% Girls	47.6	40.3	43.3	43.4	38.6	II	1.5			V	19,034	206	104	69
Pupil teacher ratio (PTR)	52	53	99	41	139	III	2.4	0.8	95.8	VI	11,413	79	43	43
Student classroom ratio (SCR)	53	43	47	31	77	IV	2.3	1.1	95.6	VII	9,577	71	44	44
% Schools with <=50 students	11.5	6.7	20.0	0.0	0.0	V	2.8	21.0	76.2	VIII	8,684	74	38	38
% Schools with PTR > 100	9.9	10.6	40.0	4.8	50.0	I-V	2.2	1.9	95.9	Total	141,274	1,013	623	623
% Female teachers	39.4	48.1	61.9	26.5	14.3	VI	0.8							
% Schools established since 1995	29.6	51.0	0.0	54.4	0.0	VII	0.6							
						VIII	0.6	#	#					

School category	Classrooms					No. of schools by type of building*					
	Total classrooms	% good condition	% minor repair	% major repair	Other rooms	Pucca	Partially Pucca	Kuccha	Tent	Multiple Type	No Building
Primary only	4,117	74.8	17.9	7.3	1,101	2,226	83	13	0	0	35
Primary with upper primary	700	90.4	8.7	0.9	143	216	10	0	0	0	0
Primary with U.P. & sec./h. sec.	87	100.0	0.0	0.0	11	22	0	0	0	0	0
Upper primary only	1,686	85.9	10.7	3.3	457	756	17	1	0	1	25
Upper primary with sec./higher sec	50	84.0	16.0	0.0	16	9	0	0	0	0	0

School category	Position of teachers by educational qualification (other than para teacher)								Examination results (Previous academic year)		
	Below secondary	Secondary	Higher secondary	Graduate	Post graduate	M. Phil.	Others	No response	Terminal grade	% Passed	% Passed with >60%
Primary only	93	538	960	1,156	722	6	0	252	V boys	98.84	51.21
Primary with upper primary	3	4	56	244	137	5	0	116	V girls	98.55	48.32
Primary with Upper primary & sec./h. sec.	2	0	4	12	19	0	0	0	VIII boys	97.82	43.28
Upper primary only	21	32	322	395	300	1	0	213	VIII girls	98.15	45.98
Upper primary with sec./higher secondary	0	0	0	2	9	0	0	17			
Para teachers	5	3	108	63	16	0	0	241			

School category	Avg. No. of Tchs.	Regular teachers			Para teachers			SC teachers		ST teachers		% Teachers recvd. in-service training		
		Total	Male	Female	No res	Male	Female	No res	Male	Female	Male	Female		
Primary only	3.0	4,161	2,226	1,504	0	296	138	0	406	165	5	15	59.7	40.3
Primary with upper prim.	5.4	565	293	272	0	0	0	0	34	23	3	4	51.9	48.1
Prim. with U.P. & Sec./H.S	8.4	42	16	26	0	0	0	0	2	0	0	0	38.1	61.9
Upper Primary only	2.8	1,286	943	341	0	2	0	0	160	30	7	3	73.4	27.0
U. Primary with Sec./H.S.	3.5	28	24	4	0	0	0	0	1	0	0	0	85.7	14.3

Category	Enrolment by medium of Instructions			% Total Grossness	Primary	Upper Primary	% Schools recvd. (Previous year)		Incentives : Number of beneficiaries (Previous academic year)			
	Hindi	English	Others				School dev. grant	T L M grant	Incentive Type	Primary	Upper primary	Boys
P. only	216134	0	190	11.6	25.2	59.1	42.4	Text books	51716	66429	7369	10090
P + UP	29933	0	0			1.0	0.0	Uniform	0	0	0	0
P+sec/hs	904	3206	0			0.0	0.0	Attendance	16862	15585	3925	2437
U.P. only	52900	0	192			0.0	0.0	Stationary	21	18	0	0
UP+sec	3856	0	0									

= not applicable na = not available * Some totals may not match due to no response in classificatory data items

शब्द संक्षेप

1	ई.जी.एस	E.G.S.	शिक्षा गारंटी केन्द्र
2	एन.जी.ओ.	N.G.O	गैर सरकारी संगठन
3	ए.आई.ई.	A.I.E.	वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र
4	एन.पी.आर.सी.	N.P.R.C.	न्याय पंचायत शिक्षा केन्द्र
5	बी.आर.सी.	B.R.C.	ब्लॉक संसाधन केन्द्र
6	एन.पी.एस.	N.P.S.	नवीन प्राथमिक विद्यालय
7	एन.यू.पी.एस.	N.U.P.S.	नवीन पूर्व प्राथमिक विद्यालय
8	ए.सी.आर.	A.C.R.	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष
9	यूनीसेफ	UNICEF	संयुक्त राष्ट्र शिशु आपदा कोष
10	एस.ओ.पी.टी.	S.O.P.T.	
11	आर.बी.सी.	R.B.C.	आवासीय ब्रिजकोर्स
12	एन.आर.बी.सी.	N.R.B.C.	गैर आवासीय ब्रिजकोर्स
13	आई.ईडी.	I.Ed.	समेकित शिक्षा
14	ई.सी.सी.ई	E.C.C.E.	समेकित बाल विकास कार्यक्रम
15	एन.बी.टी.	N.B.T.	नेशनल बुक ट्रस्ट
16	के.जी.बी.व्ही.	K.G.B.V.	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
17	टी.एल.एम.	T.L.M.	टीचिंग लर्निंग मटेरियल
18	टी.एल.ई.	T.L.E.	टीचिंग लर्निंग इक्युपमेंट
19	एस.एस.ए.	S.S.A.	सर्वशिक्षा अभियान
20	एन.पी.ई.जी.ई. एल.	N.P.E.G.E.L.	नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फार गर्ल्स एट एलीमेंट्री लेवल

संदर्भित एवं सहायक पुस्तकें

- आर्थिक विकास की दिशाएँ : अम्लान दत्त
- आर्थिक विकास और स्वातंत्र्य : अमर्त्य सेन
- अध्यापक शिक्षा : आर.ए.शर्मा
- असमान शिक्षा : डॉ मनोजलता सिंह
- आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ : प्रो. सुरेश भटनागर
- उभरते भारतीय समाज में शिक्षा : डॉ सत्यपाल रुहेला एवं डॉ देवेन्द्र
- उ.प्र. में शैक्षिक प्रशासन : शरदिन्दु एवं आर.एस. त्यागी
- कोठारी कमीशन : विवेचनात्मक अध्ययन : प्रो. सुरेश भटनागर
- कोठारी शिक्षा आयोग : जे. सी. अग्रवाल
- गरीबी और अकाल : अमर्त्य सेन
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम : आर. के. गुप्ता
- जातीय शिक्षा कोन पथे : चारु चंद्र भंडारी
- झाँसी गजीटियर
- प्रारंभिक शिक्षा : जी.एस.डी. त्यागी
- प्रारंभिक शिक्षा के उभरते आयाम एवं शैक्षिक मूल्यांकन : डॉ पी. के. सक्सेना
- प्राचीन भारत का इतिहास : ओमप्रकाश
- प्रगतिशील भारत में शिक्षा : श्रीमति आर.के.शर्मा एवं एच. एस.शर्मा
- बुन्देलखंड का इतिहास (प्रथम भाग) : दीवान प्रतिपाल सिंह
- बुन्देलखंड का इतिहास : श्री गोरे लाल तिवारी
- बच्चों की प्राथमिक शिक्षा एवं विकास कैसे ? : डॉ मालती जोशी एवं डॉ कंचन पुरी
- भारत में शिक्षा का विकास : प्रो. सुरेश भटनागर एवं संजय कुमार
- भारत में सतत् शिक्षा : नसीम अहमद
- भारत विकास की दशाएँ : डॉ अमर्त्य सेन
- भारत में शिक्षा व्यवस्था: अवधारणायें,समस्यायें एवं संभावनायें : सुभाष शर्मा
- भारत में प्राथमिक शिक्षा से संकल्प : जे. पी. नायक
- भारत में नारी शिक्षा : जे. सी. अग्रवाल
- भारत में सामाजिक परिवर्तन : महेन्द्र नारायण कर्ण
- भारत: साक्षरता की ओर : आलोक रंजन

- भारत की अर्थनीति:नये मोड़
- भारतीय शिक्षा की समस्यायें
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- भारतीय अर्थव्यवस्था 2000-2001
- भारतीय राज्यों का विकास
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- भारतीय ग्रामीण शिक्षण
- भारतीय शिक्षा का इतिहास
- भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें
- भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें
- भावी अध्यापकों हेतु आधारभूत कार्यक्रम
- मेरे सपनों का भारत
- मेरे सपनों का भारत
- महाशक्ति भारत
- माध्यमिक शिक्षा सिद्धान्त
- माध्यमिक शिक्षा और अध्यापक कार्य
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति
- विद्यालय प्रशासन एवं संगठन
- विनोबा के शिक्षा संबंधी विचार : एक विवेचन - विकास
- स्वतंत्र भारत में शिक्षा का विकास
- शिक्षा सिद्धान्त
- शिक्षा मनोविज्ञान
- शिक्षा के आयाम
- शिक्षा अनुसंधान
- शिक्षा केन्द्रों के नाम पत्र
- शिक्षा मनोविज्ञान
- शिक्षा और उसका भविष्य
- शिक्षा के सिद्धान्त
- शिक्षा दर्शन
- शिक्षण तकनीकी
- शिक्षा सिद्धान्त
- शिक्षा के सिद्धान्त
- शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व
- : डॉ पी. आर. जोशी
- : डॉ ए.पी.शर्मा
- : अरविन्द पाल सिंह
- : अरुणेश सिंह
- : अमर्त्य सेन
- : भरत झुनझुनवाला, समीक्षात्मक अध्ययन
- : रत्न दीप
- : शंकर विजयवर्गीय
- : पी.डी.पाठक
- : श्रीमति राजकुमारी शर्मा
- : डॉ मारकाण्डेय राय एवं डॉ पी.एस.त्यागी
- : मोहनदास करमचन्द्र गाँधी
- : डॉ ए.पी.जे अब्दुलकलाम
- : डॉ ए.पी.जे अब्दुलकलाम
- : डॉ मीनाक्षी प्रसाद
- : श्रीमति आर.के.शर्मा एवं एच. एस.शर्मा
- : जे. सी. अग्रवाल
- : जे. सी. अग्रवाल
- : एस.पी. सुखिया
- : भाई देसाई
- : जे. सी. अग्रवाल
- : भाई योगेन्द्र जीत
- : भाई योगेन्द्र जीत
- : डॉ शंकरदयाल शर्मा
- : आर.ए.शर्मा
- : जिद्दू कृष्णमूर्ति
- : पी.डी.पाठक
- : वी.एस. माथुर
- : पी.डी.पाठक एवं जी.एस.डी. त्यागी
- : रामबिहारी लाल
- : आर.ए.शर्मा
- : डॉ शालिग्राम त्रिपाठी
- : डॉ सरोज सक्सेना
- : एस.पी.सुखिया

- शैक्षिक अनुसंधान की रूपरेखा : के.पी.पाण्डेय
- शैक्षिक तकनीकी के मूलाधार एवं प्रबंध : डॉ जी.एस.वर्मा
- शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकतायें और प्रबंध : श्रीमति राजकुमारी शर्मा एवं डॉ कुसुम शर्मा
- शैक्षिक परिवर्तन का यथार्थ : जगमोहन सिंह राजपूत
- शैक्षिक तकनीक : डॉ एस.के. मंगल एवं शुभा मंगल
- शैक्षिक प्रबंध और शिक्षा की समस्यायें : हरीशचंद्र व्यास एवं कैलाश चंद्र व्यास
- शैक्षिक तकनीक : डॉ एस.सी.ओबराय
- उत्तर प्रदेश 2004 : सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ
- उत्तर प्रदेश 2005 : सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ
- उत्तर प्रदेश 2006 : सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ
- भारत 2004 : वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ
- भारत 2006 : वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ
- Comparative Education : A.Biswas & J.C.Aggarwal
- Comparative Method in Education : Z.H. BREADY
- Educational Research - An Introduction : J.C.Aggarwal
- Education and Rural Development in Asia : Udia Pareek
- Education and Rural Poor : K.C.Nauttiyal
- General Theory of Employment Interest and Money : Prof.J.M.Kynes
- History of Economic Thoughts : L.H.Heney
- Methods in Social Research : Good & Hatt
- Poverty and Planning : C.N.Vakil
- Problem of Indian education : R.A. SHARMA
- Research methods : Dr. D.N. Shrivastava
- School Education : I.P. Aggarwal
- Studies In Indian Education : V.S. Mathur
- School Administration : J.C.Aggarwal
- Statistics : B.N. Gupta

पत्र-पत्रिकाएं एवं रिपोर्ट

- कुरुक्षेत्र,
- योजना,
- इण्डिया टुडे,
- 'कहाँ खो गए गुरुदेव'- हरिकृष्ण उपाध्याय, दैनिक भास्कर 5 सितम्बर 2004
- राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट (1993) Institute for Education and Culture
- NCTE जनरल 2004: अध्यापक शिक्षा के कतिपय विशिष्ट मुद्दे एवं संदर्भ
- NCERT दिशानिर्देश 2006 : मननशील शिक्षक
- समसामयिक पत्रिका - अरिहंत नंबर 2007
- प्रतियोगिता दर्पण
- क्रॉनिकल इयर बुक 2007
- सांख्यिकीय पत्रिका जनपद झॉंसी
- पर्सपेक्टिव प्लान; सर्वशिक्षा अभियान, जनपद झॉंसी वर्ष 2002-07
- Indias Economic Reference; Ministry of Finance; Govt. of India, New Delhi
- World Development Report, 1993-94; Human Development Report 1994 & Sample Registration Bulletin, Jan, 1994
- भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण 1980-81 से 1994-95 तक

सारणी अनुक्रम

स. क्र.	सारणी क्रमांक	सारणी का विवरण	पेज नं.
अध्याय प्रथम			
1	सारणी:--{1.1}	शिक्षा का महत्व	10
अध्याय द्वितीय			
2	सारणी:--{2:1}	भारत एवं सहारेतर अफ्रीका : एक तुलना-1991	40
3	सारणी:--{2:2}	भारत, उ.प्र. और केरल सार्वजनिक सेवाओं की सुलभता में अंतर	46
4	सारणी:--{2:3}	भारत में प्राथमिक शिक्षा: उपलब्धियाँ एवं विषमतायें	52
अध्याय तृतीय			
5	सारणी:--{3.1}	जनपद में शिक्षा परिदृश्य-(वर्ष 2000-01)	59
6	सारणी:--{3.2}	परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन एवं वृद्धि	62
7	सारणी:--{3.3}	1999-2003 तक परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन	62
8	सारणी:--{3.4}	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात	62
9	सारणी:--{3.5}	जनपद में साक्षरता	64
10	सारणी:--{3.6}	जनपद में विद्यालयों की स्थिति	66
11	सारणी:--{3.7}	जनपद में शिक्षा संस्थायें(जहां प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षायें संचालित हैं।)	67
12	सारणी:--{3.8}	जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता	67
13	सारणी:--{3.9}	परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता	68
14	सारणी:--{3.10}	परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता	69
15	सारणी:--{3.11}	परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का छात्रांकन वर्ष 2003-04	70
16	सारणी:--{3.12}	परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का छात्रांकन वर्ष 2003-04 (जातिवार)	71
17	सारणी:--{3.13}	परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का छात्रांकन वर्ष 2003-04(जातिवार)	73

18	सारणी:-{3.14}	परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का छात्रांकन वर्ष 2003-04(कक्षावार)	75
19	सारणी:-{3.15}	विकासखंडवार अध्यापक शिक्षामित्र अनुपात	76
20	सारणी:-{3.16}	प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का कारण	83
21	सारणी:-{3.17}	विद्यालयों में भौतिक सुविधायें- प्राथमिक	89
22	सारणी:-{3.18}	विद्यालयों में भौतिक सुविधायें- पूर्व माध्यमिक	90
23	सारणी:-{3.19}	भौतिक सुविधाओं की वर्षवार पूर्ति का लक्ष्य	91
अध्याय चतुर्थ			
24	सारणी:-{4.1}	बालिकाओं को न पढ़ाने के कारण	98
25	सारणी:-{4.2}	जनपद में विकासखंडवार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार छात्राओं की संख्या	99
अध्याय पंचम			
26	सारणी:-{5.1}	प्राथमिक शिक्षा पर किया गया योजना व्यय प्रतिशत	134
27	सारणी:-{5.2}	पंचवर्षीय योजनाओं में केन्द्र राज्य अंशदान	135
28	सारणी:-{5.3}	11वीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय बंटवारे का प्रावधान	135
29	सारणी:-{5.4}	Annual Work Plan And Budget 2005-2006 District-Jhansi	144
अध्याय षष्ठ			
30	सारणी:-{6.1}	स्कूल न जाने वाले विद्यार्थियों का विवरण सर्वे वर्ष:-2003-04	151
31	सारणी:-{6.2}	अनुसूचित और पिछड़ी जाति के अनुसार स्कूल न जाने वाले विद्यार्थियों का विवरण सर्वे वर्ष:-2003-04	152
32	सारणी:-{6.3}	स्कूल न जाने वाले विकलांग विद्यार्थियों का विवरण सर्वे वर्ष:-2003-04	155
33	सारणी: {6.4}	घरेलू कार्यों के कारण स्कूल न जाने वाले बच्चों का विवरण सर्वे वर्ष:-2003-04	157

34	सारणी:-{6.5}	मजदूरी के कारण स्कूल न जा पाने वाले बच्चों का विवरण सर्वे वर्ष:-2003-04	159
35	सारणी:-{6.6}	छोटे भाई-बहिनों की देखभाल के कारण स्कूल न जाने वाले बच्चों का विवरण सर्वे वर्ष:-2003-04	161
36	सारणी:-{6.7}	विद्यालय दूर होने के कारण स्कूल न जा पाने वाले बच्चों का विवरण सर्वे वर्ष:-2003-04	163
37	सारणी:-{6.8}	अन्य कारणों से स्कूल न जा पाने वाले बच्चों का विवरण सर्वे वर्ष:-2003-04	165
38	सारणी:-{6.9}	बच्चों के स्कूल न जा पाने के कारण	167
39	सारणी:-{6.10}	विद्यालय में बच्चों की पसंद	168
40	सारणी:-{6.11}	स्कूल न जाने का कारण संबंधी विवरण	169
41	सारणी:-{6.12}	घरेलू कार्य में लगे बच्चों हेतु शिक्षा व्यवस्था	170
42	सारणी:-{6.13}	मजदूरी में लगे बच्चों हेतु शिक्षा व्यवस्था	172
43	सारणी:-{6.14}	भाई-बहिनों की देखभाल में लगे बच्चों हेतु शिक्षा व्यवस्था	173

